कृषि सूत्र 2

कृषक उत्पादक संगठनों की उपलब्धियां

कृषि सूत्र 2

कृषक उत्पादक संगठनो की उपलब्धियां

राधा मोहन सिंह
RADHA MOHAN SINGH

D.O. No. 1816 /AM कृषि मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF AGRICULTURE
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

20 NOV 2014

संदेश

वर्तमान आर्थिक संदर्भ में कृषकों को बाजार व्यवस्था से सफलतापूर्वक जोड़ने की चुनौती कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। इस दिशा में कृषकों को उत्पादक संगठन के माध्यम से संयुक्त रूप से विपणन व्यवस्था से जोड़ने की पहल लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) द्वारा की गई है। हर्ष का विषय है कि इस पहल के अत्यंत ही उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में कृषकों ने कृषक उत्पादक संगठनों की सदस्यता ग्रहण की है एवं अपनी सकल आमदनी में वृद्धि देखी है।

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा कुछ माह पहले कृषि सूत्र 2 नामक प्रकाशन का अंग्रेजी संस्करण जारी किया गया था। इसमें देश के विभिन्न भागों में कृषक उत्पादक संगठनों की सफलता के प्रेरक उदाहरण का वर्णन दिया गया है। अब इसी संकलन का हिन्दी संस्करण जारी किया जा रहा है जिससे कि हिन्दी भाषी राज्यों के किसानों, किसान संगठनों, जन प्रतिनिधियों, शासकीय विभागों, प्रशिक्षण संस्थानों, मीडिया आदि तक यह पहुँच सकेगा।

मैं आशा करता हूँ कि कृषक उत्पादक संगठन की गतिविधियों का यह संकलन प्रत्येक ग्राम–पंचायत तक पहुंचाया जाए जिससे कि अन्य कृषक भी इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके एवं स्वयं कृषक उत्पादक संगठनों में शामिल होने के लिए सामने आएं।

मैं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को इस दिशा में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यो के लिए बधाई देता हूँ।

राधा मोहन सिंह
(राधा मोहन सिंह)

Office : Room No. 120, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 Tel.: 23383370, 23782691 Fax : 23384129

विषय-सूची

पृष्ठ	विषय
01	परिचय
02	नई तकनीक से संवरी अरहर की खेती
04	मध्यप्रदेश: बेहतर कीमत पर बेहतर कपास
06	अरहर दल कर किसानों ने बढ़ाई आमदनी
08	फूलों की खेती से महकी ज़िन्दगी
11	घरेलू बाड़े में मुर्गी पालन से बढ़ी आमदनी
14	एग्री बिज़नेस सेंटर्स ने किया आर्थिक चमत्कार
17	पहाड़ी इलाकों में चारे का इंतजाम
19	नयी तकनीक ने घटाई उत्पादन की लागत
21	महिला किसान उपजा रहीं हैं मसालों के बीज
23	उत्तराखंड की महिलाओं ने खोली प्रोड्यूसर कंपनी
25	डेयरी ने खोला सशक्तिकरण का रास्ता
27	उन्नत तकनीक से दाल उत्पादन
29	पहाड़ी इलाकों में शहद की मूल्य श्रृंखला का विकास
31	ग्रामीण महिलाओं ने दिखाई अपनी क्षमता
33	बड़े निगमों की अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा
35	ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मिनी सुपर मार्केट
37	एक ऐसा व्यापार, जिसमें किसान ही मालिक हैं
39	सहकारिता के ज़रिये हुआ विकास, मिली समृद्धि
41	किसानों ने शुरू किया व्यापार
42	रंग लाईं सामूहिक कोशिशें
44	सामूहिकता से पाई स्थिरता
47	ग्रामीण महिलाओं ने बनाई आपूर्ति श्रृंखला
49	कृषि और सहयोगी गतिविधियों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा
51	सिंचाई संकट का हुआ समाधान
53	आमदनी बढ़ाने के लिए सामूहिक मार्केटिंग
55	13 साल बाद सब्ज़ियों की खेती
57	निवेश के अनुरूप लाभ में इज़ाफे के लिए कपास की खेती में सुधार
60	एकजुटता की ताकत पर बढ़ा भरोसा
62	संगठित काम के लिए प्रशासन प्रणाली का विकास
64	खुशहाली के लिए व्यावसायिक बीज का उत्पादन
69	गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन से मिल रहा लाभ
71	शहरी लोगों के बीच ग्रामीण पाक–प्रणाली को प्रोत्साहन
74	लाभप्रदता में सुधार के लिए डायरेक्ट मार्केट लिंकेज का विकास
76	संगठित रिटेल से बाज़ार तक पहुंच
78	सामूहिक विपणन से मिल रहा लाभ
80	नई क्रांति के लिए प्रशस्त होता मार्ग
82	ग्रीन टेरेस: केरल में रूफ टॉप वेज़ीटेबल कल्टिवेशन
84	मूल्य श्रृंखला एकीकरण का नया दृष्टिकोण
86	सामूहिक शक्ति से नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश
89	सस्टेनेबल कृषि से बढ़ रही किसानों की आय

परिचय

सदस्य आधारित कृषक उत्पादक संगठन, उन किसानों के लिए नई राह है जिन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर सीमांत किसान। छोटी कृषि भूमि के चलते आने वाली रुकावटों को दूर कर, कृषक उत्पादक संगठन के सदस्य सामूहिक शक्ति और सौदेबाजी की ताकत से लाभ हासिल कर रहे हैं। वे वित्तीय और गैर वित्तीय आदानों, सेवाओं और उपयुक्त तकनीक, ट्रैंसेक्शन लागत में कमी जैसे लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उपयोगी बाज़ारों तक उनकी पहुंच बढ़ी है और निजी कंपनियों के साथ उचित शर्तों पर वे साझेदारियों में शामिल हुए हैं।

पीढ़ीगत हस्तांतरण के चलते कई किसानों को विखंडित जोत मिलती है। कृषक उत्पादक संगठन व्यक्तिगत उत्पादकों के समक्ष एक तरह का एकीकरण प्रस्ताव रखते हैं और उत्पादन, खरीद और विपणन में सामूहिक योजना की शक्ति का उपयोग करते हैं ताकि सदस्य बेहतर उत्पादन हासिल कर सके। कृषक उत्पादक संगठन के प्रदर्शनों का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुभव, सदस्य आधारित किसान निकायों/संगठनों को पॉलिसी सपोर्ट के पात्र बनाता है, जो बाज़ार में उनकी शक्ति बढ़ाता है, जोखिम कम करता है और एक कृषि श्रृंखला को आगे बढ़ाने में मदद करता है।

केंद्रीय और राज्य स्तर पर कृषक उत्पादक संगठन पर ज़ोर दिया जा रहा है। लिहाज़ा दीर्घकालिक परिणामों के मद्देनजर इन संस्थाओं की व्यवहार्यता और निरंतरता पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि सदस्यों के हितों को प्रोत्साहित करने में ये कितने सक्षम हैं। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने 2014 को " कृषक उत्पादक संगठनों का साल" घोषित किया है, इसलिए इन उभरते निकायों/संगठनों पर ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है।

कृषक उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक व निजी संसाधनों का आवंटन ठोस प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए, जो किसानों के समूहन के फायदों को दर्शाता हो। जैसे– आमदनी, निवेश और अवसरों में वृद्धि।

संगठित संस्थाओं में रहते हुए किसानों की सामूहिक गतिविधियों के सफल उदाहरणों के संक्षिप्त अध्ययनों का यह संकलन ऐसे प्रमाण उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। ज्यादातर सफलताओं की प्रकृति साधारण है, जो कृषक उत्पादक संगठनों के गहन सामर्थ्य को दर्शाते हैं। देशभर में कृषक उत्पादक संगठनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ये कहानियां शायद कृषि समुदाय के लिए एक प्रेरणास्रोत और दिशासूचक साबित हो। हमें उम्मीद है कि कहानियों का यह प्रकाशन नीति निर्धारकों, वित्तीय संस्थाओं, निजी क्षेत्र की कंपनियों और मीडिया में कृषक उत्पादक संगठनों के प्रति दिलचस्पी पैदा करेगा।

1.

नई तकनीक से संवरी अरहर की खेती

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः
कृषक बंधु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):
वृत्ति आजीविका संसाधन केन्द्र

उत्तरी कर्नाटक का एक खूबसूरत जिला है–गुलबर्गा। इसे अरहर का कटोरा भी कहते हैं। हर साल इस जिले की करीब 330 हेक्टेयर भूमि का उपयोग अरहर की खेती के लिए किया जाता है, लेकिन इतनी विस्तृत खेती के बावजूद अरहर की पैदावार कम होती है। किसान पारंपरिक खेती करते हैं। वे सूखा, अनियमित वर्षा और कीट प्रकोप जैसी मुसीबतों से अपनी फसलें बचा नहीं पाते। फसल तैयार करने में वे जितनी लागत लगाते हैं, उत्पादन का मुनाफा उसके अनुरूप नहीं मिल पाता। जिस पारंपरिक विधि का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, उसे डिबलिंग कहते हैं। इसके तहत जुताई के समय किसान बीजों को एक सीधे कतार में बोते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया को अपनाते हुए किसान इस बात का ध्यान नहीं रख पाते कि बीजों का सही अंतर क्या होना चाहिए। खाद और कीटनाशकों का अंधाधुध उपयोग करते हैं। बुवाई की गलत पद्धति की वजह से फसल इस तरह उगती है कि वह वर्षा में ज़रा भी विलंब बर्दाश्त नहीं कर पाती। किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। गलत बोनी की वजह से ही कीट–प्रकोप की आशंका भी बढ़ जाती है।

इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए बुवाई की एक नई तकनीक विकसित की गई है,ताकि उपज में बढ़ोतरी हो सके। इस नई विधि के तहत किसानों ने बीजों के अंकुरण के लिए अलग नर्सरियों की स्थापना की। जब पौधे तैयार हो गए तो उन्हें खेतों में रोप दिया गया। रोपाई के दौरान पौधों के बीच का अंतर वैज्ञानिक–माप के मुताबिक रखा गया। रोपण के दौरान दो पंक्तियों के बीच 5 फीट और पौधों के बीच 2 फीट का अंतर सुनिश्चित करते हुए उन्हें रोपा जाना चाहिए। इस पद्धति में वैज्ञानिक–अंतराल की वजह से किसान मक्के या गेंदे जैसी फसलों की बोनी भी साथ–साथ कर सकते हैं।

जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कर्नाटक के कृषि विभाग द्वारा एसएफएसी के वित्तीय सहयोग से वृत्ति आजीविका संसाधन केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसी संस्थान ने गुलबर्गा के किसानों के लिए अरहर की खेती की नई विधि का प्रदर्शन किया है। यह नयी तकनीक किसानों के लिए बेहद फायदेमंद रही। इस विधि ने जहां खेती की लागत को कम कर दिया, वहीं उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। बारिश में देरी की वजह से संभावित फसल–हानि के जोखिम को कम करने में भी इससे मदद मिली।

>> नर्सरी की स्थापना

>> प्रतिरोपित क्षेत्र

गुलबर्गा के प्रगतिशील किसान मल्लिकार्जुन पाटिल उन लोगों में से एक हैं, जिन्होंने इस नई विधि को आज़माया है। अलंद तालुका के किन्नीसुल्तान गांव के निवासी श्री पाटिल को वृत्ति के कर्मचारियों ने इस विधि की जानकारी दी थी। प्रारंभ में श्री पाटिल ने अपने 10 एकड़ खेतों में से एक एकड़ में ही इस नई विधि को आज़माया। इस प्रयोग से हुए फायदे के बारे में श्री पाटिल कहते हैं–पारंपरिक विधि में फसल पर प्रति एकड़ 10,420 रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि उपज 4 क्विंटल प्राप्त होती है। इसे बेचने पर प्रति क्विंटल 4000 रुपए मिलते हैं। इस तरह प्रति एकड़ 16000 रुपए ही प्राप्त होते हैं। साथ ही मैं चने की फसल की भी पैदावार करता हूं, जिससे 3000 रुपए की आमदनी हो जाती है। इस तरह मुझे प्रति एकड़ कुल 8,760 रुपए का ही फायदा हो पाता है। हालांकि नई तकनीक में नर्सरी की स्थापना के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उत्पादन में होने वाली बढ़ोतरी से इस खर्च की भरपाई हो जाती है। बीज और कीटनाशकों के छिड़काव में होने वाले खर्च में भी कमी आती है। श्री पाटिल की तरह इस नई विधि को आज़माने वाले एक अन्य किसान अपना अनुभव बताते हैं– नई विधि की खेती में 10,260 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है, पुरानी विधि की खेती में आने वाली लागत और इस लागत में अंतर नहीं है। लेकिन दोनों विधियों में उपज की जो मात्राएं प्राप्त होती हैं, उनमें भारी अंतर है। नई विधि से मैंने 7 क्विंटल प्रति एकड़ अरहर की पैदावार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इससे मैंने 28000 रुपए प्रति एकड़ आमदनी प्राप्त की। अंतरवर्ती फसल के रूप में मैंने मक्के से भी 4000 रुपए की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की। इस तरह मैं अब प्रति एकड़ 21,240 रुपए कुल लाभ हासिल कर लेता हूँ। पारंपरिक विधि से होने वाले फायदे की तुलना में यह दोगुना है।

मल्लिकार्जुन पाटिल और दूसरे बहुत से किसानों ने इस विधि को आज़मा कर जो सफलता प्राप्त की है, वह इस विधि की व्यावहारिक–सफलता की भी कहानी है। अब किसानों के छोटे–छोटे समूहों से लेकर वृहद कृशक उत्पादक संगठनों द्वारा भी इस विधि को अपनाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि शुरुआती दिनों में कम वर्शा की स्थिति में भी पौधे सूखे की परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। नर्सरियों में उन्हें अंकुरण के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। यही वजह है कि कि अब कम बारिश के दौरान किसान बिना किसी भय के अच्छी वर्शा का इंतजार कर सकते हैं। वे परंपरागत खेती की तुलना में इस नई विधि से पौधों में अधिक शाखाएं और फूल प्राप्त कर सकते हैं। इस नई विधि से मिली सफलता के बाद अब आने वाले साल में वे इसका उपयोग दोगुने रकबे में करना चाहते हैं। गुलबर्गा में इस विधि की सफलता के बाद अब दूसरे अरहर उत्पादक इलाकों में भी इस विधि को अपनाया जाने लगा है, ये इलाके भी अनियमित वर्शा की चपेट में रहा करते हैं। गुलबर्गा जिले में किसानों को दिए गए व्यवस्थित प्रशिक्षण, सुविधाओं और प्रदर्शन की वजह से ही ये परिणाम प्राप्त हो सके हैं।

>> कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप की स्थापना

>> प्रतिरोपित किया गया क्षेत्र

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– कृषक बंधु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किन्नीसुल्तान, तालुका–अलंद, जिला–गुलबर्गा, कर्नाटक । फोन : बाबूराव पाटिल– 09740621115 ।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– वृत्ति लाइवीहुड रिसोर्स सेंटर, नम्बर. 19, फर्स्ट मैइन, फर्स्ट क्रॉस आरएमवी सेकेण्ड स्टेज, अश्वथनगर, बैंगलोर–56009 । फोन : 080–23419616, 23517241 । वेबसाइट : www.vrutti.org ।

2.

मध्यप्रदेश: बेहतर कीमत पर बेहतर कपास

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नाम:

(1) निमाड़ कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटेड, (2) बड़वानी कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटेड
(3) खरगोन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (एएसए)

कपास ऐसी फसल है, जिसमें मुनाफे की भरपूर गुंजाइश होती है। लेकिन इस क्षेत्र में बढ़ते निवेश के बावजूद किसानों को अच्छा मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। कई बार तो उन्हें भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है।

मध्यप्रदेश को कपास उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहां कपास की खेती ज्यादातर आदिवासी समुदाय के छोटे किसानों द्वारा की जाती है। बुनियादी अधोसंरचना के अभाव में उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फसल उत्पादन से लेकर विक्रय तक इन किसानों को मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं।

एक सर्वेक्षण के मुताबिक 90 प्रतिशत किसान अपनी उपज या तो स्थानीय व्यापारियों को बेचा करते हैं, या फिर बड़े कल–कारखानों के बिचौलियों को, इसी वजह से उन्हें उपज की सही कीमत नहीं मिल पाती, वे गलत तौल का भी शिकार होते हैं। तथ्य यह है कि छोटे किसान अपने खेतों से थोड़ी मात्रा में ही उपज प्राप्त कर पाते हैं, इसके कारण वे ढंग से मोल–भाव नहीं कर पाते। गैरसरकारी संगठन एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (एएसए) ने इस समस्या के समाधान का रास्ता तलाशा। संगठन ने कपास–उत्पादक छोटे किसानों को बेहतर मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के लिए पहल की, ताकि उन्हें उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके। परिणाम यह हुआ कि बिचौलिए खत्म हो गए। किसानों को सही कीमत मिलने लगी और अचछी व्यापारिक–परंपराओं की शुरुआत हुई।

इन इलाकों के किसान पहले ही कृषक–उत्पादक–कंपनी (एफपीसी) के सदस्य थे। इन किसानों ने इन कंपनियों के ज़रिए विभिन्न समस्याओं से जूझना सीखा था, उनके समाधान की दिशा में सफलता भी पाई थी। एकबार फिर कृषक–उत्पादक–कंपनियां उनके हितैषी–मध्यस्थ के रूप में सामने आईं। बड़वानी और खरगोन जिलों में एएसए ने किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। बड़वानी किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, निमाड़ किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड और खरगोन किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किसानों तक ये सुविधाएं पहुंचाई गईं। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों और बाज़ार के बीच मध्यस्थता के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हैं।

>> खरीदी केंद्र पर कपास का वजन करते हुए

>> गंतव्य के लिए बेहतर कपास

एफपीसी ने गांवों में ही खरीदी केंद्रों की स्थापना के लिए 9 बड़े जुलाहों (सूत कातने वालों) के साथ समझौता किया है। किसान इन केंद्रों तक अपनी उपज ला सकते हैं। किसानों के लिए यह जरूरी होता है कि वे उत्पादन के लिए निश्चित वैज्ञानिक दिशा–निर्देशों का पालन करें। इस तरह वे गुणवत्तापूर्ण कपास का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे कपास का, जिससे ज्यादा मज़बूत और लंबे धागे निकाले जा सकें। गांवों में स्थापित खरीदी केंद्रों में कपास की गुणवत्ता की जांच की जाती है। वहीं उसका वज़न किया जाता है। किसानों को खरीदे गए उपज की रसीद दी जाती है। अगले दिन इस रसीद के एवज़ में एफपीसी कार्यालय से किसान भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। बड़े–गांवों के किसानों को भुगतान की राशि उनके खातों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है।

यह दोनों पक्षों के लिए अच्छा सौदा है। इस प्रक्रिया में कई आर्थिक–सामाजिक और व्यावसायिक फायदे हैं। किसान, परिवहन में लगने वाले पैसे और समय की बचत कर पाते हैं। उनकी उपज सही तरीके से तौली जाती है। उन्हें समय पर भुगतान प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में कोई बिचौलिया शामिल नहीं होता। बड़े जुलाहों को एक ही स्थान पर थोक में उत्पाद मिल जाता है, वे वहीं पर इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित कर पाते हैं। एफपीसी के रूप में किसानों के लिए एक ऐसा संगठित मंच उपलब्ध रहता है, जिसके माध्यम से वे बाज़ार और खरीदी–बिक्री संबंधी मामलों पर बात कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, खाद–बीज जैसे खेती की जरूरतों की समय पर उपलब्धता आदि के संबंध में।

वर्ष 2011 में एफपीसी– एएसए द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के ज़रिए उन खामियों को दूर किया गया, जिनकी वजह से किसान गुणवत्तापूर्ण कपास का उत्पादन नहीं कर पाते थे। परिणाम यह हुआ कि पिछले दो सीजन में कपास की गुणवत्ता और खरीदी की प्रक्रिया बेहतर हुई है। अब यह एफपीसी की एक प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि का रूप ले चुकी है। कंपनी द्वारा अर्जित कुल लाभ का 50 प्रतिशत इन्हीं गतिविधियों से अर्जित होता है।

इस प्रगति को नीचे, तालिका में समझा जा सकता है–

गतिविधियां	प्रगति 2010-11	प्रगति 2011-12	प्रगति 2012-13	कुल प्रगति
किसानों के कपास का बाज़ार में विपणन (वजन मीट्रिक टन में/रुपए लाख में)	–	3,638/1,455.20	1,948/789.03 दिसं.12 तक	5,586/2,244.23

कृषक उत्पादक कंपनी	किसानों से प्राप्त कपास (मीट्रिक टन में)	राशि (रुपए में)
बड़वानी किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड	544	221.56
खरगोन उत्पादक कंपनी लिमिटेड	644	257.72
नमाड़ कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटे	221	89.44
कुल	1409	568.72

वर्तमान में ये सेवाएं कंपनी के सदस्य किसानों तक ही सीमित हैं, लेकिन अब इसका विस्तार गैर–सदस्य किसानों तक करने की भी योजना बनाई जा रही है। अन्य इलाकों के उत्पादक–किसानों के लिए भी इसी तरह की सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इस प्रक्रिया में एफपीसी के सामने एक बड़ी बाधा क्रियाशील पूंजी के अभाव की होती है। यदि यह समस्या सुलझ गई तो एफपीसी की बड़े–जुलाहों (सूत कातने वाले बड़े उद्योगों) पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। वे खुद ही और भी बढ़िया दाम पर किसानों को सीधे भुगतान कर पाएंगे। बेहतर कपास की बेहतर कीमत पर उपलब्धता का यही एक रास्ता है।

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– (1) निमाड़ कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटेड, ग्राम ओझर,जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश । (2) बड़वानी कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटेड, ग्राम राजपुर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश । (3) खरगोन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश ।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (एएसए), ई–5/4, गिरीश कुंज, स्टेट बैंक शाहपुरा शाखा के ऊपर, भोपाल, मध्यप्रदेश, 462016 । फोन : 0755–4057926 । ईमेल : asa@asabhopal.org । वेबसाइट : www.asaindia.org ।

3.

अरहर दाल में मूल्य-संवर्धन कर किसानों ने बढ़ाई आमदनी

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नाम:

अकोला सोया एण्ड कॉटन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस)

पश्चिमी विदर्भ महाराष्ट्र का ऐसा इलाका है, जहां मुख्यतः अरहर की खेती होती है। लेकिन यहां के किसान थोड़ी मात्रा में ही इसकी खेती करते हैं। अरहर, कपास और सोयाबीन के खेतों में अरहर को अंतरवर्ती फसल के रूप में बोया जाता है। इस इलाके में स्वयं के हितों के संरक्षण के लिए किसानों ने छोटे–छोटे समूह बना रखें हैं, जिन्हें एफआईजी भी कहा जाता है। ऐसे ही दो समूहों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए गांव में ही दाल मिल की स्थापना की दिशा में पहल की। भारत के दिगर हिस्सों की तरह विदर्भ में भी दाल लोगों के भोजन का अनिवार्य हिस्सा है।

महाराष्ट्र के पोही में गजानन महाराज फसल उत्पादक गुट और श्रीराम फसल उत्पादक गुट नाम के दो एफआईजी ने दाल मिल की स्थापना की। इन दोनों समूहों में से प्रत्येक में 20–20 सदस्य हैं। मिल के संचालन और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी दोनों समूहों ने संयुक्त रूप से संभाली। विभिन्न बैठकों के ज़रिए यह तय किया गया कि किस समूह की जिम्मेदारियां किस तरह की होंगी। समूहों ने दाल मिल के संचालन और प्रबंधन में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने सर रतन टाटा ट्रस्ट से अनुदान की मांग की। समूहों की तत्परता के मद्देनज़र एसआरटीटी ने इस सहायता की मंजूरी दी। यह मदद मिल के शेड निर्माण के लिए थी।

सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) ने अपनी निधि में से 5 लाख रुपए का कर्ज प्रोड्यूसर कंपनी को मदद के रूप में दिया। इसमें से ढाई–ढाई लाख रुपए प्रत्येक समूह के लिए थे, जिनका उपयोग मशीनों तथा चल पूंजी के रूप में किया जाना था। कुल खर्च में ढाई लाख रुपए का योगदान समूह से भी अपेक्षित था। इस पूरी गतिविधि में 21 घरों के सदस्य लगे हुए थे और 336 किसानों के समर्थन से वे इसका संचालन करना चाहते थे।

>> अरहर का प्रक्रमण: पहला चरण

>> ग्रेडिंग के बाद अरहर को दूसरी मशीनरी में डालना (डबल रोलर दाल मिल)

>> शेतकारी दाल मिल का उद्घाटन (तहसीलदार, एमएआईडीसी के आर. एम., एसआरटीटी और आईजीएस महाराष्ट्र की टीम)

लेकिन इन सबके बीच एक दिक्कत यह भी थी, कि मिल का संचालन गर्मियों के दौरान केवल चार महीने ही किया जा सकता था। साल के बाकी महीनों में मशीनें बंद रखी जातीं, खासकर जाड़े के दिनों में, जब तापमान बेहद कम होता। इस अवधि में भी किसानों को बिजली का निर्धारित शुल्क अदा करना ही पड़ता था। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। समूह के सदस्यों ने निर्णय लिया कि मिल की मशीनें उसके विक्रेता को लौटा दी जाएं, इसके स्थान पर फ्लोर–मशीन खरीदी जाए, जिसका संचालन सालभर किया जा सकता है। इस तरह मशीनों के रख–रखाव और बिजली पर होने वाले खर्च की भरपाई भी की जा सकती थी। जो नई मशीनें खरीदी गई उनमें ग्रेडर, डबल रोलर, पॉलिशर, सेलर आदि शामिल थीं।

इस पहल का ही नतीजा था कि अचानक रोज़गार के अवसर और भी ज्यादा हो गए। समूह के तीन सदस्यों को मशीनें चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया, अन्य सदस्यों को दूसरे कामों के लिए प्रशिक्षित किया गया। उन्हें (मार्केटिंग) विपणन और (मैनेजमेंट) प्रबन्धन के लिए भी प्रशिक्षित किया गया। समूह के सदस्य मिल का उपयोग स्वयं की जरूरतों के लिए भी करने लगे। समूह के सभी सदस्यों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे स्वयं के अलावा चार–पांच घरों का आटा पीस सकते हैं। साथ ही यह अनिवार्य किया गया कि वे दाल मिल के संचालन के लिए प्रारंभ में दलाई के लिए कम से कम एक क्विंटल अरहर की व्यवस्था में अपना योगदान दें।

समय के साथ–साथ किसानों ने अरहर की दलाई के काम में और भी कुशलता प्राप्त कर ली। उन्होंने नये सफल प्रयोग किए। उदाहरण के लिए, दाल की पॉलिश के काम में। दलाई के आखिरी चरण में दाल की पॉलिश के लिए खाने के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्विंटल अरहर के लिए 150 मिली तेल की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में प्रति क्विंटल अरहर में से एक–दो किलो दाल नियमित रूप से खराब हो जाती है। मशीन ऑपरेटर ने अपनी बुद्धि मत्ता से खाद्य–तेल डालने के लिए स्लाइन बोतलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे पॉलिशिंग में लगने वाले समय की बचत तो हुई ही, अनावश्यक बर्बादी भी रुक गई। मिल प्रबंधन ने तय किया कि हर रोज समूह के अलग–अलग सदस्यों को मिल के संचालन का मौका दिया जाएगा, किसानों ने ही तय किया कि जिम्मेदारियों की यह अदला–बदली नियमित रूप से किस तरह होगी।

संचालन प्रणाली में इस महत्वपूर्ण बदलाव का उद्देश्य किसानों में मिल के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत करना था। इसकी सफलता का दूरगामी परिणाम यह है कि अब ऐसी ही दाल मिलों को अन्य स्थानों पर स्थापित करने की संभावना बढ़ गई है। ऐसी मिलों के संचालन के लिए मशीनों के संचालन और तकनीक को समझना अब कठिन नहीं रहा।

भविष्य की परियोजनाओं के लिए कहा जा सकता है कि यदि इलाके में अरहर की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है तो वहां दाल–मिल स्थापित करने की अनुशंसा की जा सकती है। कच्चे माल (दाल) की स्थानीय स्तर पर ही उपलब्धता से उत्पादन लागत खुद–ब–खुद कम हो जाती है, परिणामस्वरूप लाभ बढ़ जाता है। हालांकि इसी तर्ज पर दाल मिल के संचालन के लिए तीन बुनियादी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिनके बारे में सतर्क रहने की भी जरूरत होगी: (1) कच्चे माल (अरहर) की खरीद के लिए पूंजी का अभाव। (2) माल के विपणन के लिए योजना का अभाव, और (3) मौसम के दौरान मिल की कार्यक्षमता, क्योंकि मिल का वैकल्पिक इस्तेमाल भी हो रहा होता है। इन समस्याओं के समाधान के बिना मिल से लाभ नहीं लिया जा सकता। अन्य एफआईजी या किसानों के समूह इसी तरह के मिल की स्थापना कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल ऑफ सीजन के दौरान अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। इस तरह जिन दिनों में किसानी का काम धीमा होता है, उन दिनों में भी कई और गांवों में रोज़गार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– अकोला सोया एण्ड कॉटन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तालुका मुर्तिजापुर जिला अकोला, महाराष्ट्र– 441806। फोन : रमेश अवघाते– 8888891368 ।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस), बीसी–247, सेक्टर–1, सॉल्टलेक सिटी कोलकाता, पश्चिम बंगाल– 700064 । फोन : 033–23596264 । ईमेल : info@igsindia.org.in । वेबसाइट : www.igsindia.org ।

4.

फूलों की खेती से महकी ज़िंदगी

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

वृंदावन पुष्प उत्पादक संघ

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज़ फाउंडेशन (बीएआईएफ)

फूलों की खेती या फूलशेती छोटे और सीमांत किसानों के लिए आजीविका के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में उभरी है। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर रूरल एरियाज़ (MITRA) द्वारा ग्रामीण इलाकों में किए गए प्रयासों का यह परिणाम है। इस संस्था को भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बीएआईएफ) से प्रोत्साहन प्राप्त है। खेती पर पूरी तरह निर्भर किसानों की आमदनी बेहद कम थी। एक तो यहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और दूसरी ओर किसानों के खेत बहुत छोटे–छोटे हैं। किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए फूलों की खेती के ऐसे मॉडल को आज़माने की कोशिश की गई, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। इनमें जवाहर, विक्रमगढ़, दहानू, तालासारी और ठाणे जिले के पालघर तालुका के आदिवासी बाहुल्य इलाके शामिल हैं। फूलों की खेती से जुड़े कई तरह के फायदों की वजह से किसानों ने इसे अपना लिया। इसमें बीजों के लिए बेहद थोड़ी पूंजी की जरूरत होती है। वृक्ष आधारित खेती की तुलना में इसमें ज्यादा तेज़ी से आमदनी प्राप्त होती है। इसका प्रबंधन आसान है। फूलों की बिक्री से आय के स्थायी अवसर उपलब्ध होते हैं। ठाणे के आदिवासी इलाकों में फूलशेती के मॉडल ने अब पूरी तरह अपना आकार ले लिया है। इसके तहत केवल तीन हजार रुपए के खर्च में भूमि के 500 वर्ग मीटर (0.05 हेक्टे.) क्षेत्र में मोगरे के 200 पौधे लगाए जा सकते हैं। स्वहित समूहों के ज़रिए फूलों की बिक्री से सालाना 27,000 रुपए की आमदनी प्राप्त की जा सकती है।

मोगरे की खेती का मॉडल इस तरह है–

सूची	विवरण
भूमि का आकार	500 वर्गमीटर
फसल	जासमीन (मोगरा)
किस्म	अरेबियन नाइट्स, जिसे स्थानीय–स्तर पर बनग्लोरी कहते हैं
फसल की प्रकृति	बारहमासी
पौधे की उम्र	12 साल
500 वर्गमी. में पौधों की औसत संख्या	200
आय के लिए	पौधारोपण के 6 महीनों बाद
फसल प्राप्ति का अंतराल	रोज़ाना
औसत उत्पादन रोज़ाना	700 ग्राम
औसत उत्पादन सालाना	189 किलो
160 रुपए प्रति किलो की दर से सालाना औसत आमदनी	30,240 रुपए

महाराष्ट्र के जवाहर, विक्रमगढ़, दहानू, लालासारी और पालघर तालुकाओं में कोकना, वर्ली, महादेव कोली और कतकरी प्रजातियाँ कृषि पर निर्भर हैं। खराब ज़मीन, आधुनिक खेती के लिए जागरुकता की कमी और खेती के लिए पैसों की कमी के कारण इस इलाके में उत्पादकता बेहद कम है। सिंचाई सुविधाएं नहीं होने के कारण रबी की खेती न के बराबर होती है, जबकि मानसून के दौरान

धान, रागी, बाजरा आदि की फसलों की पैदावार की जाती हैं। इन परिस्थितियों में होली के त्योहार के बाद बहुत से परिवारों को आजीविका के लिए आसपास के शहरों में पलायन करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर होने वाले इस पलायन का बच्चों की शिक्षा और परिवार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर होता है। महिलाएं और बच्चे कुपोषण से बुरी तरह प्रभावित हैं। भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के करीब होने के बावजूद इन इलाकों में अस्पतालों, स्कूलों, सड़कों और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

इन तालुकाओं के किसानों के लिए वृंदावन पुष्प उत्पादक संघ नाम के संगठन का गठन किया गया। बीएआईएफ और मित्रा का इसे सहयोग प्राप्त है, जो सामूहिक विपणन में मददगार हैं। इस संगठन की प्रबंध समिति में ग्रामीणों के प्रतिनिधि ही सदस्य हैं। संघ की सदस्यता के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। शर्त केवल इतनी है कि किसान आदिवासी समुदाय का हो और वह मोगरे की खेती में रुचि रखता हो।

सुबह 7 बजे तक खेतों से फूलों का संग्रहण करने के बाद उसे गांवों में स्थित संग्रह केन्द्रों में लाया जाता है। यहां फूलों की तौलाई के बाद उन्हें बोरों में पैक किया जाता है। गांव के बस स्टैंड में एकत्र करने के बाद बस अथवा ट्रेन से इसे मुंबई स्थित दादर ले जाया जाता है। परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान से सुरक्षा की जिम्मेदारी एक–दो सदस्यों की होती है। वृंदावन पुष्प उत्पादक संघ के सचिव द्वारा आय–व्यय का हिसाब रखा जाता है, जिसके आधार पर किसानों को प्रतिकिलो की दर से फूलों की कीमत का भुगतान किया जाना होता है।

>> बीएआईएफ मित्रा फूलों की खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम

फूलों के लिए आपूर्ति श्रृंखला इस प्रकार है–

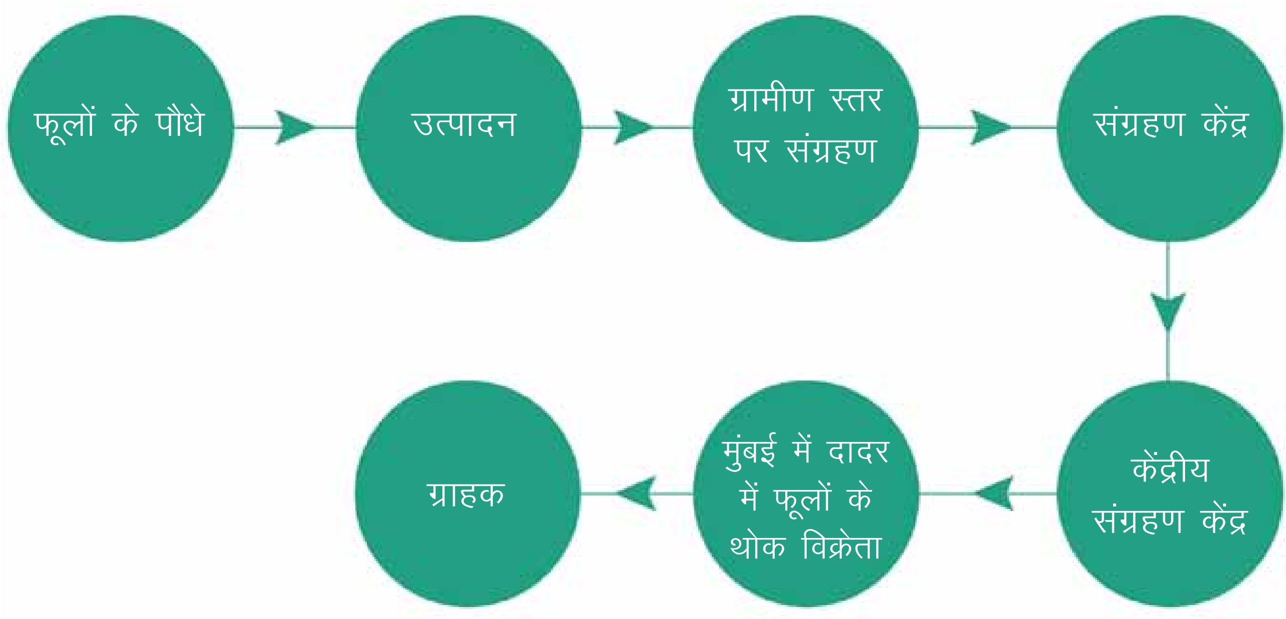

बाज़ार में मांग और आपूर्ति के आधार पर फूलों की कीमत रोज़ बदलती रहती है। रोज़ाना की कीमतों के आधार पर व्यापारियों द्वारा संघ को मासिक भुगतान किया जाता है। व्यापारियों से प्राप्त रकम संघ के बैंक–खाते में जमा की जाती है। उत्पाद के विपणन में हुए खर्च को काट कर संघ के सदस्यों को भुगतान कर दिया जाता है। बेचे गए प्रति किलो फूल के हिसाब से सदस्य 10 रुपए का योगदान संघ के स्थायी कोष में देते हैं। इस पूँजी का उपयोग खेती के लिए आवश्यक आदानों की खरीदी में किया जाता है। ये आदान सदस्यों को लागत मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

थाणे जिले में करीब 1,904 किसान फूलों की खेती से अपनी आमदनी बढ़ाने की गतिविधियों में लगे हुए हैं। हाल के सालों में किसानों ने मोगरे की बिक्री से 2 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी अर्जित की है। इन पैसों से न केवल जीवनस्तर सुधरा, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में किसान–परिवारों की स्थिति बेहतर हुई, बल्कि उन्हें घर और कुंए जैसी संपत्ति के निर्माण में भी मदद मिली। फूलों की खेती में मदद के लिए किसानों ने वाहन और अन्य दूसरे उपकरणों की खरीदी की। समूहों में काम करते हुए किसानों ने संचार कौशल भी विकसित किया है, इससे उनके परस्पर संबंध और भी मजबूत हुए हैं। सामुदायिक स्तर पर उनमें नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ है। मुंबई के बाज़ार में सीधी पहुंच से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। इस सफलता के बाद किसान अब गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा जैसे फूलों की खेती में भी खुद को आज़मा रहे हैं।

इस मॉडल की सफलता निश्चित है, क्योंकि मोगरे के पौधे जीवट होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बुनियादी आमदनी के मौके उपलब्ध रहते हैं। फूलों की मांग सालभर बनी रहती है, इसलिए इसे आमदनी के बारहमासी स्त्रोत के रूप में चिन्हित किया जा सकता है, जो किसानों के हित में मदद करता है। इस पहल को 3000 आदिवासी परिवारों द्वारा सफलतापूर्वक दोहराया जा रहा है। महाराष्ट्र के 6 जिलों ठाणें, नासिक, नंदुरबार, धुले, नांदेड़ और अहमदनगर के 14 आदिवासी बहुल तालुकाओं में ये गतिविधियां चल रही हैं। इन सभी इलाकों की परिस्थितियां एक जैसी हैं। किसानों के समूहों और तालुका स्तर पर उनके संगठनों के गठन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसानों को सामूहिक विपणन के ज़रिए फूलों के विक्रय की अनुमति दी जाती है, ताकि वे सामूहिक रूप से मोल–भाव करने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए बेहतर आय प्राप्त कर सकें।

प्रकाशनः–

- प्रतिष्ठित पत्रिका "लीसा इंडिया" खण्ड–14, नंबर–3 सितम्बर 2012 में प्रकाशित आलेख–''कलेक्टिव मार्केटिंग फॉर बेटर इनकम थ्रु फ्लोरीकल्चर''
- "Policy Innovation.org" न्यूयार्क अमेरिका में 11 दिसंबर 2012 को प्रकाशित आलेख ''वर्ड्स ऑफ होप ऑर्गेनिक जास्मिन फ्लोरिकल्चर सप्लीमेंन्ट्स फार्मर इनकम इन महाराष्ट्र''
  रिपोर्ट–कैलाश आंधले, मित्रा, नासिक

>> फूलों की उपयोगिता

>> एक साल पुराना चमेली का खेत

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– वृंदावन पुष्प उत्पादक संघ, द्वारा– बीएआईएफ मित्रा कार्यालय, अमराई परिसर, जवाहर नासिक रोड, पोस्ट एवं तालुकाः जवाहर, जिलाः थाणे, महाराष्ट्र – 401609 । फोन : श्री एकनाथ बबन मुकानेदृ– 0970208988 ।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बीएआईएफ), बीएआईएफ भवन, डॉ. मणिभाई देसाई नगर, वारजे, जिला–पुणे, महाराष्ट्र–411058 । फोन : 020–25231661, 64700562, 64700175 । ईमेल : baif@baif.org.in ।

5.

घरेलू बाड़े में मुर्गी पालन से बढ़ी आमदनी

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का नामः
सावित्रीबाई महिला स्वयं सहायता समूह
सहायक संसाधन संस्था (आरआई):
भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज़ फाउंडेशन (बीएआईएफ)

नंदूरबार जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र में वर्ष 2011 में मुर्गी पालन के एक ऐसे मॉडल की शुरुआत की गई जिसके तहत ग्रामीण अपने घर के पिछवाड़े (बाड़े) का उपयोग इस व्यवसाय के लिए कर सकते थे। यह मॉडल काफी हद तक कृषि पर निर्भर था। इस मॉडल का प्रचार प्रसार एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के संजाल के ज़रिए किया गया। समूह को भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बीएआईएफ) से समर्थन प्राप्त था। इसका उद्देश्य कोंकणी, भील और पावरा जनजातियों को अतिरिक्त आमदनी और लाभकारी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। घरों के पिछवाड़ों को मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए इसलिए चुना गया, क्योंकि इसके बहुत से फायदे थे। इसका प्रबंधन परिवार के सदस्यों द्वारा आसानी से किया जा सकता है, इसके लिए कम पूंजी और निवेश की जरूरत होती है और चिकन के लिए बाज़ार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध रहता है।

ग्रामीणों को माहभर की उम्र वाले चूज़े उपलब्ध कराने के साथ ही मुर्गी पालन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये चूज़े 60 रुपए की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। सामुदायिक–स्वामित्व वाली हैचरी (मातृ इकाइ) के माध्यम से ये चूजे उपलब्ध कराए जाते हैं। मुर्गी पालन के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारियां संस्था मित्र के स्टाफ द्वारा ग्रामीणों को प्रदान की जाती हैं। उन्हें बताया जाता है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से शेड का निर्माण कैसे किया जा सकता है, मुर्गियों को दाना देने का सही तरीका क्या है, मुर्गी पालन के लिए टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, कौन–कौन से टीके कब लगवाए जाने चाहिए। हालांकि टीके ग्रामीणों द्वारा उनकी आवश्यकता के आधार पर खरीदे जाते हैं। हैचरियों (मातृ–इकाइयों) का संचालन स्थानीय उद्यमियों अथवा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यह स्थान पर भी निर्भर करता है।

शुरुआत में अधिक से अधिक किसानों को भागीदार बनाने के लिए विभिन्न पैकेजों का व्यापक प्रदर्शन, दौरे और जागरुकता अभियान आयोजित किए गए। एक निश्चित अंतराल में समूह–चर्चा और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हैचरी चलाने के लिए सदस्यों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

>> इनक्यूबेटर में विकसित होते अंडे

>> स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से बने पिंजरे

इन गतिविधियों से होने वाली आमदनी कई कारणों पर निर्भर होती है। इनमें पक्षियों का आकार, पालक–परिवार द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए इस्तेमाल किए गए पक्षियों और अंडों की संख्या भी शामिल हैं। यह पाया गया है कि यदि कोई परिवार 10 पक्षी (एक मुर्गा, 9 मुर्गियां) पालता है तो वह पक्षियों और अंडों की बिक्री से औसतन दो से तीन हजार रुपए की आमदनी प्राप्त कर लेता है (पालक परिवार द्वारा किए गए उपभोग को छोड़कर). विक्रय और पालक–परिवार के उपभोग के बाद भी वर्ष के अंत में लगभग 10 पक्षियों का आकार दोगुना हो जाता है।

>> मुर्गियों के साथ 15 दिन के चूजे

आमदनी का बड़ा हिस्सा पक्षियों के विक्रय का ही होता है, इसलिए चूज़ों की गुणवत्ता और निर्बाध आपूर्ति आवश्यक है। इसके मद्देनजर संस्था मित्र ने एक मातृ–इकाई (हैचरी) की स्थापना की। इस हैचरी को एक स्थानीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को सौंप दिया गया। समूह के सदस्यों को हैचरी के संचालन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया। वर्तमान में वे ऐसी पांच हैचरियों से चूज़ों की आपूर्ति कर रहे हैं। इन हैचरियों में बड़े आकार के चूज़ों की संख्या औसतन एक से डेढ़ हजार के बीच है। प्रत्येक चूज़े के पालन की लागत 40 से 45 रुपए के बीच आती है, इसमें दाने की व्यवस्था और टीकाकरण में होने वाला खर्च भी शामिल है। प्रत्येक चूज़ा 50–60 रुपए में बेचा जाता है। इस तरह प्रत्येक पक्षी से औसतन 15 रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। यदि औसत आकार के पक्षियों की संख्या एक हजार मान ली जाए. और यदि मृत्यु–दर 10 फीसदी हो, तो प्रत्येक खेप से 13,500 रुपए का मुनाफा प्राप्त होगा। एक वर्ष में एक हैचरी में चूजों के ऐसे 4–5 खेप पाले जा सकते हैं।

>> स्थानीय बाज़ार में अंडों की बिक्री

नंदूरबार और धुले जिलों के 20 गांवों में 770 परिवारों द्वारा इसी तरह अपने घरों के बाड़े में मुर्गी–पालन का व्यवसाय किया जा रहा है। यह पूरा कार्यक्रम अब आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। लोगों को बाज़ार दर पर चूज़े और अन्य सामग्री जैसे टीके आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मातृ–इकाइयां स्थानीय उद्यमियों या स्वयं सहायता समूहों द्वारा फायदे के साथ संचालित की जा रही हैं।

>> गांव में टीकाकरण

आंकड़े: एक नज़र में (मार्च 2011 से सितंबर 2012)

क्रमांक	विवरण	धाड़गांव	अकालकुंआ	नंदूरबार	साकरी	कुल
1	दायरे में लिए गए गांवों की संख्या	1	2	6	11	20
2	शामिल परिवारों की संख्या	30	30	396	314	770
3	प्रदान किए गए पक्षियों की संख्या	300	300	6,357	4,768	11,725
4	प्रतिभागियों की संख्या जिनके खुद के पक्षी हैं	300	150	7,365	1,865	9,680
5	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या	30	30	188	314	462

मातृ–इकाइयों का विवरण (मार्च 2011 से सितंबर 2012)

क्र	मातृ-इकाइयों के स्वामी	ग्राम	विकासखंड	खेपों की संख्या	प्रत्येक खेप में चूज़ों की संख्या	मृत्युदर संख्या	मृत्युदर प्रति.	प्रत्येक खेप में बेचे गए चूज़ों की संख्या	चूज़ों के विक्रय की औसत दर	व्यय/चूज़े	खेप से आमदनी (रुपए में)	कुल
1	कन्हैयालाल साबले	करनझाटी	साकरी	1	500	10	0	500	60	45	7500	29550
				2	800	100	13	700	60	45	10500	
				3	800	30	4	770	60	45	11500	
2	अमित उत्तम माहले	कुहेर	साकरी	1	900	20	2	880	60	45	13200	41970
				2	900	40	4	860	60	45	12900	
				3	300	112	37	188	60	45	2820	
				4	900	30	3	870	60	45	13050	
3	भातू मांगा सूर्यवंशी	अजेपुर	नंदूरबार	1	500	0	0	500	60	45	7500	65800
				2	500	0	0	500	60	45	7500	
				3	800	20	3	780	60	45	11700	
				4	900	70	8	830	60	45	12450	
				5	900	90	10	810	60	45	12150	
				6	600	60	10	540	60	45	8100	
				7	1000	200	20	800	50	42	6400	
4	कमलबाई कृष्णा चौधरी (एसएचजी)	वाघाले	नंदूरबार	1	1000	314	31	510	50	42	4080	6720
								176	60	45	2640	
5	विमलबाई शत्रुघ्न गांगुर्डे	श्रीरामपुर	नंदूरबार	1	1500	36	2	824	60	45	12360	17400
								630	50	42	5040	

रिपोर्ट–योगेश भांमरे, मित्र, नासिक और शरत झा, बीएआईएफ, पुणे

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- सावित्रीबाई महिला स्वयं सहायता समूह, श्रीरामपुर, वागाले, नंदूरपुर, महाराष्ट्र।
फोन : श्री शत्रुघन गागुर्डे–09552771952 ।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण- भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बीएआईएफ), बीएआईएफ भवन, डॉ.मणिभाई देसाई नगर, वारजे, पुणे, महाराष्ट्र–411058 । फोन : 020–25231661,64700562, 64700175 । ईमेल : baif@baif.org.in । वेबसाइट : www.baif.org ।

6.

कृषि व्यवसाय केन्द्रों ने किया आर्थिक चमत्कार

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

श्री लक्ष्मी रायथु व्यापार केंद्र

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज़ फाउंडेशन (बीएआईएफ)

भारत का कृषि बाज़ार कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त है, जैसे बाज़ार का कमज़ोर अभिविन्यास, अधोसंरचना की कमी, मानसून पर निर्भरता और विपणन की संभावनाओं के बारे में अज्ञानता आदि। इन सबके मद्देनजर आंध्रप्रदेश के बीएआईएफ इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट (बर्ड) और कोलकाता के आईटीसी–एमएसके ने आंध्र के प्रकाशम् और गुंटूर जिलों में कृषि व्यवसाय केन्द्र (एबीसी) की शुरुआत की।

चयनित स्थानों में गुंटुर के विनूकोंडा, बोल्लापल्ली और एपूरू मंडल तथा प्रकाशम् के कुरिचेदु, दारसी तथा दोनाकोंडा मंडल के सूखा प्रभावित इलाके शामिल हैं। यहां ज्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं। मुख्य रूप से मिर्च, तंबाकू, लाल चना और अरंडी की खेती होती हैं।

एबीसी के साथ जुड़ने के लिए किसानों को एक ही बार सदस्यता शुल्क के रूप में 600 रुपए अदा करने होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य को 100 रुपए का मासिक शुल्क जमा करना होता है। यह योगदान एबीसी के कोष को समृद्ध करता है। इसका उपयोग विभिन्न तरह की गतिविधियों के लिए किया जाता है, जैसे–कृषि आदानों (खाद–बीज आदि) की सामूहिक खरीद, सामूहिक विपणन बचत आदि। आंतरिक ऋण और निमौली (नीम के बीजों) के संग्रहण, स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, खनिज–मिश्रण की बिक्री, मेड़ों पर चारे की उपज और वर्मी कंपोस्ट के निर्माण जैसी छोटी–छोटी गतिविधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है।

एबीसी की मूल अवधारणा एक बड़े समुदाय की उसके विचारों के साथ सक्रिय भागीदारी है। साथ ही कृषि आधारित गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य किसानों द्वारा संचालित हर केन्द्र को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा एबीसी किसानों को समूहों में संगठित करता है, इससे वे अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर लाभ लेने में सक्षम हो जाते हैं। वे समूह के रूप में जोखिमों का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं।

>> कस्टम केन्द्र के माध्यम से तंबाकू सिलाई मशीन

25 एबीसी का कोष अब 52.77 लाख रुपए तक हो चुका है। इसमें किसानों का योगदान 8.65 लाख रुपए का है, मासिक जमा पूंजी 4.54 लाख रुपए और परियोजना के माध्यम से उपलब्ध कराई गई चल पूंजी 39.58 लाख रुपए की है। यह कोष एबीसी को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है साथ ही किसानों और बाजार के संबंधों के विकास में भी यह मददगार है।

एबीसी ने आंतरिक ऋण की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की है। सदस्यों ने आपस में ही यह तय किया है कि ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर क्या होगी। चित्र–1 में वर्षवार आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं:–

चित्र–1–वर्षवार ऋण–वितरण और वसूली (दिसंबर 2012 तक)

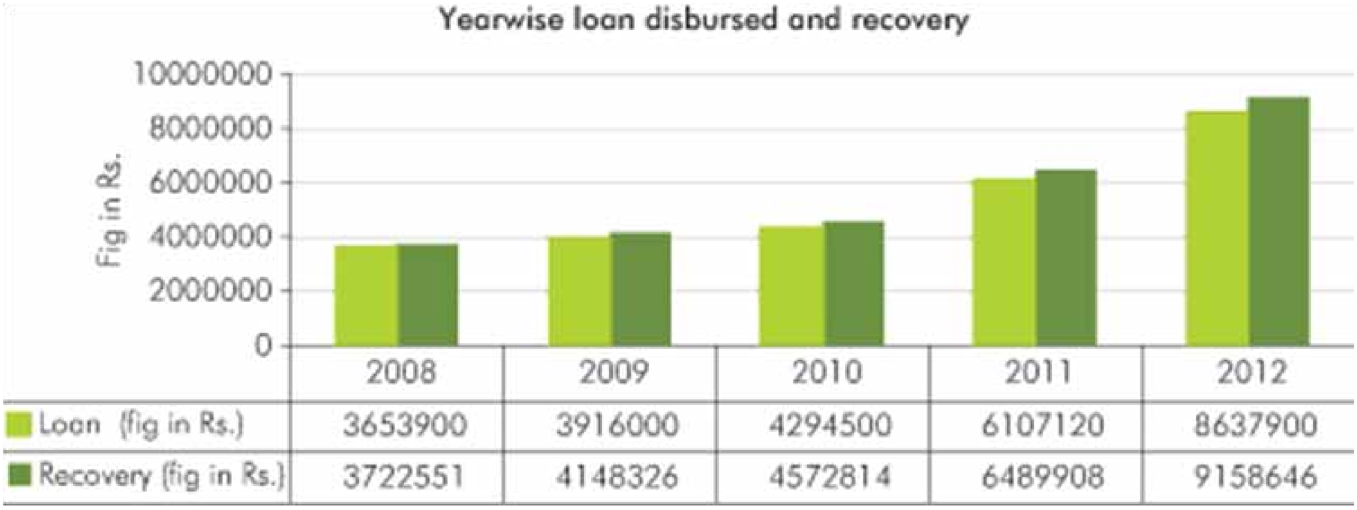

सभी एबीसी के अपने कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, जिनके पास उपलब्ध कृषि उपकरणों की सूची नीचे तालिका में दी गई है। एबीसी इन उपकरणों को एक निर्धारित शुल्क के तहत किराये पर उपलब्ध कराता है। प्राप्त हुई राशि को बचत–राशि में शामिल कर लिया जाता है।

तालिका–किराये पर उपलब्ध उपकरण

क्रमांक	उपकरण	ईकाई	ईकाई लागत	परिसंपत्ति मूल्य	प्रति ईकाई किराया	
					एबीसी	निजी
1	पाइप	1,345	650	8,74,250	3	7
2	ड्रम	443	700	3,10,100	10	20
3	स्पेयर	13	1,200	1,56,000	70	150
4	क्यारियां	12	1,300	15,600	20	-
	कुल	1,813	14,650	13,55,950		

सामूहिक खरीदी प्रक्रिया के तहत चुने हुए सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल व्यापारिक प्रतिष्ठानों का दौरा कर थोक में आदानों की खरीद करता है। इससे वे परिवहन में प्रति बोरे के हिसाब से 10 से 13 प्रतिशत रुपए तक की बचत कर लेते हैं, साथ ही गुणवत्तापूर्ण आदानों की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित कर लेते हैं।

>> खाद की सामूहिक खरीदी

>> एबीसी सदस्यों की क्षमता का विकास करते हुए

ग्राफ–खाद की खरीद में दरों का अंतर

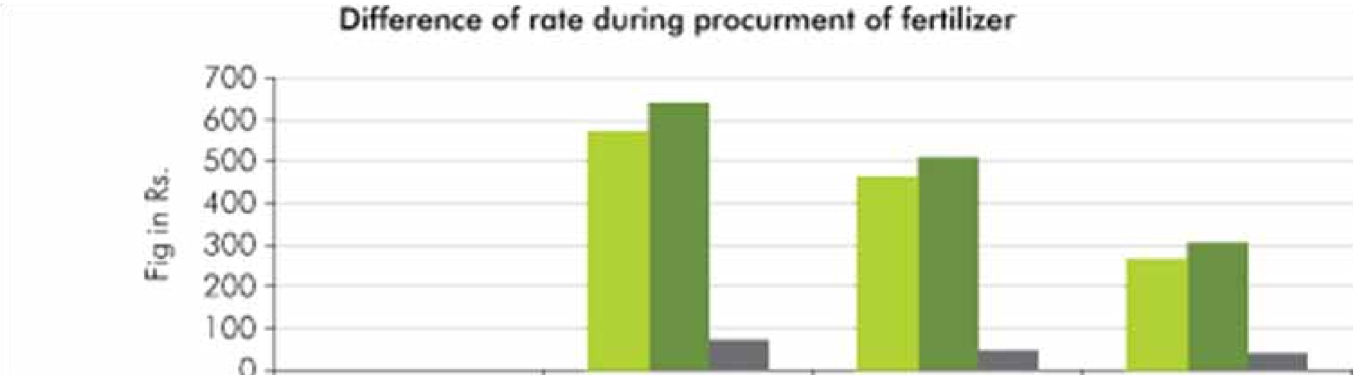

Fertilizer	Godavari DAP	Godavari 14-35-14	Nagarjuna Urea
Collective	568	463	265
Individual	640	510	305
Difference Rs./bag	72	47	40

वर्ष 2011–12 में प्रतिशतता में 43 प्रतिशत के उछाल और परिवहन लागत में 50 प्रतिशत की बचत के साथ सामूहिक विपणन (कलेक्टिव मार्केटिंग) ने सामूहिक खरीदी प्रक्रिया के सकारात्मक परिणाम को भी रेखांकित किया है।

इस मॉडल की सफलता का अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि छः वर्षों के भीतर एबीसी की संख्या एक से बढ़कर अब 25 हो चुकी है। इस समय सदस्यों की कुल संख्या 1,285 है। इस अवधारणा को देशभर में दोहराया गया है। वास्तव में इस मॉडल को पहले ही आंध्रप्रदेश के महबूबनगर जिले के दाम्रगिद्दा समूह में 25 सब्ज़ी उत्पादकों द्वारा अपनाया जा चुका है।

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– श्री लक्ष्मी रायथु व्यापार केंद्र, द्वारा–बारेड्डी, नागीरेड्डी, ग्राम–पार्वतीपुरम, विनुकोंडा मंडल, जिला–गुंटूर, आंध्रप्रदेश 522647। फोन : श्री बारेड्डी नागीरेड्डी– 09441537639।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बीएआईएफ), बीएआईएफ भवन, डॉ. मनीभाई देसाई नगर, वारजे, पुणे, महाराष्ट्र–411058। फोन : 020–25231661,64700562,64700175। ईमेल : baif@baif.org.inA वेबसाइट : www.baif.orgA

7.

पहाड़ी इलाकों में चारे का इंतज़ाम

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

भातवारी वैली एसोसिएशन

सहायता संसाधन संस्था (आरआई):

एप्रोप्रिएट टेक्नोल,जी इंडिया (एटीआई)

हिमालय की पहाड़ियों में बसा एक गांव है लाटा। उत्तरकाषी के दूरस्थ गांवों में से सबसे न्यारा गांव। वर्ष 2008 में डेयरी उपक्षेत्र कार्यक्रम के तहत यहां एक डेयरी महिला उत्पादक समूह का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य स्थायी रोज़गार को मजबूत करने के साथ–साथ डेयरी सेक्टर के ज़रिए एक विशाल अर्थव्यस्था का निर्माण था।

पहाड़ी इलाके में इस तरह की गतिविधियों के लिए हरे चारे की कमी एक प्रमुख बाधा थी। चारे के लिए पूरा समुदाय जंगलों पर ही आश्रित था। डेयरी को व्यवसाय के रूप में अपनाने में महिलाओं की हिचक का यह एक बड़ा कारण था। उन्हें लगता था कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था में उन्हें जंगल में ही बहुत समय खर्च करना पड़ेगा।

समूह ने महसूस किया कि डेयरी सेक्टर के लिए चारे की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है। काफी विचार विमर्श के बाद उसने चारे की कमी की समस्या से निजाद पाने के लिए रास्ता ढूंढ निकाला। यह रास्ता था वन–पंचायत की ज़मीन पर हरी घास की सामूहिक खेती। लाटा गांव के 48 सदस्यों वाले डेयरी उत्पादक समूह ने वन पंचायत की ज़मीन पर हरे चारे की सामूहिक खेती शुरू की। इससे अब काफी हद तक गांव के लिए चारे संबंधी आवश्यकता की पूर्ति किया जा पाना संभव हो गया। प्रारंभिक चरण में 3 से 9 टन पैदावार एक मौसम में होने लगी।

शुरुआत में गांव की महिलाओं को इस डेयरी उपक्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत पांच उत्पादक समूहों के रूप में संगठित किया गया। उत्पादकों को संगठित करने का उद्देश्य डेयरी सेक्टर के ज़रिए उन्हें अर्थव्यवस्था के अच्छे स्तर से जोड़ना था, ये उत्पादक अब तक परंपरागत आय–स्रोतों पर ही निर्भर थे और उनके जरिए केवल गुजर–बसर लायक ही आमदनी प्राप्त कर पाते थे। डेयरी उत्पादक समूहों के रूप में महिलाओं के संगठन ने व्यापार विकास सेवाओं (बीडीएस) के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसने उन्हें व्यापारिक गतिविधियों की ओर कदम बढ़ाने में भी मदद की। इन्हीं समूहों ने वन पंचायतों से बातचीत करके चारे की स्थायी खेती शुरू करने की पहल की। इस तरह उन्होंने चारे की समस्या के स्थायी समाधान की ओर ध्यान दिया।

>> चारे की खेती के लिए बंजर भूमि का उपयोग

>> वन पंचायत में संसाधन प्रबंधन

वन पंचायत की भूमि पर बारहमासी घास के सामूहिक व्यापारिक उत्पादन से डेयरी उत्पादकों को अतिरिक्त आमदनी का ज़रिया प्राप्त हो गया। चारे के उत्पादन में हुई बढ़ोतरी ने दूध के उत्पादन पर भी अच्छा प्रभाव डाला। इस वजह से डेयरी उत्पादक एक स्थायी और अच्छी आमदनी प्राप्त करने में सक्षम हो सके। उनके सामने एक उदाहरण भी था कि कैसे सामूहिक प्रयासों से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अब उन्हें चारे के इंतजाम के लिए जंगल में कीमती समय नष्ट करने की जरूरत नहीं रही। इस तरह बचे हुए समय का उपयोग अब वे अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश के लिए कर पाने में सक्षम हो गए। उन्होंने जहां भूमि पर लगने वाले अपने श्रम की बचत की है, वहीं वन पंचायतों के संसाधनों के प्रबंधन के ज़रिए अपनी स्थायी आजीविका का इंतजाम भी किया है।

महिलाओं पर काम के बोझ को हल्का करने और वन्य संसाधनों पर दबाव कम करने के उद्देश्य से समूह द्वारा स्टाल–फीडिंग सिस्टम अपनाया गया। इससे उनमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की निपुणता आई है। हरे चारे के विकास की दिशा में किए गए इन प्रयासों का अच्छा प्रभाव पड़ा है। मानसून के दौरान मिट्टी के कटाव की तीव्रता को कम करने में भी मदद मिली है। चारे की व्यावसायिक खेती से अब डेयरी उत्पादक 20 से 30 हजार रुपए सालाना आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह दूध बेचकर वे हर महीने एक हजार से बारह सौ रुपए तक कमा लेते हैं।

पहाड़ी भूमि पर खेती को लेकर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई के लिए प्रकृति पर निर्भरता। इसके अलावा और भी दिक्कतें हैं, जैसे पशुओं द्वारा फसलों को नश्ट किए जाने का खतरा, बिखरे हुए जोत और मुष्किलों से भरे इलाके। इन्हीं सब वजहों से खेती संबंधी गतिविधियां प्रभावित होती हैं, उनका प्रसार नहीं हो पाता। इन समस्याओं का एक ही जवाब है, उन गतिविधियों का व्यवसायीकरण जिनकी बदौलत लोग अपना निर्वाह करते हैं। परती भूमि का चारे की पैदावार के लिए उपयोग करके महिलाओं के संगठन अब कुछ आमदनी प्राप्त करने के काबिल हो गए हैं। बुनियादी ढांचे के निर्माण में उन्हें पशु चिकित्सा विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे बाड़ लगाने और भूमि के विकास में। इससे चारा संबंधी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। इस व्यावसायिक मॉडल को कई वन पंचायतों में दोहराया गया है, जहां समुदायों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किया जा रहा है। इसने समुदाय आधारित संगठनों के पुनरोद्धार के लिए प्रेरित भी किया कि वे अपने अनुपयोगी संसाधनों का इस्तेमाल करके आमदनी में इजाफा करें, साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

i|jLdkj/lEeku ¼;fn dkbZ gks rks½

महिलाओं की डेयरी सहकारी संस्था को प्रशासन से मान्यता प्राप्त है। पशु चिकित्सा विभाग ने उन्हें उनके सफल प्रयास के लिए 50,000 रुपए देकर सम्मानित किया है। महिला डेयरी उत्पादकों को अन्य विभागों द्वारा भी मशीनों और उपकरणों के संबंध में मदद की गई है।

>> सामूहिक कार्य करने के लिए इकट्ठी गांव की महिलाएं

>> वाणिज्यिक चारा गतिविधि के लिए भूमि का विकास

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- भातवारी वैली एसोसिएशन, ग्राम–लाटा, जिला–उत्तर काशी, उत्तराखंड।
फोन : भरत सिंह नेगी–09012155044।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण- एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया (एटीआई), मंदिर मार्ग, गुप्तकाशी, जिला–रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड–246439।
फोन : 01364–267355। ईमेल : admin@atindia.orgA वेबसाइट % www.atindia.orgA

8.

नयी तकनीक ने घटाई उत्पादन की लागत

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः
जुन्नर तालुका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सहायक संसाधन संस्था (आरआई):
वेजिटेबल ग्रोवर्स एसोसिएशन अ,फ इंडिया (वीजीएआई)

रिले क्रॉपिंग एक ऐसी नई तकनीक है, जिसे अपना कर किसान अपनी आमदनी में इज़ाफा कर सकते हैं। इसके ज़रिए वे भूमि तैयार करने और खेती की लागत को कम कर सकते हैं। कटाई की इस तकनीक के ज़रिए जहां किसानों ने श्रम लागत कम करने में सफलता पाई है, वहीं श्रम दक्षता भी हासिल की है। यह तकनीक उन जटिलताओं से भी बचाती है, जो एक फसलीय खेती की विफलता की वजह से उत्पन्न होती है। इसमें वह क्षमता है कि किसानों को यह बाज़ार में उसके उत्पाद का अच्छा मूल्य दिला सकती है। चार से छः महीनों की अवधि में दो–तीन फसलें पैदा करने में सक्षम होने की वजह से यह तकनीक किसानों को बाज़ार के अस्थिर मूल्यों का सामना करने लायक बना देती है। इससे वे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रौद्योगिकी के द्वारा अपनाई गयी विधि के अंतर्गत, फसलों के विभिन्न श्रेणियों को लिया जाता है और लगातार एक पंक्ति, या रिले में लगाए जाते हैं। दूसरी फसल पहली फसल काटने के 20–30 दिनों के बाद उसी भूमि पर बोयी जाती है, और एक समान विधि फिर तीसरी फसल के लिए भी की जाती है। उदाहरण के लिए, तीन फसलों, का उदाहरण लें, पहला टमाटर, दूसरा ककड़ी और तीसरा लोबिया। इस प्रक्रिया के तहत, तीसरी फसल (लोबिया), ककड़ी काटने के 20–30 दिन बाद लगायी जाती है और यही विधि फिर पहली फसल के लिए दोहराई जाती है।

यदि मिट्टी–जनित रोगों को नियंत्रित कर लिया जाए तो इस पद्धति को कई गुना ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसी ही एक सावधानी क्यारियां बनाते समय बरतनी चाहिए, गोबर अथवा कचरे की–खाद के साथ ट्रायकोडर्मा के रेशों को मिला दिया जाना चाहिए। यह अनुप्रयोग ड्रिपिंग की प्रक्रिया के ज़रिए किया जाना चाहिए। इसे 15–15 दिनों के अंतराल में दोहराए जाने की जरूरत है।

>> रिले फसल प्रणाली

इस तरह का अनुप्रयोग किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। इसने खेती की लागत को सफलतापूर्वक कम कर दिया है। किसान अपने कीमती समय और धन की बचत करने में कामयाब हुए हैं। किसानों को उनकी जमीन पर फसल संयोजन के बारे में निश्चिंत कर, इस तरह की अवधारणा को हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में दोहराया जा सकता है। देश के विभिन्न इलाकों में कई किसानों ने अपने खेतों में इस तकनीक को पहले ही अपना रखा है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में पुणे के करीब नारायणगांव में सैकड़ों एकड़ में इसी तकनीक से खेती की जा रही है। इसके आसपास के अन्य इलाकों में भी ऐसा ही किया जा रहा है।

इस तरह यह तकनीक किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। पहली बात तो यह कि यह तकनीक पूरी तरह उपयुक्त है और इसका इस्तेमाल दूसरे स्थानों पर भी किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि यह लागत में कटौती करके किसानों की आमदनी को दो–तीन गुना बढ़ाने में मदद करता है। और तीसरी बात यह कि चार से छः महीनों में दो–तीन तरह की फसलें पैदा करके किसान बाजार मूल्य की अस्थिरता से अपने लाभ को बचाने में कामयाब हो जाते हैं।

>> सोया सूरजमुखी

>> एक खेत में गोभी – मक्का – कद्दू

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पताः जुन्नर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, नरियनगांव, तालुका–जुन्नर, जिला–पुणे, महाराष्ट्र।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरणः वेजिटेबल ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वीजीएआई), द्वारा– परमानंद, कोऑर्डिनेटर, आईकान बिल्डिंग, निदान अस्पताल के पास, नासिक रोड, नारायणगांव, तालुका– जुन्नर, जिला– पुणे, महाराष्ट्र 411005। फोन : श्रीराम गाधवे– 07588031777। ईमेल : vegetablegrowersassociation@yahoo.comA

9.

महिला किसान उपजा रहीं हैं मसालों के बीज

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

कीर्तिनगर वैली एसोशिएसन

सहायक संसाधन संस्था (आरआई)

एप्रोप्रिएट टेक्नोल,जी, इंडिया (एटीआई)

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, उत्तराकाशी और पौड़ी गढ़वाल जिलों में मसालों की खेती एक नयी बात है। यह उन मांगों को पूरा करने के लिए शुरू की गई जो स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों से पैदा हुई। ये समूह कम श्रम में अधिकतम आमदनी और कम मात्रा में उच्च मूल्य की फसलों के उत्पादन की दिशा में प्रयासरत हैं। 500 उत्पादक समूहों के रूप में 4500 से ज्यादा उत्पादक किसान एकजुट हुए। इनका लक्ष्य इन पहाड़ी जिलों में जैविक मसालों की खेती था। उनकी प्रमुख चुनौतियों में से एक थी गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता। षुरुआत में बीजों के लिए न केवल बाहरी स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, बल्कि वे महंगे होने के साथ–साथ अपर्याप्त भी थे। इससे उत्पादन के वांछित स्तर को छुआ नहीं जा सकता था।

इस बाधा से निपटने के लिए इस समूह की महिलाएं एक अनूठे समाधान के साथ आगे आईं। उन्होंने खुद के लिए, खुद ही बीजों के उत्पादन का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ क्षेत्रों को इसके लिए, चिन्हित कर लिया। इसके लिए, कुछ समूह सदस्यों का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया, और अन्य लोगों को अधिकृत किया गया कि वे उनसे लागत मूल्य पर बीजों की खरीदी करें। इस प्रकार 35 महिला, मसालों के बीजों के उत्पादन में जुट गईं। करीब 7 हेक्टेयर सामूहिक भूमि पर बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। 230 पहाड़ी गांवों को बीज उत्पादन की इस प्रक्रिया में शामिल किया जा चुका है। उन्हें जैविक खेती के तौर–तरीके बताए गए खेतों और बीजों समेत जैविक आदानों के बारे में बताया गया।

टिहरी गढ़वाल जिले के मालुपानी गांव में 11 सदस्यों वाले समूह ने समान पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीजों के उत्पादन का प्रयोग शुरू कर दिया है। मसालों के उत्पादक किसानों को बीजों के लिए पूरी तरह बाहरी स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, उन्हें अनुमानित रूप से 302 क्विंटल बीजों की आश्यकता होती थी, अब इतने ही बीजों का उत्पादन 35 महिला कृष्क कर रही हैं। समूहों और व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं (बीएसपी) को एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया (एटीआई) की टीम द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। क्षेत्रों में एक गैर–सरकारी संगठन और कई विशेषज्ञ–संस्थाएं काम कर रही हैं। महिलाएं अब अपने समूहों के लिए व्यापारिक सेवा प्रदाताओं की भूमिका निभा रही हैं।

>> बीज की खेती के लिए आरक्षित सामूहिक भूमि

>> बीज उत्पादन के लिए प्रायोगिक भूमि

बीजों का उत्पादन एक नये तरह की गतिविधि है। इसके ज़रिए व्यापारिक सेवा प्रदाता (बीएसपी) को 28,000 रुपए सालाना आमदनी होने की उम्मीद है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में बीजों की पैदावार होने से मसाला उत्पादक किसानों की गुणवत्तापूर्ण बीजों तक पहुंच बेहतर हुई है। जैविक खेती बीजों को स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक ज्यादा फायदेमंद बनाती है। इसकी निगरानी ज्यादा सतर्कता के साथ की जा सकती है।

वर्तमान में बीज उत्पादन के इस प्रयोग को इन सभी पाँच जिलों, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, उत्तरकांशी, और पाडरी गढ़वाल के गांवों में अपना लिया गया है। पहाड़ियों में ज्यादातर सीमांत किसान हैं और उनके जोत छोटे तथा बिखरे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर वर्षा प्रभावित हैं। इसीलिए इन किसानों को खेती में ज्यादा लागत और श्रम की जरूरत होती है। यदि बीज गुणवत्तापूर्ण हों तो इससे खेती की लागत को कम करने में बड़ी मदद मिलती है, साथ ही उत्पादन भी बढ़ जाता है। किसानों की आमदनी बढ़ जाती है। इसी आधार पर अन्य उत्पादक समूहों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे इसी तरह की कृषि–परिस्थितियों में बीज उत्पादन के इस मॉडल को दोहराएं। अन्य स्रोतों से मिलने वाले बीजों की तुलना में कम कीमत और अधिक भरोसेमंद गुणवत्तापूर्ण बीजों तक अपनी पहुंच बढ़ायें। वर्तमान में क्षेत्र के 34 गांवों में बीजों का उत्पादन हो रहा है।

>> बीज की खेती के लिए आरक्षित सामूहिक भूमि

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– कीर्तिनगर वैली ,एसोसिएशन, ग्रामः मालुपानी, कीर्तिनगर, जिलाः टिहरी गढवाल, देहरादून, उत्तराखंड। फोन : श्रीमती संगीता देवी– 8937411038 । श्रीमती बासु देवी– 9756361221।

संसाधन संस्था का सपंर्क विवरण– एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया (एटीआई), मंदिर मार्ग, गुप्तकाशी, जिलाः रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड–246439। फोन : 01364–267355। ईमेल : admin@atindia.orgA वेबसाइट : www.atindia.orgA

10.

उत्तराखंड की महिलाओं ने खोली प्रोड्यूसर कंपनी

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

देवभूमि नैचुरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (डीएनपीपीसीएल)

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया (एटीआई)

देवभूमि नैचुरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी (डीएनपीपीसीएल) एक सामुदायिक स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका उद्देश्य उद्यम के ज़रिए, सक्षमता हासिल करना है। अपनी आंतरिक गतिविधियों को और तेज करना ही इसका लक्ष्य है, जैसे— रेशम उत्पादन, जैविक शहद संग्रहण, जैविक मसालों का उत्पादन और परिस्थितिकी पर्यटन आदि। उत्तराखंड के दूर—दराज के गांवों में ये गतिविधियां संचालित हैं। डीएनपीपीसीएल 4,500 छोटे उत्पादकों के साथ मिलकर काम करती है। इनमें से 3,500 शेयर धारक हैं, जो इनमें से कुछ उत्पादों की व्यावसायिक स्तर पर खेती कर रहे हैं। उत्तराखंड के पांच जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और पौढ़ी गढ़वाल के 450 अति—दूरस्थ गांवों तक ये गतिविधियां फैल चुकी हैं।

>> ओक टसर रेशम

डीएनपीपीसीएल की कोशिश इन सभी क्षेत्रों में उन बुनियादी सुविधाओं के विकास की है, जिनसे छोटे उत्पादकों को उच्च मूल्य श्रृंखला की ओर ले जाया जा सके। वर्ष 2011—12 में कंपनी ने 1—7 लाख रु. का सालाना कारोबार करने में सफलता पाई थी। इस पहल की वजह से 4,500 छोटे उत्पादकों को अब उनके उत्पादों की सही कीमत मिल पा रही है। इनमें से ज्यादातर महिलाऐं हैं। उन्होंने जैविक मसालों, जैविक शहद, रेशम उत्पादन के लिए प्राथमिक तौर पर प्रसंस्करण सुविधाएं हासिल करने जैसे अभिनव कदम उठाये हैं। इस पूरी प्रक्रिया से छोटे उत्पादक ज्यादा सक्षम हुए हैं। इससे प्रसंस्करण के तरीकों में सुधार आया है और मूल्य संवर्धन में भी मदद मिली है। उत्पाद की छंटाई, श्रेणीकरण, साफ—सुथरे भंडारण और परिवहन में भी उन्हें सहायता मिली है।

>> देवभूमि रेशम की शॉल

कंपनी ने विपणन के लिए देषभर में एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। हिमालय क्षेत्रों के इन प्रमाणिक जैविक उत्पादों के साथ राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी लगातार मौजूदगी की दिशा में वह काम कर रही है। दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण–उत्पादों को मुख्य बाज़ार तक पहुंचाया गया है। शहद और मसालों जैसी व्यापारिक–फसलों की खेती शुरू करने के साथ ही उत्पादक डीएनपीपीसीएल के शेयर धारक हो जाते हैं, और फिर कंपनी मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में उनकी मदद करती है। इसीलिए फिर वे अपने आप को केवल आपूर्ति की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रखते। मूल्य श्रृंखला में वृद्धि की इस मुहिम के जरिए हर महीने 2000 से 5000 रु. की आर्थिक वापसी सुनिश्चित की गई है। घर–घर तक संग्रहण, भंडारण, परिवहन, उत्पादों के प्राथमिक प्रसंस्करण में कंपनी उत्पादकों की पहुँच बहुत मदद करती है। मूल्य श्रृंखला आधारित गतिविधियों के लिए उन्हें बुनियादी अधोसंरचना उपलब्ध कराती है। आज देवभूमि ब्रांड एक जाना–पहचाना नाम है और इसके उत्पाद बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं–खासतौर पर प्रमाणित जैविक शहद। रेशम उत्पादन करने वाली इसकी शाखा ओक–टसर का अनूठा मिश्रण बुनती है। यह शाखा रेशम–पालन के साथ–साथ कोकूनों से धागे निकालने का काम करती है। इस शाखा द्वारा तैयार धागों का इस्तेमाल शॉल, स्वेटर, स्कार्फ आदि बनाने में किया जाता है। इन धागों से तैयार होने वाले कपड़े बेहद लोकप्रिय हैं। ऊंची कीमतों वाले जैविक मसालों और राजमा की पैदावार, प्रसंस्करण तथा विपणन भी कंपनी द्वारा की जाती है। पारिस्थितिकी पर्यटन के तहत कंपनी का एक अनुभाग पर्यटकों को उत्तराखंड की जीवनशैली, संस्कृति और प्राकृतिक संपन्नता से परिचित कराता है। और इस काम में अतिथियों की विलासिता सुविधाओं अथवा आराम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाता। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन को कम से कम नुकसान हो।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि डीएनपीपीसीएल ने छोटे किसानों के बाज़ार पर आधारित विकास के लिए कृषि–व्यवसाय का एक व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत किया है। सीमांत किसानों के लिए स्थायी बाज़ार के विकास के लिए इस कंपनी ने अपनी सार्थकता साबित की है। दूरदराज के क्षेत्रों में बाज़ार की मुख्यधारा से जुड़ने में कृषि कई तरह की चुनौतियां पेश करती हैं। एक मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने में भी कई तरह की समस्यायें झेलनी पड़ती हैं। परिचालन और प्रबंधन संबंधी मदद के ज़रिए अब छोटे किसानों के कई उत्पादक संगठन (एफपीओ) बाज़ार की प्रतिस्पर्धा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब हुए हैं। वे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मॉडल आवश्यक कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम है। नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रुरल डेवलपमेंट (एनबीएआरडी) और फ्रेंड्स आफ वुमन्स वर्ल्ड बैंकिंग (FWWB) छोटे किसानों को मदद मुहैया कराती है।

पुरस्कार/सम्मान (यदि कोई हो तो)

जनवरी 2013 में डीएनपीपीसीएल को सिटी बैंक फाउंडेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्यम पुरस्कार से नवाज़ा गया है। कंपनी को 8–5 लाख रु. का नकद पुरस्कार दिया दिया गया।

>> nolHkfe fjl?ky f'kYi

>> çekf.kr tSfod 'kgn

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– देव भूमि नैचुरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड, ओल्ड एसबीआई लेन, प्लॉट–15, मोहाबेलावाला इंडस्ट्रीयल एरिया, देहरादून–248002, उत्तराखंड। फोन : 0135–2641504,263980। ईमेल : sales@devbhumi.comA वेबसाइट : www.devbhumi.com A

सहायक संस्था का पता– एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया (एटीआई), मंदिर मार्ग, गुप्तकाशी, जिलाः रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड–246439। फोन : 01364–267355। ईमेल : admin@atindia.org A oc lkbV % www.atindia.org A

11.

डेयरी ने खोला सशक्तिकरण का रास्ता

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः
मदमहेश्वर वैली एसोसिएशन
सहायक संसाधन संस्था (आरआई):
एप्रोप्रिएट टेक्नोल,जी इंडिया (एटीआई)

पहाड़ी इलाकों में डेयरी सेक्टर का विकास उतना ही कठिन है, जितना कि खेती। इससे जुड़ी महिलाएं कम आमदनी से उबर ही नहीं पातीं। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ का उदाहरण लें, यहां की महिलाएं खेती के पारंपरिक तौर–तरीकों पर निर्भर हैं। अपनी आजीविका के लिए वे पशुपालन भी करती हैं। दोनों ही कामों में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जो आमदनी होती है, वो इस मेहनत के अनुरूप नहीं होती। कहा जाता है कि डेयरी का व्यवसाय, कृषि व्यवसाय जैसा ही है। ज्यादातर परिवारों द्वारा दूध का उत्पादन स्वयं के उपयोग के लिए ही किया जा रहा है।

इस निराशाजनक स्थिति से निपटने के लिए रुद्रप्रयाग के उखीमठ विकासखंड में डेयरी उत्पादक समूहों ने, डेयरी व्यवसाय को सामूहिक रूप से अपनी स्थायी आजीविका के साधन के रूप में तब्दील करने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेस (बीडीएस) का नज़रिया अपनाया। समूहों ने कई नये कदम उठाए– जैसे, पशुओं के झुंडों का उन्नयन, चारे की सुविधाओं का विकास (घास और वृक्षों से प्राप्त चारे), दूहने की प्रक्रिया और पशुओं के स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल आदि। इन सबका उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इस दूरस्थ पहाड़ी इलाके में युवाओं के लिए रोज़गार के नये अवसर पैदा हो गए।

इस पहल की वजह से गांव की महिलाओं ने समूहों का गठन किया और दूध का व्यापार शुरू कर दिया। दूध के संग्रहण के लिए नेटवर्क का चयन उन्होंने खुद ही किया। उत्पादन बढ़ने का साथ ही उत्पादकों ने दूध संग्रहण की गतिविधियों का विस्तार किया। इसमें अन्य गांवों को भी शामिल किया गया। इकट्ठा किए गए दूध की बिक्री पास के शहरों में की जाने लगी। दूध की विपणन ने व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं (बीएसपीज़) और खाद–तकनीक सेवा प्रदाताओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। बीएसपीज़ ने डेयरी उत्पादकों को घर–घर तक पहुँचाने की सेवा उपलब्ध कराने में सक्षमता हासिल कर ली है। महिला

>> पशु पालन

>> कलेक्टर के माध्यम से दूध ट्रेडिंग

किसानों ने अब डेयरी व्यवसाय में हो रहे सुधारों को अपना लिया है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सेवाओं में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

महिलाओं द्वारा अपनाए गए नज़रिये ने दूग्ध उत्पादन को एक व्यावसायिक–स्तर पर व्यावहारिक बना दिया है। परिणाम स्वरूप अब वे हर महीने 800 लीटर दूध बेचकर महीने में 3,000 रुपए की आमदनी प्राप्त कर रही हैं। इसी तरह बीएसपीज़ 3,000–10,000 रुपए की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।

आज उखीमठ के 32 गांवों की 200 महिलाओं ने दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि पहाड़ी इलाकों में डेयरी भी व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक हो सकता है। इस सफलता के पीछे 7 बीएसपीज़ की मौजूदगी भी है, जो इस लाभदायक रोज़गार में लगे हुए हैं। अब तक जो कुछ किया गया, वह इन दूर दराज के गांवों के लिए एक सपना ही था।

इस सफल व्यापार–मॉडल को रुद्रप्रयाग के अन्य इलाकों में भी अपनाया गया है। दूसरे जिलों के उत्पादकों ने भी दुग्ध उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में संगठित प्रयास के लिए बीडीएस का मार्ग अपना लिया है। समुदाय आधारित व्यापार माडल ने न केवल डेयरी क्षेत्र को उन्नत करने का अवसर दिया है, साथ ही महिलाओं के लिए सम्मानजनक आमदनी अर्जित करने और आत्मनिर्भर बनने का नया रास्ता भी खोला है। इसका समाजिक प्रभाव यह है कि इस व्यापार मॉडल ने पुरुषों के परंपरागत नज़रिये में बदलाव भी किया है। यह साबित हुआ है कि महिलाओं की आर्थिक उन्नति, उनके सशक्तिकरण का एक औज़ार है।

पुरस्कार/सम्मान (यदि कोई हो तो)

उन्नत पशु पालन और डेयरी के बेहतर संचालन के लिए स्थानीय पशुपालन विभाग द्वारा अनेक उत्पादकों को सम्मानित किया गया है। अनेक विकास एजेंसियों ने इस इलाके का दौरा किया है–और उन्होंने देखा है कि डेयरी क्षेत्र में बीडीएस मॉडल का हितग्राहियों पर कैसा सकारात्मक असर हुआ है।

>> एसोसिएशन की बैठक

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– मदमहेश्वर, वैली एसोसिएशन, उखीमठ विकासखंड, जिला रुद्रप्रयाग–, उत्तराखंड।
फोन : श्री गोपाल सिंह– 9690082388, 8057099356।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया (एटीआई), मंदिर मार्ग, गुप्तकाशी, जिलाः रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड–246439। फोन : 01364–267355। ईमेल : admin@atindia.org A वेबसाइट : www.atindia.org A

12.

उन्नत तकनीक से दाल का उत्पादन

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

बिरधा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

इंटरनेशनल ट्रेसेब्लिटी सिस्टम्स लिमिटेड (आईटीएसएल)

बुंदेलखंड के अत्यंत पिछड़े हुए दो जिलों, झांसी और जालौन में, उड़द की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए एक नयी तकनीक अपनाई गई है। ये दोनों ही जिले कृषि–प्रधान हैं, सिंचाई के लिए वर्षा पर आश्रित हैं, अविकसित हैं और अन्य ज़िलों की तुलना में यहां निवेश बहुत कम है। कमज़ोर बाज़ार और उससे कमज़ोर संबंध इस इलाके की सबसे बड़ी खामी है, उन्नत तकनीकों का भी आभाव है। कमज़ोर अधोसंरचना की वजह से उत्पादकता बहुत कम है। यहां की ज़मीन पथरीली हैं। जिसकी वजह से भूमिगत जलस्त्रोत अपर्याप्त है। खेती के लिए आवश्यक सिंचाई का पानी मानूसनी वर्षा से ही मिल पाता है। गर्मी के दिनों में यहां का तापमान 45–47 डिग्री तक जा पहुंचता है, जबकि जाड़े में यह 0–1 डिग्री तक गिर जाता है। इन परिस्थितियों के बावजूद इन दोनों ही ज़िलों की ज़मीनें दालों के उत्पादन के लिए अनुकूल पाई गई हैं।

दोनों ही ज़िलों के किसान उस आधुनिक तकनीकी सहायता से वंचित थे, जिसकी आवश्यकता दालों की उच्च उत्पादकता के लिए होती है। किसानों की दुर्दशा को देखते हुए इंटरनेशनल ट्रेसेब्लिटी सिस्टम्स लिमिटेड ने एक व्यावहारिक समाधान के रूप में किसानों के सामने दाल उत्पादन की एक तकनीक प्रस्तुत की। इस तकनीक में ट्रैक्टरों का सही वैज्ञानिक इस्तेमाल, बीज एवं खाद की जांच, बीजों की बुवाई के लिए सही गहराई और संतुलित खाद के लिए सही मिश्रण की जानकारियां शामिल हैं।

खरीफ की दालों के लिए ब्रॉडकास्टिंग की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह न तो वैज्ञानिक है और न ही फायदेमंद। आईटीएसएल ने बीज–खाद समेत जुताई की प्रक्रिया में उड़द की कतार बोनी शुरू की। इससे एक सकारात्मक परिवर्तन आया। किसानों ने इस पद्धति की न सिर्फ सराहना की बल्कि इसे अपना भी लिया। इस प्रकार इस तालिका में देखा जा सकता है कि 3.46 क्विं प्रति हेक्टे. और 3.04 क्विं प्रति हेक्टे. का बदलाव झांसी और जालौन जिलों में लाया जा चुका है।

>> उड़द की फर्टी– ड्रिल के माध्यम से बुआई

कुछ उत्साहजनक आंकड़ों पर एक नज़र –

जिला	*क्षेत्र (एकड़ में)*	*उत्पादकता का वर्तमान औसत (क्विंटल/ हेक्टेयर)*	*औसतन हासिल उत्पादकता (क्विंटल/ हेक्टेयर)*	*सकारात्मक बदलाव (क्विंटल/ हेक्टेयर)*
>kalh	100	5.22	8.68	3.46
tkykSu	100	5.22	8.28	3.04

इस नयी तकनीक का सबसे बड़ा प्रभाव उत्पादन में वृद्धि के रूप में नज़र आया। उपज में 58–66 प्रतिशत तक का इज़ाफा हुआ। परिणामस्वरूप लागत और लाभ के अनुपात में आए सकारात्मक बदलाव की वजह से इसका प्रभाव किसानों के जीवनस्तर पर भी पड़ा। उड़द की खेती और राइजोबियम कल्चर, ट्राइकोडर्मा कल्चर और पीएसबी कल्चर के उपयोग से ज़मीन की सेहत में भी सुधार हुआ। कतार बोनी की वजह से भूजल स्तर में भी इजाफा हुआ और खरपतवारों की वृद्धि में भी कमी आई। बुवाई के 15–20 दिनों बाद खरपतवारनाशी का उपयोग खरपतवार के नियंत्रण के लिए काफी कारगर साबित हुआ। हाथों से खरपतवार उखाड़ने के मुकाबले यह उपाय ज्यादा सस्ता नज़र आया।

यह देखा गया है कि इस तकनीक की संभावनाएं विस्तृत हैं, लेकिन इसे और भी सुस्पष्ट नज़रिए के साथ लागू करने के लिए निम्न कारकों पर ध्यान देना होगा–

1. उपयुक्तता– इस नये प्रयोग से क्षेत्र के किसान संतुष्ट हुए थे। छोटे और सीमांत किसानों के साथ–साथ यह तकनीक बड़े किसानों और अन्य कृषक समुदायों द्वारा भी अपनाई गई।

2. दोहराव– इसे अन्य जिलों में भी सफलतापूर्वक दोहराया गया। उदाहरण के लिए, ललितपुर के किसान अब बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए सक्षम हो चुके हैं, वे अपनी उपज का उच्च लाभकारी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। लगभग उन सभी किसानों ने, जिन्होंने यह तकनीक अपनायी, अन्य समुदायों द्वारा भी इसे अपनाए जाने के पक्ष में अपनी राय दे रहे हैं।

3. अनुप्रसार– प्रारंभ में इस तकनीक का मोटे तौर पर परीक्षण झांसी और जालौन जिलों में 200 एकड़ में किया गया था। लेकिन इसके उत्साहजनक नतीजों ने किसानों के बीच इसका अनुप्रासार कर दिया। ललितपुर जिले में किसानों ने इसे अतिरिक्त 100 एकड़ में अपनाया। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी इसे अपनाया गया।

4. स्थिरता– इस तकनीक में काले उड़द की जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ठीक करने में मदद करती हैं। फसल के अवषेश मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाते हैं, साथ ही उसकी खाद में भी वृद्धि करते हैं। यह खाद–पानी के उपयोग की दक्षता भी बढ़ाता है। जल–धारण की बेहतर क्षमता, कार्बो–नाइट्रोजन के बेहतर अनुपात और दाल उत्पादन की सहनशील प्रणाली के साथ बुंदेलखंड में इस नयी तकनीक को अधिक टिकाऊ पाया गया है।

>> उड़द की फसल की लाईन दिखती हुई

>> साफ और उच्च दर्जे की उड़द की दाल

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– बिरधा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिला: ललितपुर, उत्तरप्रदेश–0284403।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– इंटरनेशनल ट्रेसेब्लिटी सिस्टम लिमिटेड (आईटीएसएल), बिल्डिंग नं. 261, सेकंड फ्लोर, ओखला, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, फेस–3, नई दिल्ली–110020। फोन : 011–43279100। ईमेल : info@agritrace.inA वेबसाइट : www.itsltd.in A

13.

पहाड़ी इलाकों में शहद की मूल्य श्रृंखला का विकास

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः
निजमुला एंड मंडल वैली एसोसिएशन

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):
एप्रोप्रिएट टेक्नोल,जी इंडिया (एटीआई)

पर्वतीय क्षेत्रों के किसान लंबे अरसे से मधुमक्खी पालन की परंपरागत गतिविधियों में लगे हुए हैं, हालांकि ये गतिविधियां केवल जीवन–यापन के स्तर तक ही सीमित रही हैं और वस्तु–विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था का हिस्सा रही हैं। ये गतिविधियां हमेशा अव्यावसायिक रही और इन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। औषधीय तथा धार्मिक रीति–रिवाजों में प्रयोग के लिए अथवा घरेलू इस्तेमाल के लिए ही शहद का संग्रहण किया जाता रहा। उत्तराखंड में काम कर रहे एक एनजीओ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया (एटीआई) ने पहाड़ी इलाकों में शहद की मूल्य श्रृंखला की संभावनाओं का प्रदर्शन किया। उसने प्राथमिक शहद उत्पादकों से इस उद्यम का हिस्सा बनने के लिए विचार–विमर्श शुरू किया। उत्पादकों को इस मॉडल में कई तरह के आर्थिक फायदे नज़र आए। शहद संग्रहण के क्षेत्र में एक बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए उन्होंने खुद को समूहों में संगठित कर लिया। वे कई तरह के नवीन विचारों से परिचित हुए–जैसे छत्ते की दीवारें कैसे विकसित की जाएं, सुरक्षित रूप से शहद कैसे इकट्ठा किया जाए, मौसमी मधुमक्खी प्रबंधन और मधुमक्खियों के प्रजनन की तकनीक–ये सभी जैविक शहद की मूल्य श्रृंखला के लिए खतरों को कम करने में सहायक थे। जैविक–क्षेत्र के आदर्ष प्रयोगों की जानकारियों और सूचनाओं से लैस होकर अब वे जैविक उत्पादन प्रणाली विकसित करके सक्षम और सुरक्षित हो गए हैं। यह उत्तराखंड में शहद के लिए पहली जैविक प्रमाणिकता है।

>> सुरक्षित शहद निकालने की विधि

उत्पादक समूहों में विभिन्न गांवों में फैले 2,422 शहद उत्पादक शामिल हैं। उन्होंने अपने उत्पादन में बढ़ोतरी की है और मौजूदा 12 व्यावसायिक प्रदाताओं (बीएसपीज़) के साथ सहयोग विकसित किया है, जो व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हैं, जैसे– मधुमक्खी पालन के लिए पेटियों का निर्माण, मधुमक्खियों की आपूर्ति, छत्तों का रख–रखाव और मधुमक्खी पालन के लिए कुछ उपकरणों की उपलब्धता आदि संबंधी। वे अब देवभूमि नैचुरल प्रोड्क्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के शेयर धारक हो चुके हैं। यह कंपनी मूल्य श्रृंखला के विकास संबंधी गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए उनकी मदद करती है। अंतिम प्रसंस्करण और विपणन का दायित्व डीएनपीपीसीएल ने संभाल रखा है, इसके लिए कंपनी ने खुदरा व्यापारियों का एक देशव्यापी नेटवर्क विकसित किया है। समूह आधारित नज़रिया अपनाए जाने के परिणामस्वरूप

4,400 मधुमक्खी–कॉलोनियों के ज़रिए एक मजबूत उत्पादन प्राप्त हुआ। उत्पादकों के विनिमय–प्रणाली आधारित उत्पादन को व्यावसायिक उत्पादन के रूप में तब्दील करने में भी सफलता प्राप्त हुई। इन गतिविधियों ने किसानों को शहद के 17.6 टन वार्षिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया।

इन नये तौर तरीकों से मधुमक्खी पालन की प्रथा और उन्नत हो गई। समूह आधारित संपर्कों ने लोगों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया। इसका अर्थव्यवस्था पर कृषि और बागवानी के क्षेत्रों में भी, सकारात्मक असर हुआ। इस पद्धति से गांवों में बड़ी संख्या में मधुमक्खियों की कॉलोनियों का विकास हुआ, जिन्होंने बेहतर परागण में मदद की। इससे स्थानीय स्तर पर जैव विविधता को भी संरक्षण मिला। समूहों द्वारा किए गए जैव–प्रमाणीकरण ने उत्पादकों के लिए बेहतर आमदनी के अवसर बढ़ा दिए, उन्हें मासिक तौर पर करीब 1,000 रुपए की आमदनी होने लगी। पहाड़ी इलाकों में खेती के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह बहुत लाभकारी नहीं होती। यही वजह है कि महिलाएं आगे आईं और उन्होंने पूरक गतिविधि के रूप में मधुमक्खी पालन को अपना लिया। तकनीकी जानकारियों और नये प्रयोगों का शुक्र है, जिनकी बदौलत पहाड़ी इलाकों में मधुमक्खी पालन सिर्फ एक पारंपरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से व्यावहारिक गतिविधि में तब्दील हो चुकी है। इसमें कम मेहनत और कम निवेश की आवश्यकता होती है। यदि मधुमक्खी पालन को ठीक से अपनाया जाए तो यह अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यह पद्धति उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और पौढ़ी गढ़वाल जिलों के 230 पहाड़ी गांवों में दोहराई गई है। 2,422 उत्पादक शहद के उत्पादन में लगे हुए हैं, वे स्थानीय बेरोज़गारों को व्यावसायिक स्तर पर बीडीएस के विस्तार की गतिविधियों में शामिल करके उनके लिए भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।

>> शहद मूल्य श्रृंखला विकास गतिविधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

>> सुरक्षित शहद निकालने की विधि

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– निजमुला एंड मंडी वैली एसोसिएशन, जिलाः चमोली, उत्तराखंड। फोन : श्री ईश्वर सिंह–9675922651।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया (एटीआई), मंदिर मार्ग, गुप्तकाशी, जिलाः रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड–246439। फोन : 01364–26755। ईमेल : admin@atindia.org A वेबसाइट : www.atindia.org A

14.

ग्रामीण महिलाओं ने दिखाई अपनी क्षमता

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नाम

मुलकुनूर वुमेन्स मल्टी एडेड मिल्क प्रोड्यूसर्स क,परेटिव यूनियन लिमिटेड (एमडब्लूसीडी)

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

ऐक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

आंध्रप्रदेश के मुलुकानूर के आसपास के इलाकों में डेयरी सेक्टर में सक्रिय महिलाओं को संगठित कर मिल्क प्रोड्यूसर को–ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड (एमडब्लूसीडी) का गठन किया गया था। वर्ष 2002 में गठित मुलुकानूर सहकारी दुग्ध समिति ने सामुदायिक गतिविधियों और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पहला मौका था जब महिलाएं समूह आधारित गतिविधियों का पूरी तरह प्रबंधन और नियंत्रण कर रही थीं, जहां उत्पादकों द्वारा मूल्य श्रृंखला के सभी स्तरों का प्रदर्शन किया जा रहा था। यह महिलाओं द्वारा आत्मनिर्भरता के साथ स्वयं के प्रबंधन से किए जा रहे सहकारी प्रयासों का नतीजा था, जो एक ऐसे मुहिम का हिस्सा था जिनका उद्देश्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं की आर्थिक बेहतरी था। इस सहकारी नज़रिए के साथ भारत के डेयरी सेवा क्षेत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2015 तक और भी बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराने में योगदान की सोच थी।

एमडब्लूसीडी ने स्वकृषि बांड नाम के साथ सभी उत्पादों को बाज़ार में उतारा। उपभोक्ताओं को तीन तरह के उत्पाद उपलब्ध कराए गए जैसे दूध, मक्खन और मूल्य–वर्धित उत्पाद। वर्तमान में आंध्रप्रदेश के वारंगल, करीमनगर, मेडक और अदिलाबाद ज़िलों में इनका विपणन किया जा रहा है। एमडब्लूसीडी ने यह सुनिश्चित किया कि गांवों और डेयरी के बीच, जहां दूध की खरीदी की जाती है, दूरी 25 किलोमीटर से ज्यादा न हो। इस तरह उसने प्रति लीटर दूध की न्यूनतम खरीद लागत भी सुनिश्चित कर दी।

डेयरी के दायरे में आने वाले सभी गांव सूखा प्रभावित हैं। एमडब्लूसीडी ने स्थानीय महिलाओं के लिए आजीविका का व्यापक स्रोत उपलब्ध कराया है। आर्थिक और सामाजिक प्रबंधन के मामले में यह महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि गांवों में होने वाली संस्था की आम सभा की बैठकों में महिलाएं अपनी राय दें, सुझाव दें और समस्याओं पर बात करें। एमडब्लूसीटी प्रबंधन उनके लिए सहभागिता के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराता है।

सहकारी–डेयरी अपने हितधारकों से संबंधित पहलुओं को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाता है–जैसे दूध की आपूर्ति, खातों, दूध की खरीद और लाभ आदि के संबंध में। इससे महिला सदस्यों के बीच विश्वास का वातावरण निर्मित करने में मदद मिली है। मासिक आय–व्यय का ग्रामीण और सहकारी, दोनों स्तरों पर ऑडिट किया जाता है।

मुलकुनूर मॉडल ने नैशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा ऑपरेशन फ्लड के दौरान प्रस्तुत किए गए संगठनों के ब्लूप्रिंट को परिशोधित किया है। प्रबंधन द्वारा जो रणनीति अपनाई गई है, उसी की वजह से मुलुकानूर डेयरी सफल हुई। वास्तव में इससे सहकारी समितियों को बाजार से पैसों के दैनिक प्रवाह को सुनिश्चित करने में मदद मिली है। इस प्रकार कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति सहजता से हो जाती है। इन सहकारी समितियों के पास प्रत्येक दुग्ध बिल के लिए 5% की दर से संस्थागत संरक्षण से जुड़ी अनिवार्य जमा राशि भी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सदस्यों के शेयर में बढ़ोत्तरी होती है। सदस्यों और नेतृत्वकर्ताओं के लिए प्रदर्शन का मापदंड निश्चित किया गया है। इससे नियमित रूप से प्रदर्शन को मापा जाना सुनिश्चत कर दिया गया है। इस मुहिम से बीते दस वर्षों में मुलुकानूर संगठन मजबूत होता चला गया। वर्ष 2003–04 में कुल आमदनी 23.40 लाख रुपए थी, जो वर्ष 2011–12 में बढ़कर 413.52 लाख रुपए हो गई। इस नेटवर्क में दुग्ध उत्पादकों की संख्या बढ़कर 21,118 हो गई, जबकि समितियों की संख्या बढ़कर 109 हो चुकी है।

कुछ उत्साहजनक आंकड़ों पर एक नज़र–

परिमाण (पैरामीटर)	2002-03	2011-12
दुग्ध उत्पादकों की संख्या	8,426	20,118
ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों की संख्या	67	109
सालभर में दूध का उत्पादन (लाख लीटर में)	2.43	7.76
दूध के उत्पादन का दैनिक औसत (हजार लीटर में)	10.54	21.17
तकनीकी समर्थन का औसत मूल्य (पशु चारा, चारा–बीज, दवाइयां) प्रति सदस्य (रुपए में)	97.1	611.43

पुरस्कार / सम्मान (यदि कोई हो तो)

- बेस्ट वुमन कॉपरेटिव अवार्ड, नैशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट फाउंडेशन
- सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2005

>> दूध की खरीद के समय जांच संयंत्र कर्मचारियों द्वारा उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है

>> दूध की खरीद करती महिलाएं

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– मुलुकानूर वुमेन्स मल्टी एडेड मिल्क प्रोड्यूसर को–ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड (एमडब्लूसीडी), मंडल एवं ग्राम–भीमादेवारापल्ली, जिला–करीमनगर, आंध्रप्रदेश–505497। फोन : 9849082818।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– ऐक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एएलसी), प्लॉट नंबर–04, मातृनीलयाम, टेलीफोन ऑफिस मार्ग साई नगर कॉलोनी, पिकेट सिकंदराबाद, आंध्रप्रदेश–500009 । फोन : 040–40177321 । ईमेल : info@alcindia.org A वेबसाइट : www.alcindia.org A

15.

बड़े निगमों की अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

धर्मराजुपल्ली फाउंडेशन सीड फार्मर्स म्युचली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

ऐक्सेस लाईवलीहुड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एएलसी)

धर्मराजुपल्ली फाउंडेशन सीड फार्मर्स म्युचली ऐडेड कॉपरेटिव सोसायटी की शुरुआत वर्ष 1999 में गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन के उद्देश्य से की गई थी, ताकि बेहतर आय व बेहतर बाज़ार सेवाएं प्राप्त की जा सके। सालों से इस सहकारी समिति ने इस धारणा को गलत साबित किया है कि गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन महज़ बड़े कॉर्पोरेट संगठन ही कर सकते हैं। करीमनगर ज़िले के हुजूराबाद मंडल में बसे एक गांव धर्मराजुपल्ली में 151 किसानों का एक समूह तैयार कर इस समिति ने यह उदाहरण पेश किया है। साथ ही यह भी साबित किया है कि छोटे समूह भी राष्ट्रीय मानकों पर खरे, गुणवत्ता युक्त बीजों का सफलतापूर्वक उत्पादन कर सकते हैं।

हुजूराबाद के एक छोटे से गांव में स्थित होने के बावजूद यह समिति अपने सभी किसान सदस्यों को गुणवत्ता युक्त बीज मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ी। इसके सदस्य धर्मराजुपल्ली गांव, या फिर हुजूराबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले अन्य करीबी गांव जैसे कंडूगुला, कनुकुला गिड्डा, जुपाका से ताल्लुक रखते हैं। इसके अतिरिक्त कमलापुरम मंडल के भीमपल्ली और उप्पल गांव के किसान सदस्य भी इस समिति में शामिल हैं। वर्तमान में समिति के 151 सदस्य हैं जिनके पास 600 एकड़ भूमि है। वहीं 200 एकड़ भूमि उन किसानों की है जो समिति के सदस्य नहीं हैं। अपनी शुरुआत से ही यह समिति अपने सदस्यों के सामाजिक व आर्थिक सुधार में सहायक सिद्ध हुई है। यह अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करने के दौरान उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। साथ ही एक लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का अनुकरण करती है, जो किसी भी उद्यम की सफलता के लिए आवश्यक है।

यह सहकारी समिति अपने सदस्यों को कई सेवाएं मुहैया कराती है, जिसमें सदस्यों के मध्य बीज वितरण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन के लिए आवश्यक निविष्टियां भी प्रदान की जाती है। वहीं, किसानों द्वारा सकारात्मक प्रबंधन कार्य व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक व कृषि अधिकारियों को बुलाया जाता है ताकि किसानों का मार्गदर्शन किया जा सके।

>> उत्पादन और संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण

>> किसानों से खरीदे जाने के बाद बीज को ट्रीट किया जाता है

इस पहल के परिणाम स्वरूप सहकारी समिति के किसान सदस्यों को 65–90 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त आय भी हासिल हो जाती है। चूंकि सहकारी समिति उर्वरक और कीटनाशकों जैसी निविष्टियां भी प्रदान करती है, किसान अपनी लागत में 7–10 फीसदी यानि करीब 300 रुपए तक की बचत भी कर लेते हैं। सदस्यों को 12 फीसदी की ब्याज दर से उर्वरक ऋण दिया जाता है, वहीं बचत पर 9 फीसदी का ब्याज भी मिलता है। 9 वर्षों में 700 फीसदी की वृद्धि के साथ 23,647 क्विंटल प्रमाणित बीज विपणित भी किया जा चुका है।

विकास सहायता केंद्र (डीएससी) इन प्रमाणित बीजों को 30 किलोग्राम के बैग में श्रीकाकुलम और रायलसीमा को छोड़कर आंध्र प्रदेश के तकरीबन सभी ज़िलों में विपणित करती है। प्रमुख ज़िलों में करीमनगर, वारंगल, खम्मम, रंगारेड्डी, मेडक, पूर्व गोदावरी, नलगोंडा, गुंटूर, विजयनगरम और पश्चिम गोदावरी शामिल हैं। इसके अलावा 70 व्यापारियों के एक वितरण नेटवर्क के ज़रिए कर्नाटक के रामागिरी, रायचूर, बल्लारी, यदागिरी और सिरीकुप्पा ज़िलों में भी बीजों की आपूर्ति की जाती है। वारंगल और करीमनगर की बाज़ार में हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है। वहीं, पूर्वी गोदावरी की 20 फीसदी और कर्नाटक की बाज़ार में हिस्सेदारी 10 फीसदी है। खरीफ मौसम के लिए प्रति वर्श मई और जून के महीने में व्यापारियों के जरिए प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं रबी के लिए नवंबर में बीज उपलब्ध कराए जाते हैं।

धर्मराजुपल्ली बीज प्रसंस्करण सहकारी समिति एक उपयुक्त मॉडल है, जिसका अन्य लोग भी पालन कर सकते हैं। यह ऐसे प्रतिबद्ध लोगों का एक समूह है जिसमें सभी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करते हैं। असल में यह किसी व्यक्ति द्वारा अकेले कृषि करने से ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे सहकारिता मॉडल को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। साथ ही यह बड़े निगमों के साथ छोटे जोत के सदस्यों की प्रतिस्पर्धा को आसान बनाते हैं। धर्मराजुपल्ली स्थित किसान सहकारी समिति जैसे किसान समर्थित सहकारी समितियों में राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेने की क्षमता है। बस उन्हें नियमित रूप से ज्यादा से ज्यादा भागीदारी तथा नए संपर्क बनाने की आवश्यकता है।

>> सदस्य किसानों से एकत्रित किया गया बीज

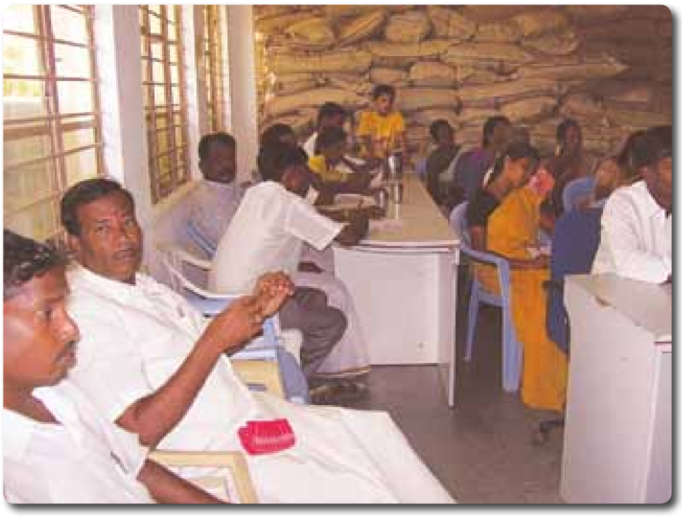

>> सदस्य किसानों को बीज उत्पादन की आवश्यक सूचना दी जाती है

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– धर्मराजुपल्ली फाउंडेशन सीड फार्मर्स म्युचली ऐडेड को–ऑपरेटिव सोसाइटी, मंडल और गांव– भीमादीवारापल्ली, जिला करीमनगर, आंध्रप्रदेश–505497। फोन : 9849082818।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– ऐक्सेस लाईवलीहुड इंडिया प्रा. लिमिटेड (एएलसी), प्लॉट नंबर 4, मातृनीलयम, टेलीफोन ऑफिस लेन, साई नगर कॉलोनी, पिकेट, सिकंदराबाद, आंध्रप्रदेश– 500009। फोन : 040–40177321। ईमेल : info@alcindia.orgA
वेबसाइट : www.alcindia.orgA

16.

ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मिनी सुपर मार्केट

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

वाराना एग्रीकल्चर कमोडीटीज़ कंज्यूमर सुपर मार्केट कkvkपरेटिव

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

ऐक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एएलसी)

60 साल पहले तक वाराना एक बंजर इलाका था। यह इलाका आज चौतरफा विकास के मामले में आदर्श क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। यह संभव हुआ स्व.सहकारमहर्षि श्री और महान दूरदर्शी तात्यासाहेब कोरे द्वारा किए गए प्रयासों से। गरीबों के उत्थान की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ ये प्रयास किए गए।

श्री वाराना सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। इसके बाद से इस कारखाने ने सहकारी शक्कर कारखानों में खुद की अलग पहचान बनाई। वाराना शक्कर कारखाना, अपनी कई औद्योगिक और सहकारी इकाइयों के लिए एक छतरी की तरह है। इन इकाइयों में वाराना डेयरी, कॉपरेटिव बैंक, कॉपरेटिव बाज़ार और शैक्षणिक इकाइयां आदि शामिल हैं। सांस्कृतिक इकाइयां जैसे वाराना चिल्ड्रन्स आर्केस्ट्रा और सामाजिक इकाइयां जैसे वाराना भगिनी मंडल, वाराना महिला क्रेडिट सोसायटी एवं लिज्जत पापड़ केंद्र आदि भी इसी का हिस्सा हैं।

वाराना बाज़ार, पहला उपभोक्ता सहकारी भंडार है, जिसकी आधारशिला वर्ष 1976 में रखी गई। इसने 2 अप्रैल 1978 से काम करना शुरू कर दिया। तब से यह भारत की सबसे सफल स्टोर में से एक के रूप में उभरा है। इसे एक आदर्श संस्था के रूप में देखा जाता है। इस स्टोर में कपड़े, खाद्य सामग्री, कृषि उपकरणों, वाहनों, हार्डवेयर आदि की खुदरा बिक्री की जाती है। वाराना बाज़ार में 555 कर्मचारी हैं और इसके सदस्यों की संख्या 20,111 है। इसका सालाना कारोबार 113 करोड़ रुपए का है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसके सदस्यों में से 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसके अलावा देश के अन्य सहकारी बाज़ारों के विपरीत, वाराना बाज़ार शेयर पूंजी में सरकार की न्यूनतम भागीदारी रखने में सक्षम हुआ है। आवश्यक कार्यशील पूंजी के एक बड़े हिस्से की पूर्ति सदस्यों की जमा राशि से हो जाती है।

मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था में, यह क्षेत्र के सतत विकास की दिशा में एक प्रयास है। यह उस प्रोत्साहन के रूप में नज़र आता है जो समिति अपने सदस्यों को उपलब्ध कराती है, उन विशेष गतिविधियों के रूप में भी जो सदस्यों की निष्ठा जीतने और परस्पर विश्वास कायम करने के लिए संचालित की जाती है। यह और भी अधिक भागीदारी के साथ काम करने की कोशिश है। कर्मचारियों और हितग्राहियों के परस्पर सहयोग को बेहतर बनाने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। वाराना बाज़ार से होने वाली आमदनी में उनकी बड़ी हिस्सेदारी होती है। कर्मचारी आपस में ऋण–सहयोग भी संचालित करते हैं।

कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उनके विकास के लिए समिति द्वारा विशेष उपाय किए जाते हैं। इसी उद्देश्य से 1995 में विलासराव तात्यासाहेब कोरे कंज्यूमर कोऑप ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। हर साल एक महीने का सेल्समेन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर द्वारा अनुमोदित होता है। हर बैच के शीर्ष पांच छात्रों को वाराना बाज़ार में शामिल कर लिया जाता है। ऐसे कर्मचारी जो महाराष्ट्र के विभिन्न बाज़ारों में पहले से सेवा कर रहे हैं, वे भी इस कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता रखते हैं।

वाराना बाज़ार एक सफल उद्यम के रूप में उभरा है। यह उपभोक्ता संरक्षण और परिवर्तन के प्रभावी साधन के रूप में सामने आया है। यह दर्शाता है कि सहकारिता आधारित विक्रय भंडार किस तरह प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक देश के ग्रामीण बाज़ार पर अपनी पकड़ बनाते हैं। अर्थव्यवस्था में खुलेपन और ग्रामीणों की बदलती रुचि और आदतों से सहकारी उपभोक्ता भंडारों के लिए इस बात की संभावना बढ़ी है कि ग्रामीण इलाकों में अब तक उपेक्षित ग्राहकों से जुड़ा जाए। एक बौद्धिक नेतृत्व और अच्छे प्रबंधन के साथ उपभोक्ता सहकारी समितियां ग्रामीण इलाकों के लोगों की जीवनशैली में बदलाव लाने का एक रास्ता साबित हो रही हैं।

पुरस्कार/सम्मान (यदि कोई हो तो)

- इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ सहकारिता समूहों में वाराना सहकारिता समूह को प्रथम पुरस्कार
- श्री वी. के. चौहान को विपणन प्रबंधक यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड द्वारा को–ऑपरेटिव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ एण्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रथम पुरस्कार (2001–02)

>> वाराना बाज़ार का बाहरी दृश्य

>> विभिन्न उत्पादन

>> वाराना बाज़ार के अंदर का दृश्य

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– वाराना एग्रीकल्चर कमोडीटीज़ कंज्यूमर सुपर मार्केट को–ऑपरेटिव, वाराना बाज़ार, वारानानगर, तालुका पनहाला, जिला कोल्हापुर, 416113, महाराष्ट्र। फोन : 927222776, 9272227477। ईमेल : wsahgrahak@waranabazar.com] wsahgrahak@dataone.inA

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– ऐक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एएलसी), प्लॉट नं.4, मातृनिलयम, टेलीफोन ऑफिस लेन, साई नगर कॉलोनी, पिकेट, सिकन्दराबाद, आंध्रप्रदेश–500009। फोन : 04040177321। ईमेल : info@alcindia.orgA वेबसाइट : www.alcindia.orgA

17.

एक ऐसा व्यापार, जिसमें किसान ही मालिक हैं

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

धारानी फार्मिंग एंड मार्केटिंग म्यूचली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

ऐक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एएलसी)

धारानी फार्मिंग एंड मार्केटिंग म्यूचली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एक ऐसा व्यापारिक उपक्रम है, जिसके मालिक, उत्पादक किसान हैं। इसे टिंबकटू ब्रांड के तहत टिंबकटू कलेक्टिव द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। इसका पंजीयन आंध्रप्रदेश के म्यूचली एडेड कोऑपरिटिव सोसायटी अधिनियम 1995 के तहत अप्रैल 2008 में किया गया। यह उस कच्चे माल के पैकेजिंग और प्रसंस्करण की सेवाएं प्रदान करता है, जिसका उत्पादन इसके सदस्य किसानों द्वारा किया जाता है। साथ ही यह ग्राहकों तक इस माल को पहुंचाने के लिए मार्केटिंग की गतिविधियां भी संचालित करता है। यह अपने सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, साथ ही जैविक प्रमाणीकरण के मानकों के पालन का मूल्यांकन भी करता है। धारानी का प्रमुख उद्देश्य है अपने सदस्य किसानों के उत्पादों की खरीदी, उसका प्रसंस्करण और अच्छी कीमत पर उसे बाज़ार तक पहुंचाना, ताकि अधिकतम आमदनी सुनिश्चित की जा सके।

टिंबकटू कलेक्टिव ने वर्ष 1995 से शुष्क–भूमि पर खेती से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रयोग और अनुसंधान शुरू किए। उसने अपनी विभिन्न परियोजनाओं के ज़रिये स्थानीय समुदायों को जैविक खेती की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। ये परियोजनाएं आशा फॉर एजुकेशन, सर दोराबजी, टाटा ट्रस्ट, इवेंजलिशर एंट्विकलंग्सडिंस्ट (ईईडी) और यूरोपियन कमीशन जैसी दानदाता एजेंसियों के सहयोग से संचालित की गईं। मार्च 2011 के आखिर तक 1,190 परिवारों को 3,570 एकड़ भूमि पर जैविक खाद्य उपजाने की दिशा में स्थायी तौर पर मोड़ा जा चुका था। इस परियोजना के भागीदार लघु कृषकों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन के लिए आदिशक्ति धारानी को एक सामूहिक उद्यम के रूप में प्रोत्साहित किया गया था।

वर्ष 2008 में भागीदार किसानों ने खुद को एक सहकारी संगठन के रूप में संगठित किया। इसका पंजीयन आंध्रप्रदेश म्युचली एडेड कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट 1995 के तहत किया गया। परिसंपत्तियों और देनदारियों समेत इस उद्यम को आदिशक्ति एमएटीसीएस के हाथों सौंप दिया गया, ताकि इसे एक नयी सहकारी गतिविधि के रूप में संचालित किया जा सके।

>> स्थानीय समुदायों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा

इस तरह जिस व्यापारिक उपक्रम को आदिशक्ति धारानी के नाम से जाना जाता था, उसे नया नाम दिया गया—धारानी एफएएम कोऑप लिमिटेड, एक नये संचालक मंडल के साथ। पूर्व की परियोजनाओं में जिन 890 किसानों ने जैविक खेती अपना ली थी, वे सभी इस कोऑपरेटिव के शेयर धारक बन गए। मार्च 2011 तक 1,190 किसान शेयर धारक सदस्य के रूप में जुड़ चुके थे।

धारानी कोऑपरेटिव के किसान बाज़ार से जुड़ाव की आवश्यकता महसूस कर रहे थे—एक कमजोर प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सामूहिक ताकत के साथ। पर्यावरणीय परंपराओं ने किसानों के खेतों की मिट्टी को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने में मदद की। यह किसी भी तरह के रासायनिक अथवा बाहरी आदानों का प्रयोग न करने, बीजों की संपूर्ण संप्रभुता, पानी की न्यूनतम खपत, न्यूनतम पूंजी लागत, अधिकतम बायोमास (अधिक से अधिक जगह पर जैविक प्रयोग), पशुधन के अधिकतम उपयोग और उत्पादकों के लिए आजीविका के विभिन्न साधनों जैसे परिणामों के रूप में सामने आया।

जैविक खाद्यान्न उपजाने, उसके प्रसंस्करण और विपणन के ज़रिये किसान न केवल बाज़ार में प्रतिदिन बढ़ती मांगों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हुए हैं, बल्कि उनकी जमीन भी सुधरी है। भेड़, बकरियों, मुर्गियों जैसे पशुधन की उनकी जिंदगी में वापसी भी हुई है। उनकी जमीन की उत्पादकता बढ़ी है और वे अपने पशुधन से अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। कलेक्टिव के माध्यम से किसानों का खान—पान सुधरा है, वे अब समझने लगे हैं कि उनके लिए, उनके पशुओं के लिए और उनकी ज़मीनों के लिए क्या सही है।

कलेक्टिव इक्विटी के रूप में वित्तीय संसाधन जुटाना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे अमूल के लिए नैशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने जुटाया है। यह उपक्रम अनंतपुर जिले के सीमांत में सूखी ज़मीनों वाले छोटे किसानों के लिए बेहतर आमदनी का लक्ष्य लिए हुए है। टिकाऊ खेती की पद्धतियों के ज़रिये उनकी आजीविका सुरक्षा को और उन्नत करना चाहता है।

धारानी में निवेश न केवल इसलिए उचित है, क्योंकि यह उत्पादकों के स्वामित्व वाला व्यावसायिक उपक्रम शेयर धारकों के लिए वित्तीय रूप मे फायदेमंद है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह सामाजिक रुझान वाला और वित्तीय रूप से व्यावहारिक उपक्रम है। इससे छोटे किसानों के समुदाय की आमदनी में सफलतापूर्वक इज़ाफा हुआ है, उन्हें उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिली है। उनकी जमीनों और पशुओं की उत्पादकता में इज़ाफा हुआ है। वे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी खाद्य सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं।

>> स्थानीय समुदायों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– धारानी फार्मिंग एंड मार्केटिंग म्यूचली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ग्राम चेन्नेकोथापल्ली, ज़िला अनंतपुर–515101, आंध्रप्रदेश। फोन : श्री मुरुगेशन– 949018954।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– ऐक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एएलसी), प्लॉट नं.4, मातृनिलयम, टेलीफोन ऑफिस लेन, सांई नगर कॉलोनी, पिकेट, सिकन्दराबाद, आंध्रप्रदेश–500009। फोन : 04040177321। ईमेल : info@alcindia.orgA वेबसाइट : www.alcindia.orgA

18.

सहकारिता के ज़रिये हुआ विकास, मिली समृद्धि

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः
गंभीरा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
सहायक संसाधन संस्था (आरआई):
ऐक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एएलसी)

आनंद जिले के अंकालव तालुका में, माही नदी के किनारे बसे गांवों में गंभीरा कोऑपरेटिव ने अपने सदस्यों की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संभव हुआ है सहकारिता के ज़रिए किए गए प्रयासों से। इस बाढ़ प्रभावित इलाके के छोटे और सीमांत किसान अब हरितक्रांति तकनीकों का लाभ उठा सकते हैं। सहकारी और सामुदायिक खेती संबंधी संस्थाओं ने भी हरित क्रांति तकनीक को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाया है–इन गांवों में रहने वाले छोटे किसानों के परिवारों के लिए यह तकनीकी रूप से संभव है और व्यावहारिक रूप से सार्थक भी।

माही नदी में बार–बार आने वाली बाढ़ इसके तट पर बसे गांवों में तबाही का कारण होती है। इसकी वजह से खेतों की मिट्टी की उपजाऊ परत धुल जाती है और गाद तथा कई और भी चीजें खेतों तक घुसकर जमा हो जाती हैं। रेत भीतरी परतों तक जमा हो गई थी और ज़मीन एक तरह से रेगिस्तान में परिवर्तित हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप किसानों को अपनी आजीविका का नुकसान उठाना पड़ रहा था, जो रोज़गार के लिए पूरी तरह खेती पर ही निर्भर थे। वे भुखमरी के कगार तक पहुंच चुके थे। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सरकार ने वर्ष 1951 में 246 एकड़ ज़मीन की मंजूरी दे दी। इसके लिए एक गांधीवादी कार्यकर्ता छगनभाई मूलजीभाई पटेल ने प्रस्ताव रखा था। वे माही नदी के किनारे ऐसी बंजर भूमि चाहते थे, जो किसानों को आबंटित की जा सके। इसका आबंटन प्राप्त करने में सफलता मिली, जिसका फायदा उस गांव के हर बाढ़ प्रभावित किसान को मिला।

गंभीरा कोऑपरेटिव अपने समूहों के प्रभावशाली तंत्र के लिए जाना जाता है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि उसके सदस्य, उन्हें दी जाने वाली प्रोत्साहन सुविधाओं का पूरा फायदा उठा सकें। भूमि और श्रम के सम्मिश्रण से विकास के लिए एक ऐसे तंत्र का निर्माण करना उद्देश्य है जिसमें परिवार के सदस्य संतुलित तरीके से समृद्धि हासिल कर सकें।

अपने सदस्यों की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों को संवारने के लिए समिति विकास की कुछ गतिविधियों पर भी पैसे खर्च करती है, जैसे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों, आंगबाड़ियों के लिए कमरों का निर्माण, सड़कों पर छोटे–छोटे पुलों का निर्माण, नालों–नालियों का निर्माण, मल–जल के निकास के लिए निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दवाओं की खरीद आदि पर।

>> सोसाइटी द्वारा सामूहिक खेती

>> सोसाइटी द्वारा सामूहिक खेती

इसके सदस्यों को कृषि सिंचाई संबंधी उपकरणों की खरीद, उन्नत बीजों की खरीद, रासायनिक खादों, कीटनाशकों और जिप्सम की खरीद में भी सहकारिता का लाभ मिलता है। समिति किसानों को किराए पर ट्रैक्टर लेने, सिंचाई शुल्क अदा करने, राजस्व शुल्क अदा करने, परिवहन शुल्क, भंडारण शुल्क आदि के लिए भी धन मुहैया कराती है, साथ ही साथ अतिरिक्त पैसों का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाता है। समिति अपने सदस्यों के बीच बोनस का भी वितरण करती है। यही वजह है कि गंभीर को अपने समूहों के प्रभावशाली तंत्र के रूप में जाना जाता है। समिति अपने सदस्यों के लिए ऐसे प्रोत्साहन सुनिश्चित करती है, जो उनके जीवन को स्पर्श कर सके।

>> सोसाइटी द्वारा सामूहिक खेती

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- गंभीरा एग्रीकल्चर को–ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ग्राम गंभीर, ज़िला आनंद, गुजरात।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण- ऐक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लि. (एएलसी), प्लॉट नं.4, मातृनिलयम, टेलीफोन ऑफिस लेन, सांई नगर कॉलोनी, पिकेट, सिकन्दराबाद, आंध्रप्रदेश–500009। फोन : 04040177321। ईमेल : info@alcindia.orgA
वेबसाइट : www.alcindia.orgA

19.

किसानों ने शुरू किया व्यापार

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

नाचालूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

आत्म पदोन्नत

जून 2012 में 30 गांवों के 100 किसानों के समूह ने एक उत्पादक संगठन के रूप में नाचालूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की शुरूआत की थी। उसी साल के अक्टूबर माह में किसानों ने तय किया कि आदानों की आपूर्ति के लिए नाचालूर में एक दुकान खोली जाए। इसका उद्देश्य था सस्ती कीमत पर आदानों की उपलब्धता (शुरुआत में खाद और कीटनाशकों की)। दिसंबर तक किसानों ने 300 टन खाद की बिक्री करने में सफलता पा ली थी–और इसका मुख्य कारण खाद की कीमत ही थी। अन्य व्यापारी इन किसानों को बेहद ऊँची कीमत पर खाद बेचा करते थे, लेकिन समुदाय ने तय किया कि वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर ही इसकी बिक्री करेगा।

इस उद्यम की सफलता से उत्साहित किसानों ने तीन और गांवों में इसके विस्तार का निर्णय लिया।बाद में कंपनी ने कृषि–उपकरण खरीदे, जिन्हें किसानों को सस्ते किराये पर दिया जाने लगा। उनका अगला लक्ष्य धान और उड़द के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना है, जिसकी लागत 30 लाख रुपए होगी। {नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट (NABARD) की वित्तीय मदद से}

आज कंपनी में विभिन्न जातियों और समुदायों के छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। इसने अपने सदस्यों को इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, ताकि वे मौसम और अनाज की कीमतों की ताज़ी सूचनाएं प्राप्त कर सकें। साथ ही वे सौदा करने की अपनी क्षमता में इजाफा कर सकें। इस संस्था का मुख्य लक्ष्य आदानों की लागत में कमी लाना है ताकि उत्पादन की लागत में कमी लाई जा सके।

>> गोदाम में इकट्ठा किया हुआ खाद

>> डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एस. जायंधि नाचालूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को नाचालूर के करूर जिले में मान्यता प्रमाण पत्र देते हुए

पुरस्कार/सम्मान (यदि कोई हो तो)

नाचालुर तमिलनाडु की पहली उत्पादक कंपनी है, जिसे जिला कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से स्वीकृति प्राप्त है।

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- नाचालूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, 37/4, वाल्लुवर नगर, नाचालूर पोस्ट, नांगावरम, कुलीथालाई तालुका, तमिलनाडु–639110। ईमेल : nrmurugan2009@gmail.comA

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण- फोन : श्री जी. करीकलन– 09751222211। ईमेल : rinithaakarikalan@gmail.comA

20.
रंग लाई सामूहिक कोशिशें

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः
चमेली स्वयं सहायता समूह
सहायक संसाधन संस्था (आरआई):
इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस)

सामूहिक कोशिशों से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है, इसका बढ़िया उदाहरण छत्तीसगढ़ के भाटागांव में देखा जा सकता है। यह मामला उन कोशिशों पर प्रकाश डालता है, जिनकी वजह से किसानों की आजीविका के स्तर में सुधार हुआ। क्षेत्र के ये किसान बहुत ही खराब आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, उन्हें मजदूरी के लिए पास के दिगर इलाकों में पलायन करना पड़ता था। सरकारी अथवा गैरसरकारी मदद के अभाव में इन ग्रामीणों को अपनी रोजी–रोटी के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

इस बीच, वर्ष 1997–98 में राजीव गांधी हरियाली मिशन के तहत इस गांव की 40 एकड़ बंजर भूमि पर आम के पौधे रोपे गए। इस क्षेत्र को भूमिहीन महिला किसानों ने तैयार किया था, जिन्होंने निर्णय लिया था कि वे अपनी आजीविका के लिए सब्जी की खेती करेंगी। इसे बदलाव का पहला चरण कहा जा सकता है, या कह सकते हैं कि यह आने वाले दिनों का संकेत था।

इसके बाद वर्ष 2001 में 19 मेहनती महिलाएं एक स्वसहायता समूह (एसएचजी) के निर्माण के लिए एकजुट हुईं। इस चमेली स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और गुणवत्तापूर्ण बीजों के लिए पैसों की व्यवस्था करना। वे एक स्वयं सहायता समूह के सभी जरूरी नियमों का पालन करती थीं, जैसे पैसों की बचत, मासिक बैठकें, रिकार्ड रखना आदि। इस माध्यम से हासिल हुई पूंजी का इस्तेमाल वे फलों और सब्जियों की खेती में करती थीं। इन महिलाओं ने बोरवेल की खुदाई के लिए अपनी बचत पूंजी में से 17 हजार रुपए निकाले है। इससे उनकी 19 एकड़ ज़मीन की सिंचाई और पोषण में मदद मिलेगी।

इसी दौरान इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस) ने रायपुर जिले के तीन विकासखंडों में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप (एफआईजी) के गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। इस तरह भाटागांव भी इसकी परिधि में आ गया। चमेली स्वयं सहायता समूह भी फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बन गया। पंजीयन के बाद यह उद्यानिकी विभाग की नैशनल वेजीटेबल इनीषिएटिव फॉर अरबन क्लस्टर्स (वीआईयूसी) यानि शहरी इलाकों में सब्जियों की खेती को लेकर की जा रही पहल से संबद्ध हो गया। यह सब्जियों की खेती की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने में सक्षम हो गया, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिये इसने खाद–प्रबंधन भी सीख लिया।

>> धुलाई और हैंड ग्रेडिंग

>> थोक सब्ज़ी विक्रय के लिए तैयार

इस पहल के ज़रिए किसान अब 19 एकड़ बंजर ज़मीन पर सफलतापूर्वक खेती कर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे–बैगन, टमाटर, फूलगोभी आदि। वे उपने उत्पादों को थोक में बेचते हैं, जिसकी वजह से परिवहन लागत में कमी आ जाती है। सामूहिक गतिविधियों के जरिए अब एफआईजी का प्रत्येक सदस्य हर महीने 10–15 हजार रुपए की आमदनी अर्जित करने में सक्षम हो चुका है। जबकि इसके विपरीत पूर्व में एक एकड़ भूमि पर प्रत्येक महिला मजदूर को 4–5 हजार रुपए प्रतिमाह की आमदनी ही हो पाती थी। उद्यानिकी विभाग से भी उन्हें फायदा मिलता है, वे हर मौसम में हाइब्रिड टमाटर और बैगन के 76000 पौधे प्राप्त करते हैं, साथ ही खेती के लिए 60 किलो जैविक कीटनाशक भी।

यह पहल, सामूहिक प्रयासों के ज़रिये सदस्य किसानों को सब्जियों की खेती की सर्वोत्तम पद्धतियां उपलब्ध कराती है। इससे किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। समूह की महिलाओं द्वारा किए गए प्रयासों ने उन्हें जमीन को उपजाऊ बनाने और खुद को सशक्त बनाने का अवसर प्रदान किया है। यह एक अच्छा उदाहरण है कि सामूहिक प्रयासों से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है। सदस्यों में सौदे की शक्ति बढ़ाकर और जमीन को उपजाऊ बनाकर कैसे आजीविका के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है।

>> विक्रय के लिए तैयार

>> सब्ज़ियों की कटाई

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– चमेली स्वयं सहायता समूह, ग्राम भाटागांव, ज़िला रायपुर, छत्तीसगढ़।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस), बीसी–247, सेक्टर–1, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700064। फोन : 033–23596264। ईमेल : info@igsindia.org.inA वेबसाइट : www.igsindia.orgA

21.

सामूहिकता से हासिल की स्थिरता

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

कौतला-बी म्युचअली एडेड को-ऑपरेटिव सोसायटी

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस)

आंध्रप्रदेश के अदिलाबाद ज़िले में कपास की खेती बड़ी संख्या में किसानों की आजीविका का ज़रिया है। यह जिला इसलिए भी खबरों में रहा क्योंकि वर्ष 2001 में यहां कपास की खेती करने वाले किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्याएं कर ली थीं। ये किसान कीटों के गंभीर हमलों से त्रस्त थे और कीटनाशकों की बढ़ी हुई कीमतों को भी नहीं झेल पा रहे थे। वे व्यापारियों से उधार में आदानों की खरीद के लिए मजबूर थे, उन्हें साहूकारों से अत्याधिक ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता था। बाज़ार की अस्थिर कीमतों का सामना करना उनके लिए तेजी से मुश्किल होता गया। जब अपनी उपज से किसान कर्ज नहीं चुका पाए तो वे हताश हो गए और उन्होंने अंततः खुदकुशी का रास्ता चुन लिया।

क्षेत्र की समस्याओं के आंकलन के बाद इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस) ने महसूस किया कि इन किसानों को मदद की जरूरत है। इसके बाद उसने वर्ष 2002 से इस दिशा में पहल शुरू की। उसने ग्रामीणों की बैठकें आयोजिक करना शुरू किया और उनसे उन समस्याओं के बारे में विचार–विमर्श शुरु किया जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। किसानों के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन पद्धति की पेशकश की गई, ताकि वे अपने पैसों की बचत कर सकें। कम कीमतों वाले जैविक आदानों के प्रयोगों और कीट प्रबंधन के तौर–तरीकों से आईजीएस की टीम ने किसानों को राजी करते हुए वर्ष 2003 में ग्रामीण स्तर पर कपास उत्पादक संगठन का गठन किया।

इस संगठन को कौतला–बी म्यूचली एडेड को–ऑपरेटिव सोसायटी (कौतला–बी एमएसीएस) के नाम से जाना जाने लगा। विचार था किसानों की सामूहिकता और कृषि आदानों की खरीद के लिए सामूहिक चर्चा, ताकि उन्हें उनके उत्पादों की बिक्री से बेहतर कीमत मिल सके। उत्पादकों की सामूहिकता को बढ़ावा देने के लिए कौतला–बी एमएसीएस एक अग्रणी हस्तक्षेप था। इसने कपास उत्पादक किसानों को उनके इनपुट, आउटपुट और ऋण की जरुरतों को नियंत्रित करने के अभ्यास में सक्षम किया है। इसकी सफलता से प्रेरित आसपास के इलाकों के किसानों ने भी इस मॉडल को अपना लिया है।

>> जैव आदानों का स्टॉक

>> उर्वरकों का स्टॉक

शुरुआत में आजीविका संवर्धन संस्थान बीएएसआईएक्स ने करीबी शहर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी की तलाश की और उसे सहकारिता से जोड़ दिया। सहकारी प्रबंधन को एक अंतरिम अवधि के लिए अनुमति दी गई कि वह डीलर की कार्यप्रणाली से खुद को परिचित करा सके। इसके बाद उन्हें एक विश्वसनीय वितरक के साथ जोड़ दिया गया। बाद में, आईजीएस ने प्रतिष्ठित कंपनियों की डीलरशिप और वितरण का लायसेंस हासिल करने में एमएसीएस की मदद की। इस तरह, कौतला–बी एमएसीएस ने आदानों के विस्तृत रेंज के जरिए, आदानों के मामले में पिछड़ेपन की समस्या सुलझा ली–इनमें उसके लिए बीज, खाद, जैविक कीटनाशक, व उपकरण आदि आदान शामिल हैं।

इस पहल का सदस्य और गैर–सदस्य, दोनों ही तरह के किसानों को फायदा मिला, उन्हें गुणवत्तापूर्ण आदान आसानी से उपलब्ध होने लगे, नकली उत्पादों की आशंका ही खत्म हो गई। खेती के मौसम में जरूरत के समय आदानों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो गई। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित हो गया कि ये किसानों को किफायती दाम पर मिलें, जिससे किसानों ने केवल आदानों पर ही पांच से दस प्रतिशत लागत बचा ली। आदानों की व्यवस्था में लगने वाले समय की भी बचत हो गई, क्योंकि अब आदान गांव में ही मिलने लगे।

एमएसीएस ने इन कृषि आदानों को लागत से थोड़ी ही ज्यादा कीमतों पर बेचना शुरू किया ताकि प्रबंधन पर होने वाले खर्च की पूर्ति की जा सके, लेकिन ये कीमतें पास के शहरों की दुकानों में आदानों की कीमत के मुकाबले काफी कम थीं। इस अभियान के पहले ही साल (2004–05) में इसने लगभग 68 लाख रुपए का सालाना कारोबार कर लिया। यह हर नज़रिए से एक अद्भुत उपलब्धि थी, क्योंकि उनका अनुमान था कि उनका सालाना कारोबार केवल 2,00,000 रुपए का होगा।

कौतला–बी एमएसीएस ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि एक स्थायी उत्पादक समूह की हिस्सेदारी के फायदे किसानों के लिए कितने ज्यादा हैं। इन फायदों में जोखिम में साझेदारी और उत्पादन लागत में कमी भी शामिल है। आदानों की व्यवस्था के ज़रिए उत्पादकता में सुधार, बुनियादी सुविधाओं में साझेदारी, बाज़ार का बेहतर उपयोग (उत्पाद के साथ बाज़ार का बेहतर संबंध) और व्यापारियों के दबाव में कमी का फायदा भी इन किसानों को मिला है। यह अपने सदस्यों की खुशहाली में भी मदद करता है, उन्हें अपने अनुभव बांटने के लिए प्रोत्साहित करता है, उधार का सही उपयोग करना सिखाता है। इसकी सफलता ने समुदाय की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके लिए यह विभिन्न गांवों में विकास के लिए कोष उपलब्ध कराता है।

>> जल संयंत्र की कार्य पद्धति का विवरण देते बीओडी

इस सहकारी संस्था ने खुद को सामूहिक अधिकारों की अभिव्यक्ति के तौर पर स्थापित किया है। गांवों की खुशहाली के लिए यह अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहा है। सांसद निधि का उपयोग करते हुए इसने गांव में पांच हजार लीटर के जल शोधन संयंत्र (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) की स्थापना की है। यह न केवल एक जिम्मेदार और टिकाऊ व्यापार मॉडल साबित हुआ है, इसने अपनी कुशलता भी बढ़ा ली है, ठोस व्यावसायिक प्रबंधन विकसित कर लिया है, इसने उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन की पद्धतियों में भी सुधार किया है।

हाल के वर्षों में यह अन्य उत्पादक समूहों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा के रूप में उभरा है। इसने डेयरी और विभिन्न फसलों पर समूहों के हित में काम कर रहे बीएएसआईएक्स के क्षेत्र के 100 से ज्यादा समूहों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है। आज आदिलाबाद जिले में कौतला–बी एमएसीएस की प्रेरणा से करीब 25 और भी एमएसीएस काम कर रहे हैं।

>> मार्केट लिंकेज

पुरस्कार/सम्मान (यदि कोई हो तो)

11 जुलाई 2005 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों कौतला बी एमएसीएस के अध्यक्ष श्री वांगाराम रेड्डी को ग्रामीण समृद्धि की दिशा में काम के लिए जमशेदजी नेशनल वर्चुअल एकेडमी फेलोशिप से नवाज़ा गया। उन्हें जिला कलेक्टर द्वारा भी सम्मानित किया गया। वे उन चंद किसानों में से हैं जिनकी अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति जार्ज बुश से मुलाकात हुई, जब श्री बुश वर्ष 2006 में हैदराबाद की यात्रा पर आए थे।

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– कौतला बी म्यूचली एडेड को–ऑपरेटिव सोसाइटी, डी.नं.5–23/3, जिला अदिलाबाद, आंध्रप्रदेश।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस), बीसी–247, सेक्टर–1, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700064। फोन : 033–23596264। ईमेल ‰ info@igsindia.org.inA वेबसाइट : www.igsindia.orgA

22.

ग्रामीण महिलाओं ने बनाई आपूर्ति श्रृंखला

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

सेल्फ एम्प्लाएड वीमेन एसोसियेशन (सेवा)

रुडी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एक ऐसी ग्रामीण–वितरण–श्रृंखला है, जो सीमांत किसानों के उत्पादों को खरीदने के बाद उसका प्रसंस्करण करके बाज़ार की कीमतों पर बेचती है। ये सीमांत किसान भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर उत्पादन और खपत दोनों ही स्तरों पर किए जा रहे प्रयासों का यह शानदार उदाहरण है। ये प्रयास एक ऐसे मॉडल के जरिए किए जा रहे हैं, जिसका संचालन और प्रबंधन हितधारक द्वारा खुद ही किया जाता है। इस आपूर्ति श्रृंखला में सैकड़ों गरीब महिलाएं काम कर रही हैं, जो इसका संचालन और प्रबंधन करती हैं, साथ ही इस श्रृंखला के हर स्तर पर वे सक्रिय हैं। रुडी ने एक ब्रांड भी स्थापित किया है, जो गुणवत्ता और सामर्थ्य का प्रतीक है।

इस ढांचे ने सीमांत किसानों के लिए एक बाज़ार भी सुनिश्चित किया है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी है और उनमें क्रय–शक्ति पैदा की है। यह किसानों को प्रोत्साहित करता है कि उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए वे अपने खेतों में निवेश करें। इसके अलावा, छोटे पैकेटों में अनाजों और मिर्च की बिक्री के ज़रिए रूडी न केवल गुणवत्ता का उच्च मानक सुनिश्चित करता है, बल्कि अपने ग्रामीण सदस्यों के खान–पान संबंधी जरूरतों को भी पूरा करता है।

यह पहल समुदाय के लिए बेहद फायदेमंद रही है– रोजमर्रा की जरुरतों से संबंधित उत्पादों और सामग्री के निर्माण के ज़रिये इसने अपने ग्रामीण ग्राहकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है, छोटे और सीमांत किसानों को एक साफ–सुथरा और सीधी पहुंच वाला बाज़ार उपलब्ध कराया है, एक स्थिर आजीविका का सृजन किया है। इसके अलावा इसने स्थानीय स्तर पर वितरण और गांव–स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करके किसानों और उपभोक्ताओं के बीच के संबंध को बेहतर किया। इससे ग्रामीण–स्तर पर एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण हुआ। इससे पूंजी का प्रवाह गांवों के भीतर ही सुनिश्चित हुआ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई।

वर्तमान में कंपनी गुजरात के 14 जिलों में रूडी के उत्पादों का वितरण अपने अद्वितीय वितरण–नेटवर्क रुडीबेन के जरिए कर रही है। इसके ज़रिए आकस्मिक व्यय को कम करने, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता में सुधार, बिचौलियों की समाप्ति का इरादा रखा गया है।

>> विक्रय करने वाली महिला (रूडीबेन) द्वारा गुणवत्ता युक्त उत्पादों का वितरण

>> रूडी का लोगो

इस प्रकार वंचित गरीब ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा है। इसके उत्पाद प्रति पैकेट मात्रा के साथ–साथ ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार तय किए गए हैं (पोषण के मानक मापदंडों के अनुसार)। इनकी कीमतें भी गरीब परिवारों की क्रय–शक्ति के मुताबिक तय की गई हैं।

इसने अनुसंधान–संस्थाओं के साथ भी सफलतापूर्वक सहयोग स्थापित किया है, जैसे सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरिन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसएमसीआरआई) और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएफटीआरआई) द्वारा ग्रामीण उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में नियमित रूप से मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा किसानों और उत्पादकों को उनके उत्पादों के बाज़ार के विस्तार के लिए आईटीसी गुजरात एल्कालीज़ एंड केमिकल लिमिटेड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जैसी कंपनियों से उनका अनुबंध करा कर मदद की जाती है।

>> खरीद केंद्रों में ग्रेडिंग

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, 8 नवरंग कॉलोनी, कश्मीरा चैंबर के पास, माउंट कार्मेल स्कूल के सामने, नवरांगपुरा रेल्वे क्रॉसिंग, अहमदाबाद–380009। फोन : 079–26589729, 26574880। ईमेल : rudimtcl@gmail.comA

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोशिएशन, सेवा रिशेप्शन सेन्टर, विक्टोरिया गार्डन भाद्रा अहमदाबाद–380001, इण्डिया। फोन : 91-79-25506444 / 25506477 / 25506441, फैक्स : 91 - 79 - 25506446, ईमेल :mail@sewa.org

23.

कृषि और सहयोगी गतिविधियों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

नारायणगढ़ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

इंडियन सोसाइटी अ,फ एग्रीबिज़नेस प्रोफेशनल्स (आईएसएपी)

देश को जिन गंभीर संकटों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें से एक ऊर्जा की कमी भी है। सौर–ऊर्जा आधारित फोटोवोल्टिक मशीनें ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभरी हैं। इसके ज़रिए दिन ब दिन गहराती ऊर्जा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस तकनीक का कृषक समुदाय को बहुत लाभ मिल सकता है। यह एक पर्यावरण हितैषी, उपयोगिता–आधारित और सस्ता ऊर्जा–स्रोत है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें बार–बार लागत लगाने की जरूरत नहीं है। ये संवर्धित मशीनें हैं, जो किसानों को उनके लाभ में इज़ाफा करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग धनिया, पुदीना, काजू, टमाटर, प्याज और अन्य पत्तेदार सब्जियों के प्रसंस्करण में पहले ही इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिला है। उन्हें आर्थिक रूप से अच्छा फायदा हुआ है।

ऊर्जा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इसकी स्थापना नारायणगढ़ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने 25 फरवरी 2013 को पुणे के जुन्नर विकासखंड के खोदाद गांव के ग्रामीणों के सहयोगात्मक योगदान से की थी। इस एफपीओ का गठन नेशनल वेजीटेबल इनीषिएटिव फॉर अरबन क्लस्टर (वीआईयूसी) प्रोजेक्ट के तहत की गई थी। ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों की दैनिक औसत आमदनी 75 रुपए प्रति हेक्टेयर है। लागत की दृष्टि से लाभकारी इन सौर आधारित मशीन से किसानों को उम्मीद है कि उन्हें उनके उत्पादों की ऊंची कीमत मिल पाएगी और बाद में उन्हें अच्छा मुनाफा भी होगा।

सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के इस असाधारण विचार के पीछे जो व्यक्ति हैं, उनके नाम हैं–रविकांत बालश्रीराम फुलवाडे। वे नारायणगढ़ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष हैं। एक अभिनव उद्यमी श्री फुलवाड़े द्वारा फसलों के मूल्य संवर्धन के लिए किया गया प्रयास अनुकरणीय है। कृषि में सौर तकनीक के इस्तेमाल और उद्यानिकी आधारित प्रसंस्करण मशीनों की सोच क्रांतिकारी है। यह समूह के किसानों के लिए फायदेमंद हैं, क्योंकि वे एक से अधिक तरीकों से अपनी आमदनी में इज़ाफा कर सकते हैं। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है।

>> सौर आधारित फोटोवोल्टिक मशीन

>> सौर ड्रायर मशीन

अब तक, उन गांवों में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी, जहां कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के लिए ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी हुई है। सौर–शक्ति की सुविधा के विकास ने फोटोवोल्टिक मशीन के जरिए 10–20 हार्सपावर शक्ति पैदा करने में मदद की है। वास्तव में, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के किसानों ने कैनरा बैंक की वित्तीय मदद से फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण में 50 लाख रुपए का निवेश पहले ही कर रखा है। वे स्थानीय खुदरा दुकानों में अपने प्रसंस्करित उत्पादों का विक्रय कर रहे हैं।

कंपनी द्वारा इस तकनीक को अपने दूसरे एफपीओ, एसएचजी और कृषि–सहकारी समूहों के लिए अपनाना इस बात का जीवंत उदाहरण है कि वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल भारत में ऊर्जा के दैनिक संकट से निजाद दिला सकता है। इस एफपीओ के प्रदर्शन से एक वातावरण तैयार हुआ है, और किसानों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिला है।

>> सब्ज़ियों के लिए सौर ड्रायर

>> नारायणगढ़ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष व कृषि उद्यमी श्री रविकांत फुलवाड़े इलेक्ट्रिक ड्रायर मशीन के साथ

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– नारायणगढ़ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, नागादवाड़ी, पोस्ट कांदली, तालुक–जुन्नर, जिला–पुणे, महाराष्ट्र–412412। फोन : श्री रविकांत बी श्रीराम फुलवाड़े– 09405852673।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स (आईएसएपी), 23, जमरुदपुर कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110048। फोन : 011–41731674, 43154100। ईमेल : isapho@isapindia.orgA
वेबसाइट : www.isapindia.orgA

24.

सिंचाई संकट का हुआ समाधान

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

भोमाईकूपा भुंगरु जुथ

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

सज्जाता संघ

शुष्क गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र सिंचाई की समस्याओं से जकड़े हुए हैं, यहां पानी की कमी है, मिट्टी में लावण्य संबंधी समस्या है। इन सबके बीच, इन कठिनाइयों से किफायती और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भुंगरु एक समाधान के रूप में उभरा है। यह तरीका वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण पर जोर देता है। साल के केवल 10 दिनों में वर्षा का जल एकत्र करके, भुंगरु 40 लाख लीटर से ज्यादा सिंचाई–जल भूमिगत जलाशय में संग्रहित करने में सक्षम हो जाता है। यह संग्रहित–जल किसानों को दो फसल चक्रों में सिंचाई की सुविधा मुहैया करता है। इससे वे साल के सात–आठ महीने मानसून और जाड़े की खेती कर पाते हैं।

भुंगरु के निर्माण के केंद्र में महिलाओं की भागीदारी रही है। खुदाई के काम के लिए पांच भागीदार परिवारों को काम पर रखा गया। प्रत्येक समूह में पांच महिलाएं होती हैं। इनमें से एक भुंगरु के निर्माण के लिए अपनी ज़मीन का हिस्सा देती है। अन्य सदस्य टीम की भावना के साथ काम करते हुए श्रम में अपना योगदान देते हैं।

इस विधि में एक छिद्रयुक्त पाइप (चार इंच व्यास की) का इस्तेमाल करते हुए सतह पर मानव–श्रम के जरिए खुदाई की जाती है। यह काम जलग्रहण क्षेत्र के सबसे निचले बिंदु पर किया जाता है, जहां वर्षा का पानी जाता है और सतह के नीचे 110 फीट की अधिकतम गहराई में जलभृत (चट्टानों में) जमा हो जाता है। इसके बाद पाइप के जरिए इस पानी का दोहन किया जा सकता है। पानी के प्रवेश से यह भूमि की सतह को मुक्त कर देता है, जलभृत में अलग–अलग घनत्व वाली जल–परतों का निर्माण करता है, साथ ही जलभृत की लवणता घटाता है। जलभृत में कम घनत्व वाली पानी की परत किसानों के लिए सिंचाई के जल की प्राथमिक स्रोत होती हैं, यह वर्षा का जल होता है, जिसमें खारापन नहीं होता। जब यह भूमिगत खारे पानी में मिलता जाता है तो धीरे–धीरे उसके खारेपन में भी कमी लाता है।

सिंचाई की इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए छोटी और सीमांत महिला किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपनी आमदनी में इज़ाफा करने में सक्षम हुई हैं। इसके अतिरिक्त भुंगरु के जरिए लवण–प्रभावित जमीन में पानी के प्रवेश की स्थिति में सुधार हुआ है। महिला किसान पहले दो मौसमों में अपने उत्पादों की ऊंची कीमत हासिल करने में सक्षम हुई हैं। यह पहल बंजर भूमि को भी नियंत्रित करती है। इस प्रकार खारेपन में कमी लाकर रेगिस्तानी ज़मीन को मानसून और शीत दोनों मौसमों में हरी फसलें उगाने में यह मदद करती है। परंपरागत रूप में, जमीन का मालिकाना हक परिवार के पुरुष सदस्यों का होता है, लेकिन इस नयी प्रक्रिया में, जमीन के हिस्से को भुंगरु में शामिल करने के लिए पावर ऑफ अटार्नी (अधिकार–पत्र) महिला के नाम से प्राप्त किया जाता है। इस तरह महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाता है।

>> लवणता प्रभावित क्षेत्र

इस तरह का समाधान शुरुआत में गुजरात के पाटन जिले के सामी और हरिज विकासखंडों के 14 गांवों के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसे गुजरात इकोलॉजी कमीशन और गुजरात स्टेट प्लानिंग बोर्ड द्वारा राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी दोहराया गया। इस पद्धति को स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। पश्चिम बंगाल और ओड़िशा के तटीय इलाकों में, जहां खारेपन की समस्या है, इस पद्धति को दोहराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा, बोस्टन के एक संगठन द्वारा अफ्रीका के विभिन्न इलाकों में इस पद्धति के प्रसार में मदद की जा रही है।

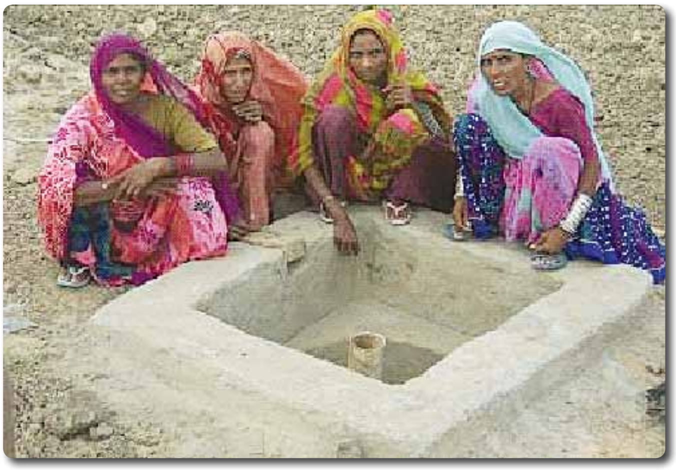
>> जल निकासी की व्यवस्था

>> पानी की कमी से प्रभावित भूमि

पुरस्कार/सम्मान (यदि कोई हो तो)

इस पहल के पीछे जो नाम हैं, उनमें से बिप्लब के. पाल ने अनेक पुरस्कार हासिल किए हैं– जैसे न्यूयॉर्क के यूनिवर्सल पीस फाउंडेशन का एम्बासेडर ऑफ पीस पुरस्कार, अमरीकी विदेश विभाग का यंग लीडर ऑन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पुरस्कार, विश्व बैंक का इंडिया डेवलपमेंट मार्केट प्लेस पुरस्कार (2007) और प्रतिष्ठित अशोका ग्लोबल चेंजमेकर पुरस्कार।

श्री पाल के काम पर आधारित एक वृत्तचित्र के निर्माण में भी विश्व बैंक ने मदद की है। राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पानी के क्षेत्र में उनके जमीनी–कार्य के लिए जल स्टार पुरस्कार से नवाज़ा गया है। मारुति–सुजुकी मोटर कंपनी द्वारा उनका चयन सामाजिक–उद्यमिता के श्रेष्ठ विचार के लिए एक विशेषज्ञ (मास्टर माइंड) के रूप में किया गया। वर्ष 2013 में उनका यह चयन नेशनल बिजनेस आइडियाज़ कॉम्पीटिशन के तहत हुआ। भुंगरु को जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए भी गुजरात में पुरस्कृत किया गया।

>> गुजरात का जलग्रस्त क्षेत्र

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- भोमाईक्रुपा भुंगरु जुथ, ग्राम मोटाजोरावारपुरा, तहसील–सामी, जिला–पाटन, गुजरात।

सहायक संसाधन संस्था का संपर्क विवरण- सज्जाता संघ, द्वारा–डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर (डीएससी), मारुतिनंदन विला, गवर्नमेंट ट्यूबवेल के पास, बोपाल, अहमदाबाद–380058। फोन : 2717–235994, 235995। ईमेल : sajjatasangh@gmail.comA

25.

आमदनी बढ़ाने के लिए सामूहिक विपणन

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

बाबपुर कृषक संघ

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस)

पश्चिम बंगाल के बारासात के बाबपुर गांव में 20 सालों से अधिक समय से चारुचंद्र बाग सब्ज़ियों की खेती कर रहे हैं। उत्तरी 24 परगना जिले में बारासात और अमदांगा विकासखंड सब्ज़ियों की खेती के लिए प्रमुख इलाके हैं। लेकिन यहां के किसानों को कोलकाता के कोलेय बाज़ार जैसे पड़ोसी बाज़ारों की तुलना में उनके उत्पादों की कीमत बहुत कम मिल पाती है।

वे कहते हैं, हम कोलेय बाज़ार में विभिन्न सब्जियों का थोक और खुदरा भाव सुनकर अक्सर हैरान रह जाते हैं। हमें यहां जो भाव मिलता है, ये उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि बाबपुर के आठ किलोमीटर के दायरे में तीन बाज़ार हैं, लेकिन इन बाज़ारों तक अपना उत्पाद पहुंचाना इन किसानों के लिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। इन बाज़ारों तक उन्हें साइकिलों या फिर व्यक्तिगत वाहनों के ज़रिये उत्पाद ले जाने होंगे।

एक किसान अपने थोड़े से उत्पाद को दूर के बाजारों तक ढोकर ले जाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? उसको होने वाला लाभ तो फसल ढोने में ही खर्च हो जाएगा। श्री बाग अफसोस के साथ कहते हैं। उनके पास एक ही रास्ता होता है कि वे अपने उत्पाद स्थानीय थोक–विक्रेताओं को बेच दें।

चारुचंद्र बाग, सोमित्र मैती, शंकर जना, मोंटू जना और दूसरे बहुत से सीमांत किसानों का जीवन बदलने में द नेशनल वेजीटेबल इनीशिएटिव फॉर अरबन क्लस्टर्स (एनवीआईयूसी) प्रोग्राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कोलकाता से केवल 40 किलोमीटर दूर गांव में रहते थे। इस कार्यक्रम के ज़रिए किसानों को किसान हित समूहों (एफआईजी) के गठन के लिए प्रेरित किया गया, कि वे अपने उत्पादों को खुद की मोटर–गाड़ी के ज़रिए बाज़ार तक ले जाने में सक्षम हो सकें।

द इंडियन जर्मन सर्विसेस (आईजीएस) ने वीआईयूसी के तहत जिला उद्यानिकी कार्यालय (डीएचओ) के साथ मिलकर इस गांव में एफआईजी का गठन किया। उसने किसानों को अपने कुछ उत्पादों की बिक्री सामूहिक रूप से करने के लिए प्रेरित किया। बाबपुर कृषक संघ नाम का एफआईजी दूर के थोक और खुदरा बाजारों में अपने कुछ उत्पादों को सीधी–बिक्री पद्धति से बेचने के लिए तैयार हो गया। वह इसे कुछ दिनों के लिए आज़मा कर देखना चाहता था। उसने स्थिति की दैनिक समीक्षा की और भविष्य के लिए अपनी योजना तैयार कर ली।

>> खुदरा बाज़ार में किसान

>> पाटिलपुकर बाज़ार में मोंटू जना

किसानों ने किराए पर एक मोटर–गाड़ी की व्यवस्था की। चार टीमें बनाई गईं, उन्हें डीएचओ की मदद से कोलेय बाज़ार के साथ थोक व्यापार के लिए कोलकाता व्यापारसंघ के तीन खुदरा बाज़ारों का जिम्मा सौंपा गया।

''हर रात घर लौटने के बाद हम हिसाब करते थे और पाते थे कि हमें पर्याप्त मुनाफा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम परिवहन का व्यय खुद ही वहन करते थे। जबकि किसानों को ज्यादा पैसा मिल रहा था'' मोंटू जना याद करते हुए कहते हैं, वे उस टीम के सदस्य हैं जिन्हें उत्तरी कोलकाता के खुदरा बाजार में एक नए बाज़ार का जिम्मा सौंपा गया था। वे कहते हैं– हालांकि हमने अनुभव किया कि खुदरा बाज़ार की तुलना में थोक बाज़ार में हमें मुनाफा हो रहा है।

लगातार नुकसान के बाद चौथे दिन आईजीएस ने बाबपुर कृषक संघ के सदस्यों के साथ बैठकर नुकसान का आंकलन किया। उन्होंने पाया कि नुकसान का कारण उनके द्वारा बेचे गए उत्पाद की मात्रा थी। खुदरा बाज़ार में बेचे गए उत्पाद की मात्रा बहुत कम थी और यह अर्थव्यवस्था के नज़रिए से उपयुक्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, थोक विपणन के लिए मात्रा बड़ी होनी चाहिए। आईजीएस ने खुदरा विपणन बंद करने का निर्णय लिया और केवल थोक व्यापार ही जारी रखा।

इसके बाद एफआईजी ने विभिन्न थोक बाज़ारों में किराए की मोटर–गाड़ी से अपनी कुछ सब्जियों को ले जाना जारी रखा। निरंतर एक महीने तक ऐसा करने के बाद बाबपुर कृषक संघ ने खुद की मोटर–गाड़ी खरीदने का निर्णय लिया। आईजीएस ने वीआईयूसी की एक योजना के तहत एक टाटा ऐस वाहन की व्यवस्था की। बैंक से वित्तीय मदद का इंतजाम भी आईजीएस ने किया, केंद्र सरकार की एनवीआई योजना के तहत इसमें 50 प्रतिशत का अनुदान मिला। इस तरह अब बाबपुर कृषक संघ के पास खुद की मोटर–गाड़ी हो गई, जिससे वे अपनी सब्ज़ियां विभिन्न बाज़ारों तक खुद ले जाने लगे।

इसकी सफलता से चकित एक दूसरे एफआईजी काकोली कृषक संघ ने अपनी सब्ज़ियां बाज़ार ले जाने के लिए पहले ही मोटर–गाड़ी खरीद ली। तीन अन्य एफआईजी भी इसे खरीदने की तैयारी में हैं।

''यह बहुत छोटी पहल है''–शंकर जना कहते हैं, जो बारासात प्रोग्रेसिव वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक हैं। इस पहल को कृषक उत्पादक संगठन के स्तर पर ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। वे कहते हैं–''हम अब इस पहल को एफपीओ स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं, एक समूह की तरह काम करते हुए सब्ज़ियों का थोक विपणन करना हमारी व्यापार योजना में शामिल है''।

आईजीएस पश्चिम बंगाल में वीआईयूसी के तहत गठित सभी एफपीओ में इस पहल को आगे बढ़ा रहा है। एफपीओ समूह की तरह काम करते हुए वे उत्पाद और विपणन में जो लाभ अर्जित करेंगे वह उनकी बड़ी आर्थिक गतिविधि होगी। यह कहा जा सकता है कि सुनहरे भविष्य के लिए यह छोटी सी पहल बेहद कारगर साबित होगी।

>> संग्रह केंद्र में उत्पाद लाते किसान

>> बाबपुर कृषक संघ का मोटर चालित वेंडिंग वाहन

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– बाबपुर कृषक संघ, ग्राम–बाबपुर, विकासखंड–बारासात, पश्चिम बंगाल।

संसाधन संस्था का सपंर्क विवरण– इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस), बीसी–247, सेक्टर–1, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700064। फोन : 033–23596264। ईमेल : info@igsindia.org.in। oc lkbV : www.igsindia.org।

26.

13 साल बाद सब्ज़ियों की खेती

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः
हरिहर समृद्धि उत्पादक समूह
सहायक संसाधन संस्थान (आरआई):
इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस)

शेरसिंह भोपाल जिले के फांदा विकासखंड के कजलस ग्राम के निवासी हैं। उनके परिवार में पत्नी समेत तीन बच्चे, भाई और बहू हैं। इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस) इस गांव में लघु कृषक कृषि–व्यापार संघ (एसएफएसी) की एक राष्ट्रीय पहल की अगुवाई करता हुआ पहुंचा था। आईजीएस ने ग्रामीणों को एफपीओ यानि कृषक उत्पादक संगठन की एक अवधारणा के बारे में बताया, जिसे एसएफएसी द्वारा वीआईयूसी (वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स) के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है। शेरसिंह ने इस ओर कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वे पिछले 13 सालों से सब्ज़ियों की खेती नहीं कर रहे थे, लेकिन एफपीओ का सदस्य बन कर उसमें भागीदारी देना उन्हें जरूर पसंद आया।

उन्हें कृषक हित समूह (एफआईजी) का सदस्य बनाने के लिए टीम के सदस्यों ने तय किया कि शेरसिंह को सब्ज़ियां बोने के लिए प्रेरित किया जाए। सभी एफआईजी की बैठक बुलाई गई, सब्ज़ियों की खेती और उत्पादन के तौर–तरीकों पर हुए विचार–विमर्श में शेरसिंह ने भी हिस्सा लिया। उन्हें इस बात ने बेहद प्रभावित किया कि जिन किसानों ने अच्छा उत्पादन प्राप्त किया था, वे भी इस बैठक में सब्ज़ियों के उत्पादन की विधि और प्रक्रिया पर विचार–विमर्श कर रहे थे, वे दूसरे किसानों को समझा रहे थे। उनके लिए यह खुशी की बात थी कि आईजीएस के सदस्यों ने अनुभवों के इस बंटवारे में उत्साहपूर्वक मदद की।

शेरसिंह के विचारों में परिवर्तन लाने में एक और बैठक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह बैठक खाद और सब्ज़ियों के बीजों के इंतजाम को लेकर थी, जिसकी मांग एफआईजी ने की थी। उन्होंने देखा कि डाइअमोनियमफॉस्फेट के 300 बैगों और विभिन्न तरह के सब्ज़ी–बीजों की मांग राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी (एसएससीए), भोपाल द्वारा एकत्र की गई और प्रमाणित की गई। उन्होंने कहा था कि यदि एफआईजी के सदस्य बोने के इच्छुक हों तो राजगढ़ जिले में बीजों का पर्याप्त मात्रा में इंतजाम हो जाएगा। शेरसिंह समेत एफआईजी के सदस्यों ने राजगढ़ से पर्याप्त मात्रा में बीज हासिल करने के लिए अपनी मांग भेज दी।

>> शेर सिंह अपनी जोत के साथ

आईजीएस के सदस्य इस मांग को प्राप्त कर खुश थे, तीन–चार दिनों में किसानों के लिए खाद और बीजों का इंतजाम कर लिया गया। शेरसिंह ने भिंडी के बीज प्राप्त किए और एक एकड़ भूमि में उसे बोया। आईजीएस द्वारा 70 प्रतिशत अंकुरण का अनुमान व्यक्त किया गया था, लेकिन सफलता का परिणाम 84–92 प्रतिशत बीजों के अंकुरण के रूप में सामने आया।

आज शेरसिंह, जो हरिहर समृद्धि उत्पादक समूह के सदस्य भी हैं, एफआईजी से सब्ज़ी के बीजों की मांग इकट्ठी करने में मदद करते हैं और आदानों की जरूरतों के संबंध में बनने वाली योजनाओं में भागीदार होते हैं। आज की तारीख में कलजस ग्राम में लौकी, करेला, टमाटर, गोभी और भिंडी आदि के बीज मांग के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले किसानों को बीजों की कीमत एमआरपी जितनी देनी होती थी, लेकिन यही बीज अब उन्हें एमआरपी की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं।

>> अपने पुत्र व भाई के साथ शेर सिंह

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- हरिहर समृद्धि उत्पादक समूह, ग्राम कैलाश, विकासखंड फांडा, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण- इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस), बीसी–247, सेक्ट–1, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700064। फोन : 033–23596264। ईमेल : info@igsindia.org.inA वेबसाइट : www.igsindia.orgA

27.

निवेश के अनुरूप लाभ में इज़ाफे के लिए कपास की खेती में सुधार

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

निमाड़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

एक्शन फ,र सोशल एडवांसमेंट (एएसए)

द बेटर कॉटन इनिशिएटिव (बीसीआइ) एक विश्वव्यापी मुहिम है। साथ ही यह कपास के उत्पादन के तरीकों में सुधार के लिए एक प्रमाणन–कार्यक्रम भी है। इस पहल की शुरुआत एक डच एनजीओ सॉलिडरीडैड के जरिए एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (एएसए) ने वर्ष 2005 में की। सॉलिडरीडैड ने अन्य के साथ–साथ भारत में बीसीआई कार्यक्रम में भी धन उपलब्ध कराया। यह पहल न्यूनतम उत्पादन के मापदंडों को सूचीबद्ध करती है। न्यूनतम उत्पादन मापदंड अथवा एमपीसी उन परिस्थितियों को परिभाषित करता है जो कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। एमपीसी कपास उत्पादन के सभी पहलुओं, पर्यावरण, संसाधनों का प्रबंधन, कपास की उपज एवं गुणवत्ता, काम कर रहे लोगों के लिए परिस्थितियां, आदि को स्पर्श करता है।

इस प्रकार उत्पादित कपास गुणात्मक रूप से बेहतर–कपास के रूप में अनुशंसित होता है। सामान्य रूप से पैदा किए जाने वाले कपास की तुलना में इस कपास के धागे लंबाई और मजबूती के मामले में बेहतर होते हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अच्छी मांग है। संभावित खरीदारों में एडीडास से लेकर वालमार्ट जैसे ब्रांड भी षामिल हैं, जो स्वयं भी बीसीआई के सदस्य हैं।

हाल के सालों में, कपास उत्पादक किसानों ने अपने निवेश में इज़ाफा किया है, लेकिन उन्हें इसके अनुरूप आमदनी नहीं हो पा रही है। बावजूद इसके कि विश्व में कपास की मांग बढ़ रही है, किसानों को होने वाली आमदनी नकारात्मक है, खासकर छोटे जोत वाले किसानों के मामले में। इसके समाधान के लिए बीसीआई ने एक वैकल्पिक कपास उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य कृषि के बेहतर तौर–तरीकों (जीएपी) को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के मानदंडों का ध्यान रखा गया है, साथ ही न्यायसंगत तरीके से पर्यावरण की रक्षा, पानी के कुशल–उपयोग, कृषि–आदानों और कपास उत्पादकों के लिए बाज़ार संबंधों की मजबूती पर ज़ोर दिया गया है।

जिस कपास को बेहतर–कपास के लिए अनुशंसित किया जाता है, उसके लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था तय की गई है। पहले चरण में फसल का उस समूह द्वारा आत्म–मूल्यांकन किया जाता है, जो इसके नये तौर–तरीके सीख रहे हैं। दूसरे चरण में कपास का मूल्यांकन एएसए करता है। और तीसरे चरण में इसका मूल्यांकन वह संस्था करती है जिसे सॉलिडरीडैड अथवा बीसीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक तरीके से उगाई गई कपास को इस प्रमाणीकरण प्रक्रिया में 80 प्रतिशत सफलता मिल जाती है।

>> नवाचार के लिए आईसीटी सामग्री

छह उत्पादक – ईकाइयों के माध्यम से इस अभिनव पहल को मध्यप्रदेश के चार जिलों में लागू किया गया। इसमें 13,000 छोटे किसान शामिल किए गए। कमज़ोर उत्पादकता का समाधान करने, प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी तौर पर और कुशलतापूर्वक उपयोग करने,प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के ज़रिए भूमि की उर्वरता की बहाली की सोच के साथ इस पहल की अवधारणा की गई थी। इसी के अनुरूप इसे तैयार किया गया था। हर कृषक–ईकाई वास्तव में एएसए द्वारा प्रोत्साहित कृषक उत्पादक कंपनी (एफपीसी) थी, जिसमें औसत 80 ऐसे समूह शामिल थे जो इन नये तौर–तरीकों को सीख रहे थे। ये गतिविधि आधारित समूह (एबीजी) थे, जिनमें औसतन 20 सदस्य और एक सुविधा–प्रदाता था, जो समूह की गतिविधियों को सुविधाएं उपलब्ध कराता था।

भारत में 80 फीसदी लक्ष्यित किसान आदिवासी समुदाय से अथवा उन समूहों से हैं जो आर्थिक–सामाजिक रूप से हाशिये पर हैं। छोटी जोत के किसान, कमज़ोर सिंचाई संसाधनों तथा अधोसंरचना की कमी की वजहों से उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी आमदनी बेहद कम है। यह इतनी कम है कि इससे बेहतर–ज़िंदगी जी पाना संभव नहीं। इसके परिणाम स्वरूप मौसमी पलायन शुरू हो जाता है, परिवारों को गैर–कृषि मौसम में दिहाड़ी मजदूरी की तलाश में निकट के शहरों में जाना पड़ता है। आय में कमी उन्हें साहूकारों से कर्ज लेने के लिए मजबूर करती है, जिनके अत्यधिक ब्याज दर को चुका पाना कठिन होता है। इन किसानों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। वे परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं कर सकते।

हालांकि इस पहल से सदस्यों को अनेक लाभ हुए हैं, जिनमें भूमि और नमी संरक्षण की परंपराओं का विकास भी शामिल है। केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से भूमि और जल विकास की दिशा में काम की शुरुआत हुई है। अंतर–फसल और फसल–विविधता को प्रोत्साहन मिल रहा है। घर पर बनाए गए कीटनाशकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। खतरनाक रसायनों के उपयोग में कमी लाने के लिए कई प्रदर्शन किए गए, जिसका उद्देश्य किसानों की सेहत के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करना भी था।

पैरा–प्रोफेशनल्स के कैडर का विकास कपास उत्पादन के जोखिम को कम करने के लिए काफी है। जुलाहों (कारखानों) और किसानों के बीच बेहतर–कपास की खरीद की प्रक्रिया को सुविधापूर्ण बनाने के लिए एफपीसी ने एक परियोजना भी शुरु की है। इससे बिचौलियों का खत्मा हुआ और उत्पादकों को उत्पाद पर अधिकतम लाभ मिलने लगा। इस प्रणाली की स्थापना के बाद 5,586 लाख टन कपास, जिसकी कीमत 2,244.23 लाख होती है, उत्पादित किया गया। किसानों की प्रति व्यक्ति आय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और अब यह 9000 रुपए हो चुकी है।

इस पहल की उपलब्धियाः–

मापदंड	2010-11	2011-12	2012-13 (Dec '12 तक)	कुल प्रगति
बेहतर कपास के सिद्धांत में प्रशिक्षित किसानों की संख्या	6,000	8,500	10,184	24,684
स्वैच्छिक प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या	5,135	8,059	10,184	23,378
थर्ड पार्टी द्वारा बेहतर–कपास उत्पादक के रूप में प्रमाणित किसानों की संख्या	4,108	6,608	8,059	18,775
प्रमाणित उत्पादन की मात्रा (मीट्रिक टन में)	10,087	18,227	22,651	50,965
उन गांवों की संख्या जिन्हें शामिल किया गया	73	92	119	284
शामिल की गई भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	6,119	9,084	10,502.73	--
बीसीआई कपास जिसे बाज़ार से जोड़ा गया (मि. ट./मूल्य लाख रुपए में)	--	36,38/1,455.20	1,948/789.03	5,586/2,244.23

यह अभिनव पहल जीएपी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है, इसे किसी भी फसल के लिए लागू किया जा सकता है, किसी भी समुदाय द्वारा अपनाया जा सकता है।

इस पहल से पड़े प्रभाव के कुछ अंश–

- लगभग 65 प्रतिशत किसानों ने 30 किलो प्रति एकड़ की बीज–दर की अनुशंसा को अपनाया है, इससे प्रति एकड़ 30–40 किलो से लेकर 50 किलो तक पूर्व में प्रचलित बीज–दर में कमी आ गई है।

- घर पर बने कीटनाशक और कीट नियंत्रण की स्वदेशी विधियों ने किसानों की कड़ी मेहनत से कमाए गए धन को बचाया है।

>> नाजुक फसलों की सावधानीपूर्वक बिनाई

>> बेहतर कृषि व्यवहार– मकई के साथ कपास की इंटर क्रॉपिंग

>> नवाचार के लिए आईसीटी सामग्री

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– निमाड़ प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ग्राम ओझार, जिला–बड़वानी, मध्यप्रदेश।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (एएसए), ई–5/ए, गिरीश कुंज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर (शाहपुरा ब्रांच), भोपाल, मध्यप्रदेश–462016। फोन : 0755–4057926, 2427369। ईमेल : asa@asabhopal.orgA

28.

एकजुटता की ताकत पर बढ़ा भरोसा

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

जैन हनुमान समृद्धि उत्पादक समूह

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस)

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) द्वारा कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को प्रोत्साहित करने की परियोजना साझा करने के लिए भोपाल की इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस) की टीम अक्टूबर माह में ग्राम बाउरखेड़ी गई थी। यह गांव मध्यप्रदेश में ही है। इस गांव का चयन इसलिए किया गया, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान हैं, जो संभावित समूह के निर्माण के लिए अन्य गांवों के करीब थे। इसके लिए उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत थी।

इस गांव के उत्पादक हालांकि किसी भी बाहरी व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। टीम ने गांव के मुखिया से बात की और उन्हें इस परियोजना के उद्देश्य के बारे में समझाने की कोशिश की। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आपस में जोड़ती है, उन्हें सौदा करने की ताकत से लैस कर सशक्त बनाती है, वातावरण को बेहतर करती है और सब्ज़ियों की खेती के प्रबंधन के स्वस्थ तौर–तरीकों को प्रोत्साहित करती है। संगठन के निर्माण की दिशा में यह पहला कदम था। आखिरकार, उत्पादकों के सहयोग से ग्राम स्तर पर कृषक हित समूह (एफआईजी) के गठन के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक में खेती के मौजूदा नमूने में किसानों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में बात की गई है। उन्हें बताया गया कि सामूहिक रूप से खरीदारी करने और विक्रय करने के क्या फायदे हो सकते हैं। इसमें चर्चा की गई कि सदस्यों को एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाने की दिशा में काम शुरू कर देना चाहिए। उन्हें समूह ने समझाया कि वे सामूहिक रूप से थोक खरीद के जरिए आदानों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पर सकते हैं और धीरे–धीरे एफपीओ के जरिए सामूहिक बिक्री की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। किसानों को इस दिशा में जागरूक किया गया कि कीमतों से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए समूह के गठन की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्हें बताया गया कि एफपीओ के जरिये उन्हें किस तरह सौदा करने की ताकत हासिल हो जाएगी।

>> बीओडी की ट्रेनिंग

>> उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को ट्रेनिंग

आखिरकार, 14 किसानों वाला जैन हनुमान समृद्धि उत्पादक समूह गठित किया गया। समूह के प्रबंधन और सुचारू कामकाज के लिए समूह के सदस्यों ने अपना अगुवा चुन लिया। समूह ने ही अपने मापदंड निर्धारित किए, इसमें हर महीने बैठक का भी प्रावधान शामिल था। एफआईजी के नाम पर बैंक में एक खाता भी खोल लिया गया और मासिक रूप से 100 रुपए की बचत शुरू की गई। धीरे– धीरे, निरंतर रूप से इसके सदस्य आदानों के इंतजाम की पूर्व योजना और थोक–खरीदारी के लिए प्रशिक्षित होते गए। धीरे–धीरे बैठकों में वे खुद ही रचनात्मक निर्णय लेने लगे।

आज, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि वे मोबाइल आधारित फसल सलाह सेवा से जुड़ गए, इससे उन्हें उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी मिली। इन योजनाओं पर किसान अपने समूहों में नियमित चर्चा करते हैं और आम सहमति तैयार करते हैं। समूह के सदस्यों ने आपस में मिलकर कई योजनाओं, उसकी प्रक्रिया और होने वाले लाभ की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आईजीएस के सदस्यों से मदद मांगने के लिए संपर्क किया, सदस्यों के साथ समूह के दो सदस्य उद्यानिकी विभाग गए और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कीं।

किसानों ने यह प्रदर्शित किया है कि उनमें विभिन्न तरह की क्षमताओं का विकास हुआ है। खरीफ में आवश्यक आदानों इंतज़ाम के लिए किसानों ने अग्रिम योजना तैयार की। जब किसानों ने बाज़ार–सूत्रों के संबंध में मदद की मांग की तो आईजीएस ने चार–पांच डीलरों–वितरकों की पहचान की। चयनित डीलर ने जिस दर पर उन्हें सामग्री की आपूर्ति की, वह उससे कम थी जिस दर पर किसान पूर्व में इन्हें खरीदा करते थे। उन्होंने 1,000 रुपए प्रति बैग की दर से 250 बैग डाइअमोनियम फास्फेट खरीदा, जबकि बाज़ार में इसकी कीमत 1,115 रुपए प्रति बैग थी। इस तरह उन्हें केवल डीएपी पर कुल 28,750 रुपए की बचत हुई।

एक समय के बाद, इस समूह ने अन्य गांवों में भी एफआईजी के गठन में मदद की। आज, ग्रामीण स्तर के सभी प्राथमिक समूहों ने एक–दूसरे के करीब आकर एक उत्पादक कंपनी बना ली है – उन्नत किसान प्रोड्यूसर कंपनी, ताकि उनकी सौदे की शक्ति और भी बढ़े और उन्हें एकजुटता का और ज्यादा फायदा मिले।

>> उद्यानिकी विभाग द्वारा बीजों के किट का वितरण

>> बीओडी मीटिंग

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/ पता– जैन हनुमान समृद्धि उत्पादक समूह, ग्राम बाउरखेड़ी, तहसीलः हुजुर, जिलाः–भोपाल, मध्यप्रदेश।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस), बीसी–27, सेक्टर–1, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700064। फोन : 033–23596264। ईमेल : info@igsindia.org.inA वेबसाइट : www.igsindia.orgA

29.

संगठित कार्य के लिए प्रशासन प्रणाली का विकास

कृषक उत्पदक संगठन (एफपीओ) का नामः

वर्धा क,टन एंड सोया प्रोड्यूसर कंपनी

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस)

पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या के कई प्रकरण सामने आए हैं। सब्सिडी और कर्ज में छूट देने जैसे राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद संकट अब तक टला नहीं है।

एक्शन रिसर्च (एजीआरएएसएआर) परियोजना के तहत विदर्भ में कृषि स्थिरता लाने के उपक्रम में इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस) ने दिसम्बर 2011 में अकोला, अमरावती, वर्धा और यवतमाल में चार उत्पादक कंपनियों का गठन किया। इसका उद्देश्य गरीब और कमज़ोर किसानों में आत्मविश्वास पैदा करना था ताकि वे अपनी कठिन परिस्थितियों से मुकाबला कर सके और अपने जीवनस्तर को बेहतर बना सकें।

इस पहल के तहत आईजीएस ने प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई तरीके लागू किए–इनमें से एक था लेखा–पद्धति (अकाउंटिंग सिस्टम) को अपनाया जाना। किसी संगठन को चलाने के लिए लेखा (अकाउंटिंग) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाता बनाने और उनके रखरखाव की बारीकियां समझाने के लिए उत्पादक कंपनी को गहन प्रषिक्षण देना जरूरी था।

प्रोड्यूसर कंपनी की ईकाई के रूप में एक उत्पादक समूह द्वारा संचालित दाल मिल भी अपने खाते का संचालन करती थी, समय–समय पर इसका ऑडिट भी कराया जाता है। यह प्रक्रिया उत्पादक समूह के सदस्यों तथा संचालक मंडल के सदस्यों के बीच पारदर्शिता स्थापित करती है। उत्पादक कंपनी की मासिक बैठकों में खातों का मासिक–विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा हर उत्पादक कंपनी द्वारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली का भी इस्तेमाल किया जाता है।

आईजीएस को यह बात समझ में आ गई कि सूचना और संवाद के उपकरण सशक्त माध्यम हो सकते हैं, इस तरह समूह ने उन्हें सिखाया कि उत्पादक कंपनी के कामकाज को सहज एवं सुगम बनाने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। संचालक मंडल के सदस्यों को क्लोज़ यूजर ग्रुप (सीयूजी) मोबाइल प्लान लेने के लिए प्रेरित किया गया। संचालक मंडल के कुछ सदस्य, जो विभिन्न जिलों से हैं, अब सीयूजी फोन सेवा का उपयोग कर रहे हैं। इससे उन्हें सभी सूचनाएं और अपडेट्स मुफ्त प्राप्त करने में मदद मिल रही है। साथ ही वे लगातार एक दूसरे के संपर्क में भी रहते हैं। प्रभावी संवाद के लिए, उत्पादक कंपनियों के चार अध्यक्ष हर हफ्ते अपनी कंपनियों की प्रगति साझा करने के लिए कॉन्फरेंस–कॉल्स आयोजित करते हैं। सभी कार्यालयों में डेस्कटॉप कंप्यूटरों में इंटरनेट कनेक्शन हैं और नेट–डोंगल के जरिए वे हर समय इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं। कृषि संबंधी वेबसाइटों पर नजर रखने के लिए निदेशक प्रभावी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। इन साइटों में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमआईडीसी) तथा अन्य सरकारी योजनाओं संबंधी वेबसाइटें शामिल होती हैं।

वर्धा उत्पादक कंपनी के निदेशक श्री ज्ञानेश्वर दिवाने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे, उन्होंने किस्त में स्वयं का लैपटॉप खरीद लिया है। इस लैपटॉप में वे हमेशा कंपनी का काम कर सकते थे। दूसरों के कंप्यूटर पर काम करते देखकर उन्होंने खुद ही सीख लिया, आज वे फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल–वेबसाइटों का उपयोग करने में माहिर हो चुके हैं।

निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसमें कई हितग्राहियों की भागीदारी होती है, जटिल होती है और इसमें काफी समय लग जाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि उत्पादक कंपनी के कार्यालय में एक रिकार्ड रजिस्टर रखा जाए। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को पहले चार निदेशकों से फोन पर चर्चा

करनी होगी। इस चर्चा का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। फिर फोरम द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उस काम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मासिक बैठकों में रजिस्टर में दर्ज विवरण को पढ़ा जाता है, फिर मुद्दों का हल निदेशकों द्वारा निकाला जाता है। उत्पादक कंपनी का दौरा करने वाले कई संगठनों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि वे भी इसी तरह की प्रक्रिया लागू करने का इरादा रखते हैं।

हर व्यावसायिक गतिविधि में भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए सभी उत्पादक कंपनियों के निदेशक मंडल को सशक्त बनाया गया है। उन्हें व्यावसायिक योजनाएं तैयार करने से लेकर उसे लागू करने तक हर स्तर पर सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है, इसमें क्रियान्वयन करने वाला समूह मददगार होता है। वर्ष 2012 में 1,500 क्विंटल सोयाबीन का व्यापार हुआ, 600 क्विंटल अरहर और 1,500 क्विंटल कपास की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई। चयन से लेकर परिवहन तक की पूरी प्रक्रिया निदेशकों द्वारा संचालित की गई। अब वे अपने व्यवसाय को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज़ हैं।

ये कंपनियां दिन प्रति दिन सफलतापूर्वक प्रगति कर रही हैं, उनका काम बढ़ता जा रहा है। इसलिए संचालक मंडल के सदस्यों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे हर गतिविधि में भागीदार हों और प्रक्रियाओं में अपना योगदान दें। आईजीएस ने संचालक मंडल के सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं, इन्हें निभाने में उनकी मदद भी की जाती है। हर संचालक मंडल के सदस्य को उनके अपने गांव के लिए अभिभावक की भूमिका सौंपी गई है। कुछ आसपास के गांवों की भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं।

शेयर इकट्ठा करने के लिए निदेशक गांवों में शाम की बैठकें आयोजित करते हैं। वे प्रचार–प्रसार और जानकारियां साझा करने के लिए एक–दूसरे के गांवों का दौरा करते हैं। कार्यक्रमों के आयोजन, प्रदर्शन यात्राओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रबंधन, दूसरे संगठनों में प्रदर्शन यात्राओं के बारे में उत्पादक कंपनी के निदेशक एवं आईजीएस की टीम सभी जिम्मेदारियां साझा करती है।

>> रजिस्टर में बैठक की कार्यवृत्तियों को संग्रहित करते हुये।

>> बीओडी मीटिंग में अकाउंट की प्रस्तुति

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- वर्धा कॉटन एंड सोया प्रोड्यूसर कंपनी, ग्राम–देवेली, विकासखंड–देवेली, जिला–वर्धा, महाराष्ट्र।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण- इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आईजीएस), बीसी–247, सेक्टर–1, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700064। फोन : 033–23596264। ईमेल : info@igsindia.org.inA वेबसाइट : www.igsindia.orgA

30.

खुशहाली के लिए व्यावसायिक बीज का उत्पादन

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

बिजावर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

एक्शन फ,र सोशल एडवांसमेंट (एएसए)

मध्यप्रदेश में एक खरीफ मौसम के दौरान करीब 5 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर सोयाबीन की जुताई की जाती है। मध्यप्रदेश विश्व का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है, जिसे भारत का "सोयाबीन राज्य" भी कहा जाता है। बावजूद इसके, राज्य की उत्पादकता महाराष्ट्र जैसे अन्य पड़ोसी राज्य से काफी कम है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो छोटे व सीमांत किसानों को रोक रहे हैं। जैसे कि उन्नत और धारणीय कृषि पद्धतियों पर जागरूकता की कमी, व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी विपणन सुविधाएं और विस्तार सेवाओं की गैर मौजूदगी।

छोटे और सीमांत किसान को सीमित करने वाले प्रासगिक मुद्दे है सुधारित और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के विषय में जागरूकता की कमी, साथ ही साथ व्यवहार्य और प्रतियोगी विपणन सुविधाओं और विस्तार सेवाओं का अभाव, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को गिराती है, और कम उपज का उत्पादन करती है। इन क्षेत्रों में किसान एक उच्च बीज दर का उपयोग करते हैं–अनुशंसित 80–90 किलो प्रति हेक्टेयर के बजाय 135 किलो प्रति हेक्टेयर गुणवत्ता वाले बीज की अनुपलब्धता और 19.37 प्रतिशत् पर एक प्रतिस्थापन दर वे मुद्दे हैं जो इन समस्याओं को और बड़ा बनाते है।

ज्यादातर किसान कृषि निवेश के बेहतर उपयोग से अनभिज्ञ हैं। साथ ही हानिकारक रसायनिक कीटनाशकों और तृणनाशकों के प्रभाव के बारे में भी उन्हें नहीं पता। क्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक कृषि विस्तार वितरण प्रणाली की कमी के चलते स्थानीय साहूकार, छोटे व्यवसायी और विक्रेता ही उनके कृषि सूचना के प्रमुख स्रोत हैं। परिस्थितियां जैसे बाज़ार के अनुरूप गुणवत्ता की कमी, उपयुक्त बाज़ारों तक कमजोर पहुंच, सोया मूल्य श्रृंखला पर जागरूकता का अभाव और किसानों की कमज़ोर परक्रामण क्षमता के परिणाम स्वरूप उत्पादन की बिक्री पर कम मुनाफा हासिल होता है, जिससे छोटे किसानों को ज्यादा आघात पहुंचता है।

>> स्वदेशी पौध रूपी दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहन

>> किसानों को फील्ड ट्रेनिंग

एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (एएसए) एक गैर सरकारी संगठन है जो राउंड टेबल ऑन रेस्पोंसिबल सोय (आरटीआरएस) एसोसिएशन के ज़रिए काम करता है। यह सोया किसानों का नेदरलैंड स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है। आरटीआरएस सोया उत्पादन पर एक वैश्विक, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और पर्यावरण की दृष्टि से ठोस बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। यह उत्पादकों, सामाजिक संगठनों, व्यापार और उद्योग सहित – हितधारकों और इच्छुक पार्टियों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार सोया उत्पादन के लिए अग्रणी वैश्विक समाधान विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम वर्तमान में पांच देशों में चल रहा है: अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, भारत और पराग्वे। भारत में इसे मध्य प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस विधि की प्रवीणता यह है कि, यह सिर्फ सोया उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, यह किसी भी समुदाय में, अन्य सभी कृषि उत्पाद के लिए लागू किया जा सकता है।

इस नवप्रवर्तन का उद्देश्य लघु धारकों के मध्य सोया उत्पादन को लोकप्रिय बनाना है ताकि प्राकृतिक संसाधनों और निवास स्थानों को खतरे में डाले बिना मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। किसानों और मजदूरों की भागीदारी इसमें अहम है। व्यावसायिक विकास हासिल करने और उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के उत्तरदायी उत्पादन के तौर–तरीके दीर्घकालिक फायदें दिला सकते हैं। साथ ही वातावरण संबंधी कारकों, जैसे–कृषि की निरंतरता का ध्यान रखकर सामाजिक सौहार्द्रता बरकरार रखी जा सकती है।

नवाचार

शुरुआत में इस नई तकनीक का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के पांच जिलों– दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर और गुना में किया गया, जिसे वहां रहने वाले 10,500 किसानों ने अपनाया। पहले तीन ज़िलों में करीब 70 फीसदी लोग पिछड़े हैं और उनके पास छोटी जोत हैं। लिहाज़ा किसानों को उनकी जोत के अनुपात में कम फायदा मिलता था। इसके अलावा हर दो–तीन साल में सूखे और भारी बारिश की मार भी झेलनी पड़ती थी।

कमज़ोर मृदा उत्पादकता से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए इस नवाचार की संकल्पना की गई और इसे डिजाईन किया गया। वहीं, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग में भी इससे मदद मिली। इसके अतिरिक्त, खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग में कमी आई, बाज़ार संबंन्धों में सुधार आया और सोया उत्पाद के दामों में बढ़ोतरी हुई जिससे किसानों के फायदे में भी वृद्धि हुई। बाल मजदूरी तथा रसायन और कीटनाषकों के सुरक्षित उपयोग के मुद्दों पर जागरूकता लाने के मद्देनजर भी इस विचार को उपयोग में लाया गया। साथ ही मल्टी–स्टेक किसान समर्थन प्रणाली का निर्माण कर पर्यावरण के अनुकूल कृषि व्यवहार को प्रोत्साहन दिया गया।

एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (एएसए) ने अपने साझेदारों की मदद से 116 गांवों के 10,000 से भी अधिक किसानों को जिम्मेदार सोयाबीन उत्पादन का प्रशिक्षण दिया। उत्पादित सोया को मुंबई की कंट्रोल यूनियन एंड सर्टिफिकेशन फर्म एसजीएस के मापदंडों के आधार पर तीसरे पक्ष के ऑडिट के लिए अनावृत किया गया। 70 फीसदी से ज्यादा उत्पादकों को अनुमोदित व प्रमाणित किया गया। किसानों के प्रमाण पत्रों का यूरोपीय खरीदारों के साथ लेन–देन किया गया, जिससे 8 लाख रुपए से भी ज्यादा का प्रीमियम हासिल हुआ। यह बाज़ार भाव से भी ज्यादा था। वर्ष 2012 में इन किसानों ने 10,326 लाख टन प्रमाणित सोया उत्पादन किया।

इस नवाचार ने प्रभावी तरीके से खेतों को कई फायदे पहुंचाए– जिसमें पर्यावरण के अनुकूल कृषि व्यवहार, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और बेहतर गुणवत्ता वाले कृषि आदान शामिल हैं। इसके चलते सोया जुताई से मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई। इसकी उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

क्र. सं.	उपलब्धि के मापदंड	उपलब्धियां
1	पंजीकृत किसानों की संख्या	9,197
2	प्रमाणित किसानों की संख्या	7,165
3	योजना के दौरान प्रमाणित सोया उत्पादन	32,727 मीट्रिक टन

4	योजना से जुड़े किसानों की उत्पादकता में वृद्धि	18%, राज्य औसत पर
5	धारणीय सामाजिक, वातावरणिक और आर्थिक परिस्थितियों के अंतर्गत प्रमाणित भूमि	6,902 हेक्टेयर
6	सोया फसल के बीज प्रतिस्थापन दर में बदलाव	8.22%
7	सोया उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सामाजिक और पर्यावरण संबंधी प्रमाण पत्र पाने वाले किसानों की संख्या	7,165
7a	महिला किसानों की संख्या	1,837
7b	पुरुष किसानों की संख्या	5,328
8	छोटे उत्पादकों और खरीदारों के मध्य हुए व्यावसायिक अनुबंधों की संख्या	1
8a	अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों की संख्या	1
9	सहकारी समितियों और अन्य संगठनात्मक व्यवस्थाओं में उत्पादकों की संख्या	22,700 &¼मध्यप्रदेश के पांच जिलों में 9 कृषक उत्पादक संगठनों के तहत उत्पादक½
10	जुताई की लागत में उत्पादकों को औसत लाभ	2,500-5000 रूपये प्रति हेक्टेयर
11	साधारण सोया की औसत दर पर अनुमानित आर्थिक मुनाफा	100 रू. प्रति क्विंटल

लिहाज़ा ये बात साफ है कि यह नवीन कृषि तकनीक कृषि व्यवहारों में बेहतरी के साथ वातावरण को भी सुरक्षित रखता है। इसे किसी भी अन्य फसल पर प्रयुक्त किया जा सकता है तथा किसी भी समुदाय द्वारा इसे अपनाया जा सकता है।

>> सुरक्षित बीज ट्रीटमेंट

प्रमाणन

प्रमाणन के लिए आरटीआरएस कार्यक्रम को सोया उत्पादक समर्थन पहल (सोयप्सी) कहा जाता है। इसका उद्देश्य छोटे पैमाने पर किसानों और खेत मजदूरों को समर्थन देना और उन्हें प्रमाणन के लिए तैयार करना है। प्रतिभागी सोया किसानों के साथ आरटीआरएस के सिद्धांतों का अनुपालन करने की उम्मीद की जाती है और दोनों आंतरिक लेखा परीक्षा और बाह्य लेखा–परीक्षा प्रणालियों के माध्यम से निगरानी की जाती है। सफलतापूर्वक बाह्य लेखा परीक्षा से गुजरने पर, किसान समूह (न कि व्यक्तिगत किसान) को जिम्मेदार सोया का उत्पादन करने के लिए एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। प्रमाण पत्र अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार योग्य हैं। सोलिडरीडैड की मदद के साथ, उन्हें फ्रीसलैंड कैम्पिना जैसे अंतरराष्ट्रीय डेयरी कंपनियों को बेचा जा रहा है, जो उन्हें अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के एक भाग के रूप में उन्हें खरीदते हैं।

सोयप्सी के भाग के रूप में, मध्यप्रदेश में सोया उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक हस्तक्षेप किया गया था। सर्वेक्षण में एक गांव की पहचान की गई और पाया गया कि ये किसान असंगठित थे और इसलिए, व्यक्तियों के साथ काम करने के बजाय एक समूह दृष्टिकोण अपनाना, इस कार्रवाई का सर्वोत्तम रास्ता था।

लक्षित गांवों से 4 हेक्टेयर तक की जमीन के जोत वाले सोया किसानों की पहचान के लिए एक प्रक्रिया अपनाई गयी। फैसले लेने के लिए बैठकें आयोजित की गयीं और इन समूहों को अपने स्वयं के नियमों, विनियमों और मूल्यों को विकसित करने की स्वतंत्रता थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पैकेज आरटीआरएस दिशानिर्देशों के अनुसार थे – जैसे आईएनएम, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन (आईडब्लूएम), एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), जैव–कीटनाशक, बुवाई प्रथाओं और बूंद वृक्षारोपण सहित जल प्रबंधन के तरीकों में उन्हें प्रशिक्षित किया गया है, और हर 25–30 किसानों के लिए एक डेमो प्रदर्शन किया गया था।

कृषि आदानों के लिए, निर्माता समूहों के लिए पिछड़े संबंधों को चुना गया जिसकी वजह से थोक दरें मिल गयीं। अतिरिक्त राजस्व के लिए प्रमाण पत्रों का अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रय विक्रय हो रहा था, और सोलिडरीडैड की मदद से उन्हें फ्रीज़लैंड कैम्पिना को बेचा जा रहा था। सोयाबीन उत्पादन के लिए, खाद्य और पशु चारा कंपनियाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के बारे में जान चुकी थीं। यूनीलीवर, कारगिल और न्यूट्रेको जैसी कंपनियां लगातार आरटीआरएस सिद्धांतों के अनुसार सोया की खेती की पहचान कर रहे हैं।

इस पहल के परिणाम स्वरूप किसानों ने अब मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृदा परीक्षण अभ्यास और संतुलित उर्वरक खुराक डालने की ओर कदम बढाया है। इनसे उत्पादकता में प्रभावी ढंग से वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, 2011 में, वर्तमान राज्य औसत 11.05 क्विंटल/हेक्टेयर है, जबकि एक आरटीआरएस किसान की औसत उत्पादकता 13.65 क्विंटल/हेक्टेयर थी।

सुनवानी गोपाल गांव में एक किसान के सोया फसल पैदावार के कुछ नमूने इस प्रकार हैं। इसके अलावा निम्न चित्र में अधिक से अधिक उपज के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले आरटीआरएस सिद्धांतों को दर्शाया गयाः

किसानों के लिए अतिरिक्त आय
हस्तक्षेप से पहलेः
एक एकड़ से उपज – 4.42 क्विंटल,
बाज़ार मूल्य – 2,000 रु/क्विंटल
किसान को राजस्व = 4.42 X 2.000 = 8.840

किसान समूह अपने सदस्यों के लिए, महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं जैसे, बचत को बढ़ावा देना, थोक खरीद, बाल श्रम का उपयोग नहीं करना, बराबर मजदूरी प्रदान करना और कीटनाशकों के खतरनाक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। अन्य तरीके जैसे, आपात स्थिति के मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य किट का उपयोग करना, खाद का उपयोग, कीट प्रबंधन, जब जरूरत हो अनुमतियाँ और प्राधिकार लेना, प्राधिकरण के उपयोग जैसे अन्य प्रथाओं, खाद के लिए फसल अवशेषों का उपयोग, आदि भी अपनाया गया है। आरटीआरएस सिद्धांतों के विभिन्न कदाचारों के निराकरण के लिए एक महत्वपूर्ण जवाब के रूप में विकसित किया गया है।

इस सिद्धांत के माध्यम से सीखा गया एक महत्वपूर्ण सबक है कि निर्माता–समूह दृष्टिकोण ने उत्कृष्ट काम किया और जागरूकता बढाने की प्रक्रिया प्रशिक्षण, और साथ ही साथ निर्धारित आरटीआरएस सिद्धांतों को अपनाने की दर में वृद्धि हुई। समूह दृष्टिकोण ने उन्हें कई कृषि योजनाओं को जोड़ने में मदद की जो किसानों को सौदेबाजी की शक्ति देता है।

किसानों ने प्रमाणित कर दिया कि वे अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम हैं। सही ढंग से आरटीआरएस के सिद्धांतों का पालन करने में एक किसान की विफलता उनके संपूर्ण निर्माता समूह को प्रमाणित होने से अक्षम बना सकती है। इस समूह दबाव ने बेहतर प्रतिफल पाने में मदद की है। एक–एक किसान की प्रथाएं संपूर्ण समूह के राजस्व को प्रभावित कर सकते हैं, के बाद से, साथियों के दबाव आरटीआरएस सिद्धांतों की गोद लेने के सुनिश्चित करने में एक मजबूत भूमिका निभाई है।

>> सुरक्षित कीटनाशकों का छिड़काव

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- बिजावर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड., ब्लॉक बिजावर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश।

संसाधन संस्था का सपंर्क विवरण- एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (एएसए), ई–5/ए, गिरीश कुंज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर (शाहपुरा ब्रांच), भोपाल, मध्यप्रदेश– 462016। फोन : 0755–4057926, 2427369। ईमेल : asa@asabhopal.orgA

31.

गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन से मिल रहा लाभ

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः
बिजावर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड व अन्य
सहायक संसाधन संस्था (आरआई):
एक्शन फ,र सोशल एडवांसमेंट (एएसए).

इस सच से सभी वाकिफ हैं कि गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता काफी कम है। लेकिन यह एक मूल व आवश्यक कारक है जो किसी भी फसल के उत्पादन वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास नहीं किए गए तो संपूर्ण उत्पादकता में कमी आ सकती है। लिहाज़ा कई लघु धारकों ने किसान उत्पादक कंपनियों के अंतर्गत भारतीय बीज निगम जैसी बड़ी सरकारी एजेंसियों के साथ एक पुनर्खरीद की व्यवस्था निर्मित कर प्रमाणित सोया बीज के उत्पादन की एक नवीन पहल की है।

वर्तमान में बीज उत्पादन मध्यप्रदेश और बिहार के 25 से भी ज्यादा किसान उत्पादक कंपनियों की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों में एक है। किसान उत्पादक कंपनियों का स्वामित्व उन लघु धारकों से जुड़ा है, जिन्हें कृषि विस्तार सेवाओं का फायदा नहीं मिल पाता। इसके परिणाम स्वरूप वे ज्यादा लाभ नहीं अर्जित कर पाते। लिहाज़ा राज्य को सभी फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापन की कम दर के लिए जाना जाता है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए किसान उत्पादक कंपनियों के ज़रिए लघु धारकों को जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 2,870 लाख टन प्रमाणित सोया बीज के उत्पादन के लिए भारतीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के साथ इन कंपनियों का औपचारिक रूप से करार किया गया है।

बीज एक आला उत्पाद है जो साधारण अनाज में लाभांश जोड़ता है। इससे प्रति एकड़ 3,000–5,000 रुपए तक की अतिरिक्त आय भी हो जाती है। जैसे– कुशल कृषि व्यवहार, (जीएपी) जो उत्पादन लागत कम करते हैं और विभिन्न आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं।

>> रीजनल मैनेजर एनएससी द्वारा एग्री. प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पन्ना के सीईओ कारनावती सोया बीज उत्पादन का अनुबंध लेते हुए

यह पहल किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हुई है। फिर चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक या व्यावसायिक दृष्टि से। 3,000–5,000 रुपए तक की अतिरिक्त आय के रूप में आर्थिक लाभ होता है, जो उत्पाद (बीज) के वर्गीकरण और कृषि लागत में कमी की वजह से संभव हो पाता है। कुशल कृषि व्यवहार इसकी एक वजह है। सामाजिक लाभ किसान उत्पादक कंपनियों के साथ उत्पादक की सदस्यता से जुड़ा है, जहां वे सीख सकते हैं और अपना कौशल बढ़ा सकते हैं। व्यावसायिक लाभ क्षमता निर्माण के कार्यों से जुड़ा है। जैसे प्रशिक्षण, अनावरण आदि। अब तक करीब 1,000 लाख टन सोया बीजों का सफल उपार्जन किया जा चुका है और यह प्रक्रिया अब भी चल रही है। यह मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त है। इसे किसी भी फसल पर प्रयुक्त किया जा सकता है और किसी भी समुदाय द्वारा अपनाया जा सकता है।

>> बीज उत्पादन अनुबंध के दौरान डायरेक्टर एवं विभिन्न एफपीसी के चीफ एग्ज़िक्युटिव अफसर

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- बिजावर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड., ब्लॉक बिजावर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश। फोन : 07869957632।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण- एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (एएसए), ई–5/ए, गिरीश कुंज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर (शाहपुरा ब्रांच), भोपाल, मध्यप्रदेश– 462016। फोन : 0755–4057926, 2427369। ईमेल : asa@asabhopal.orgA
वेबसाइट : www.asaindia.orgA

32.

शहरी लोगों के बीच ग्रामीण पाक-प्रणाली को प्रोत्साहन

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नाम:

जय अंबे महिला मंडल और बजरंगबली महिला मंडल

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज़ फाउंडेशन (बीएआईएफ)

''नहारी'' दक्षिण गुजरात में बीएआईएफ द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित पारंपरिक व देशी भोजन विक्रय केन्द्र है, जिसे आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा के तहत संचालित नहारी पर्यटकों और दक्षिण गुजरात के शहरी लोगों के बीच आदिवासी भोजन को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। साथ ही साथ आदिवासी महिलाओं की आजीविका का वैकल्पिक साधन भी है।

नहारी के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के समूह द्वारा दुकान लगाई जाती हैं, जहां उनके द्वारा बनाए गए रागी, मसूर, पारंपरिक मिर्च और जंगली कंद आदि के स्वादिष्ट व्यंजनों की बिक्री की जाती है।

वर्ष 2006 में वलसाड़ के समीप गनपुर गांव में पहला 'नहारी' स्थापित किया गया था। इस अवधारणा की उत्पत्ति तब हुई जब बीएआईएफ की स्थानीय टीम के सदस्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य विषय के तहत एक अध्ययन कर रहे थे।

इस अध्ययन के तहत कई गतिविधियों और कार्यक्रमों की योजना बनाई गई, ताकि स्थानीय समुदाय द्वारा उपभुक्त जंगली खाद्य संसाधनों का आकलन किया जा सके।

कुछ उद्यमी महिला समूह जैसे "जय अंबे महिला मंडल" और "बजरंगबली महिला मंडल" ने जातीय भोजन बेचने के लिए एक संयुक्त दुकान स्थापित करने की पहल की। उनकी रणनीति कारगर साबित हुई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब उन्हें मालूम चला कि उनके पहले काम से 12,000 का शुद्ध मुनाफा हासिल हुआ है। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर समूह ने विभिन्न आयोजनों के लिए घर में बने पारंपरिक भोजन की आपूर्ति शुरु कर दी।

>> ग्रामीण थाली

साल 2006 में इन महिलाओं ने पर्यटकों को विशुद्ध आदिवासी थाली परोसने के लिए गनपुर गांव में पहला 'नहारी' बिक्री केन्द्र स्थापित किया। परम्परागत आदिवासी थाली में साधारणतः रागी की रोटियां (नांगली रोटला), उड़द दाल और एक मौसमी सब्जी होती है।'नहारी' महिलाओं ने यह फैसला किया कि थाली में 1–2 अतिरिक्त खाद्य सामग्री परोसी जाए जिसे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों से बनाया जा सके। 'नहारी' के भीतरी हिस्से में आदिवासी सज्जा की गई ताकि एक उपयुक्त वातावरण निर्मित किया जा सके। इसके अनोखे आंतरिक साज–सज्जा और आद्यप्ररूपीय आदिवासी पृष्ठभूमि में आधुनिक और परंपरागत सौहार्द्र नजर आता है। साथ ही यह इन महिलाओं के पाक शाला संबंधित कौशल को भी दर्शाता है।

गनपुर 'नहारी' का संचालन 17 महिलाओं के स्व सहायता समूह द्वारा किया जाता है। यह 'नहारी' आज आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंच गई है। यह नहारी प्रतिदिन 10,000 रुपए का औसत व्यापार करती है। मुनाफे के अलावा आज उन्हें 50 रुपए प्रतिदिन की दर से मेहनताना भी मिलता है, जो रकम उनके संयुक्त बचत में जुड़ जाती है। उन्होंने 6–6–5 व्यक्तियों के 3 उप–समूह बनाए हैं, जिनकी ड्यूटी बदलती रहती है ताकि एक व्यक्ति को महीने में महज 10 दिन ही काम करना पड़े। सबकी अलग–अलग जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे– खाना बनाना, परोसना, सफाई आदि। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक उप–समूह में बंटे व्यक्ति खाद्य प्रांगण के संचालन की सभी गतिविधियों को पूरा करे।

रेडी–टू–ईट भोजन के अलावा आज इन महिलाओं ने वसुंधरा सहकारी समिति के उत्पादों का विपणन करने के लिए बिक्री केन्द्र की शुरुआत भी कर दी है। इसमें 5 हजार का निवेश किया गया जो खाद्य प्रांगण से कमाई गई रकम है। आज 'नहारी' तेज़ी से व्यापार कर रहा है, जिसका अंदाज़ा उसके नकदी रजिस्टर से लगाया जा सकता है। नियमित ग्राहकों के अलावा पड़ोसी गांवों के निवासी तथा अन्य यात्री भी विभिन्न आदिवासी व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। यह गनपुर गांव का एक महत्त्वपूर्ण और लोकप्रिय स्थान बन गया है।

इस पूरी गतिविधि में कड़ी मेहनत और कई प्रयास शामिल हैं। जैसे– उद्यम के प्रबंधन के लिए आंतरिक क्षमता का विकास करना, विश्वास बढ़ाना, समूह को जरूरी प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। यह सब बातें 'नहारी' को एक विश्वसनीय व्यापार उद्यम बनाने में मदद कर रही हैं। बीएआईएफ भी आवश्यकतानुसार इन्हें ऋण प्रदान करता है और एक मुश्त संरचनात्मक मदद मुहैया करता है।

इनसे प्रेरित होकर दक्षिण गुजरात के हाईवे के समीपवर्ती स्थानों पर ऐसे 7–8 'नहारी' स्थापित किए गए। बीएआईएफ के ज़रिए वर्ष 2008 में इस दृष्टिकोण की पुनरावृत्ति की गई। इस अवधारणा को पर्यटकों व स्थानीय लोगों द्वारा अच्छी तरह अपनाया गया। इन्हें आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के साधन के रूप में देखा गया। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि आमदनी की राह में चलने के लिए ग्रामीणों की परंपराओं और आदतों को न खोने दिया जाए।

>> नवसारी ज़िले मे वंस्डा ब्लॉक स्थित गनपुर नहारी बिक्री केन्द्र

"नहारी" महिला नेतृत्व वाले सामूहिक उद्यम के प्रतिरूप के तौर पर उभर रहे हैं, जिन्हें आम तौर पर अविकसित क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर यहां अस्तित्व के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये क्षेत्र पिछड़े होते हैं और मुख्य रूप से यहां आदिवासी निवास करते हैं। जैसे– कुकुना, कोली, वारली, कोटवलिया, कोलचा, नयाका। इन क्षेत्रों में आदिवासी अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और उनके पास जीविका चलाने के विकल्प भी सीमित हैं।

आदिवासी महिलाओं के लिए उनके निवास के करीब स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण के अलावा "नहारी" ने क्षेत्र में आदिवासी और गैर आदिवासी जनसंख्या के बीच पारंपरिक व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने में मदद भी की है। आगंतुक भी आदिवासी समुदाय के इन स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रति जागरूक हुए हैं और वे इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं।

"नहारी" की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्थानीय समुदायों को नई पहचान मिली है और वे अपने पारंपरिक भोजन आधारित ज्ञान और कौशल को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि स्थानीय जंगली खाद्य संसाधनों की मांग के परिणाम स्वरूप संसाधन संरक्षण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।

इस पहल ने आदिवासी महिलाओं को बिना किसी विस्थापन के फायदेमंद रोज़गार का अवसर प्रदान किया है। इस कार्य का लचीलापन आदिवासी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है, जिनके पास काम के ज्यादा अवसर नहीं थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोज़गार समस्या है न कि बेरोज़गारी।

अल्प रोज़गार समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बनाता है क्योंकि ये ग्रामीण महिलाएं दिन में कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होती हैं, वह भी तब, जब वे रोजमर्रा के घरेलू कामों में व्यस्त नहीं होतीं। हालांकि उन्हें आमदनी की आवश्यकता है, लेकिन घरेलू कामों के चलते वे सुबह के घंटों में अपने घरों को नहीं छोड़ सकती हैं।

ये साहसी महिलाएं अब पीछे मुड़कर नहीं देखती, जो एक साधारण गृहिणी से एक सफल उद्यमी बन चुकी हैं और वे अन्य आहार–गृहों का संचालन करने में सक्षम हैं।

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– जय अंबे महिला मंडल और बजरंगबली महिला मंडल, ग्राम गानपुर, ज़िला वलसाड़, गुजरात।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बीएआईएफ), बीएआईएफ भवन, डॉ. मनीभाई देसाई नगर, वार्जे, पुणे, महाराष्ट्र– 411058। फोन : 020–25231661, 64700562, 64700175। ई–मेल : baif@baif.org.inA

33.

लाभप्रदता में सुधार के लिए प्रत्यक्ष बाजार संबंधों का विकास

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

कृषक जनहित समिति व अन्य

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

इंटरनैशनल ट्रेसेब्लिटी सिस्टम्स लिमिटेड (आइटीएसएल).

दिल्ली के उत्तर में स्थित अलीपुर ज़िले में 89 किसान हित समूह (एफआइजी) हैं और इन एफआइजी के 1,639 सदस्य प्रगतिशील कृषक हैं। जब से वेजीटेबल इनिशियेटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स (वीआईयूसी) योजना बाजार में आई, नोडल कार्यालयों तथा संसाधन संस्थाओं से लगातार मिलने वाली सहायता और मदद के चलते ये सभी सामूहिकीकरण में विश्वास रखने लगे हैं। उनके द्वारा पंजीकृत किए गए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) ने सामूहिक रूप से यूरिया, पोटाश, जिप्सम और डाई–अमोनियम फॉस्फेट का उपार्जन किया। इस तरह यह एफआइजी आत्मनिर्भर बनने के एक कदम और करीब आ गए।

इस ज़िले के किसान बैंगन, पालक, लौकी और गोभी समेत अन्य सब्ज़ियां भी उगाते हैं। इस योजना की शुरुआत के पहले वे अपने उत्पाद आज़ादपुर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) में बेचते थे, जहां वे खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे क्योंकि कमीशन एजेंट या आढ़तिया कम वजन और नमूना चयन घटने और सैंपलिंग के नाम पर उनके उत्पाद की कुछ मात्रा कम कर देते थे।

बख्तावरपुर गांव के प्रगतिशील किसान सूरत सिंह ने भी सलाह के बाद एफआइजी की सदस्यता हासिल की। सूरत सिंह ने एफआइजी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आज़ादपुर एपीएमसी की बजाए भारती वॉलमार्ट के संग्रह केंद्र को ताज़ा उत्पाद बेचना शुरु किया। इससे उन्हें सकारात्मक अनुभव प्राप्त हुआ।

इस सफलता के बाद ये किसान लगातार अपने उत्पाद भारती वॉलमार्ट को बेच रहे हैं। साथ ही इन किसानों ने अब मदर डेयरी और रिलायंस फ्रेश तक अपने सम्बन्धों का विस्तार कर लिया है। वर्श 2013 में इन्होंने भारती वॉलमार्ट, मदर डेयरी और रिलायंस फ्रेश को क्रमशः 1,558 मीट्रिक टन, 2,273 मीट्रिक टन और 1,322 मेट्रिक टन उत्पाद बेचा है। इस बाज़ार संबंध से किसानों को फायदा पहुंचा है और किसानों की अतिरिक्त बचत भी हो रही है। इसके अलावा आज़ादपुर एपीएमसी की तरह कोई कटौती भी नहीं की जाती।

>> उर्वरकों की सामूहिक खरीद

>> किसानों द्वारा स्थापित बाज़ार सम्बन्ध

वेजीटेबल इनिशियेटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स (वीआईयूसी) के तत्वावधान में विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस योजना को सफलता मिली है। इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं– पल्ला स्थित एस.पी.वी. ऑर्गेनिक एग्रो प्रोड्यूसर पाईवेट लिमिटेड में 893 शेयरधारक हैं जिनके पास कुल 2,150 एकड़ जमीन की जोत है।

नजफगढ़ के गुमानहेरा स्थित डाबर किसान सोसायटी में 987 किसान हैं जो तकरीबन 1,775 एकड़ में सब्ज़ियां उगाते हैं। नजफगढ़ के ही डिचाओं कलां स्थित कृषक जनहित समिति में 895 किसान हैं जिनके पास 2,404 एकड़ जमीन की जोत है। 2013 में उनके बाज़ार संबंध, सारी कहानी खुद ही बयान करते हैं, जो निम्मानुसार है–

एफपीओ	सब्जियों की मात्रा (क्विंटल में)	बाजार भाव (रु)	टाई-अप की दर (रु)	मुनाफा (रु)
1 एसपीवी ऑर्गेनिक एग्रो प्राईवेट लिमिटेड पल्ला, 2 डाबर किसान सोसायटी, घुमनहेरा 3 कृषक जनहित समिति, डिचाओं कलां 4 कृषक भारती सीड्स एंड फर्टिलाईजर्स पाईवेट लिमिटेड कंपनी बख्तावरपुर	895	10,76,520	11,89,945	1,13,425

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- कृषक जनहित समिति, हाउस नं.– 250, नियर पोल नं. 100, डिचाओं कलां, बड़ा पाना, बाको गली, नई दिल्ली–110043।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण- इंटरनैशनल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स लिमिटेड (आइटीएसएल), बिल्डिंग नं.– 261, दूसरा माला, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेस–3, नई दिल्ली– 110020। फोन : 011–43279100। ई–मेल : info@agritrace.inA वेबसाइट : www.itsltd.inA

34.

संगठित रीटेल से बाज़ार तक पहुंच

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

सूबी सहायता समूह व अन्य

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आइजीएस)

मौजूदा समय में छोटे किसानों की प्रमुख समस्या अपने उत्पादों के बदले अच्छा लाभ कमाने में उनकी अक्षमता है। इसका कारण जटिल विपणन प्रक्रिया है। वेजीटेबल इनिशियेटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स (वीआईयूसी) योजना इस स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। दो एफआईजी के अध्यक्षों के अनुसार गोवा के किसानों पर इस योजना का वास्तविक लाभ नज़र भी आता है।

ब्रह्मदेवी सुतेरी सहायता समूह एफआईजी में 16 महिला सदस्य हैं और वे उस क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहां उगाई जाने वाली सब्ज़ियों में कोंकणी मिर्च सबसे अहम है। योजना के क्रियान्वयन के पहले किसान बमुश्किल अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए फसल उगा पाते थे। लेकिन अब, न सिर्फ सरप्लस उत्पादन कर पाते हैं बल्कि अपने उत्पाद को बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में बेच भी पाते हैं। इसके अतिरिक्त संगठित खुदरा बाज़ार ने सभी महिला समूहों को बड़े पैमाने पर सब्ज़ियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो पहले संभव नहीं था क्योंकि वे आदिम प्रथा की तर्ज पर सड़क किनारे सब्ज़ियां बेचती थीं।

गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएसएचसीएल) द्वारा वीआईयूसी की सहायता से एक खरीद केंद्र खोलने की पहल की गई। इस पहल ने काफी हद तक उनकी समस्या का समाधान भी किया। इसके चलते ये महिलाएं आसानी से राज्य शासित खरीद केंद्रों में बड़ी तादाद में सब्ज़ियां बेचने में सक्षम हो पाईं। सब्ज़ियों के संग्रहण के लिए खरीद केंद्र, फार्म गेट तक अपनी गाड़ियां भेजती हैं और बेहतर पारिश्रमिक भी चुकाती हैं। इसके अतिरिक्त जीएसएचसीएल की इस पहल ने स्थानीय संग्रहण केंद्रों और कीओस्क में रोज़गार के अवसर भी खोल दिए, जिसमें कई लोग संलग्न हैं। दोनों ही एफआईजी के सदस्य योजना से बेहद खुश हैं और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है।

>> राज्य के स्वामित्व वाले संग्रह केंद्र

स्टेट हॉर्टिकल्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एसएचसीएल) किसान समूहों से निर्धारित दरों के आधार पर सब्ज़ियों की खरीद करता है। ये दरें 15 दिनों के लिए मान्य होती हैं। किसानों को 15 दिनों के बाद भुगतान किया जाता है। निगम के संग्रहण केन्द्रों में सब्ज़ियों का संग्रहण किया जाता है और इसके बाद राज्य के तकरीबन 6,000 दुकानों में इन्हें वितरित किया जाता है। उचित सौदे के लिए प्रत्येक दुकान के सूचना पटल पर सब्ज़ियों के दाम लिखे जाते हैं, जिससे दामों में अस्थिरता की स्थिति नहीं रहती। सरस्वती फार्मर ग्रुप एफआईजी की सभी महिला सदस्यों के कथन प्रेरणादायी हैं। दक्षिणी गोवा के गुलेम गांव (कान्कोना तालुका) के ये किसान महज़ अपने उपयोग के लिए ही सब्ज़ियां उगाया करते थे। लेकिन जब से इन्होंने इस योजना को अपनाया है वे सामूहिक तौर पर बैंगन, करेला, मिर्च और सेम के अलावा अन्य मौसमी सब्ज़ियां भी उगा रहे हैं और एसएचसीएल खरीद केंद्रों में अच्छे दामों पर बेच रहे हैं। उद्यानिकी विभाग और संसाधन संस्था, इंडियन ग्रामीण सर्विसेस के ये कदम सराहनीय हैं, जिसके चलते इन किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

>> रीटेल कीओस्क

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- सूबी सहायता समूह,गांव बारसेम, ब्लॉक क्विपेम, ज़िला दक्षिण गोवा, गोवा।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण- इंडियन ग्रामीण सर्विसेस (आइजीएस), बीसी– 247, सेक्टर–1, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल– 700064। फोन : 033–23596264। ईमेल : info@igsindia.org.inA वेबसाइट : www.igsindia.orgA

35.

सामूहिक विपणन से मिल रहा लाभ

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

एकता ग्रुप वेजीटेबल एंड फूड्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग को-ऑपरेटिव लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर (डीएससी)

कृषक उत्पादक संगठन के ज़रिए किसान, सामूहिक विपणन की नई अवधारणा को व्यवहार में ला रहे हैं। वे, न सिर्फ खेतों में साथ काम कर रहे हैं बल्कि फसल की विपणन प्रक्रिया में भी सहभागिता दर्शा रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त भंडारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग की आवश्यकता होती है और इसकी लागत किसानों के बीच साझा की जाती है। सामूहिक विपणन के कई फायदे हैं, जैसे– बड़ी फसल पर लागत बंट जाती है, बाज़ार में एक महत्त्वपूर्ण उपस्थिति निर्मित होती है और विपणन और विक्रय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रहता है।

सब्ज़ी व्यवसाय के सफल प्रबंधन के लिए किसानों ने कौशल के व्यापक श्रेणी का उपयोग किया। इनमें कृषि विज्ञान, कर्मचारियों का प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, और फसल विपणन शामिल हैं। फसल के विपणन में संवर्धन, विक्रय और कुशल वितरण शामिल होता है, जिसकी मदद से सब्ज़ियों के व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जा सकता है। विपणन कौशल के ज़रिए उत्पादकों के पास प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने का अवसर होता है। लिहाजा विपणन, सब्ज़ी व्यवसाय में एक अहम कौशल है। सब्ज़ियों के इस सामूहिक विपणन को गुजरात में एक एफआईजी द्वारा अपनाया गया। इस एफआईजी ने सब्ज़ियों के सामूहिक विपणन का एक नए प्रयोग के तौर पर उपयोग किया। इसके अंतर्गत उन्होंने नियमित रूप से दिन में लगने वाले बाज़ार में अपने उत्पादों का विक्रय न कर, रात्रि बाज़ारों में विक्रय को अंजाम दिया। अहमदाबाद के जमालपुर सब्जी बाज़ार में देर रात में सब्ज़ियों की प्राप्ति और नीलामी की व्यवस्था है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रात को बेचे जाने वाली ज्यादातर सब्ज़ियों राजकोट जैसे करीबी क्षेत्रों में भेजी जाती है, जहां स्थानीय स्तर पर सब्ज़ियों का उत्पादन नहीं किया जाता।

किसानों ने अपने उत्पाद को दिन के नियमित बाज़ार की बजाए रात्रि बाज़ारों में बेचने की पहल की। उन्होंने परिवहन लागत में 0.75 रूपये प्रति किलोग्राम का योगदान भी दिया, जो उनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर पूर्व में दिए जाने वाले 1.80 रूपये प्रति किलोग्राम की दर की तुलना में काफी कम था।

>> सब्ज़ियों का सामूहिक विपणन– तौल में परिशुद्धता

>> सब्ज़ियों का सामूहिक विपणन– परिवहन की स्वव्यवस्था

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बदलाव भी किया गया। यह फैसला लिया गया कि बाज़ार में सब्ज़ियों की बिक्री के लिए महज एक किसान जाएगा न कि पूरा समूह। इससे सबके समय की बचत भी हुई और अब तक यह प्रयोग काफी सफल भी रहा है। यह प्रयोग 11 एफआइजी के 35 किसानों द्वारा 3 दिनों के लिए किया गया। जिन 5 गांवों को इस प्रयोग में शामिल किया गया उनमें कुहा, करोली, छतरपुरा, कोद्रैल और पसूनिया के नाम शामिल हैं। इस दौरान 43,581 रुपए में करीब 5.25 टन सब्ज़ियों की बिक्री की गई, जिसमें बैंगन, मिर्च, सहजन, लौकी और टमाटर के अलावा अन्य सब्ज़ियां जैसे ब्रॉकोली और विभिन्न रंगों के शिमला मिर्च शामिल थे।

इस प्रयोग के विभिन्न फायदे मिले–

- इससे किसानों के समय की बचत हुई। उन्हें अपना ज्यादातर समय विपणन कार्यों में लगाना पड़ता था, इस प्रयोग से उसमें कमी आई।
- समूह में 5.25 मीट्रिक टन सब्ज़ियां बेचकर किसानों ने 5512 रुपए के परिवहन लागत की बचत की।
- किसान अब अपने वक्त का बेहतर तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं और घरेलू जिम्मेदारियों के लिए भी ज्यादा समय निकाल रहे हैं।

प्रयोग के कुछ अन्य फायदें–

- सामूहिक विपणन की अवधारणा और परिवहन प्रबंधन पर किसानों का विश्वास बढ़ा।
- परिवहन के दौरान सब्जियों के वजन घटने में भी कमी आई।
- वहीं, लदाई (लोडिंग) और उतराई के दौरान बाज़ार के मजदूरों से होने वाले नुकसान में भी कमी आई। पूर्व में यह घाटा करीब 3 फीसदी आंका गया था।
- सब्ज़ियों के तौल में ज्यादा सटीकता आई।

किसानों को इस प्रयोग में संसाधन संस्था का पूरा साथ मिला। उन्हें संसाधन संस्था द्वारा उत्पादन और विपणन पर मिलने वाली प्रशिक्षण के ज़रिए निकट भविष्य में ज्यादा से ज्यादा सामूहिक गतिविधियां अंजाम देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

>> उत्पादन पर ट्रेनिंग

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– एकता ग्रुप वेजीटेबल एंड फ्रूट्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉपरेटिव लिमिटेड, ग्राम कुहा, तालुका दसकोई, ज़िला अहमदाबाद– 382433, गुजरात। फोन : अंबालाल पटेल (अध्यक्ष)– 9426532649।

संसाधन संस्था का संपर्क विवरण– डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर (डीएससी), नियर गवर्नमेंट ट्यूबवेल,बोपल, अहमदाबाद 380058, गुजरात। फोन : 2717– 235994। 235995, 235998। ईमेल : dsc@dscindia.orgA वेबसाइट : www.dscindia.orgA

36.

नई क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया

कृषक संगठन उत्पादक (एफपीओ) का नामः
भांगर वेजीटेबल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सहायक संसाधन संस्था (आरआई):
ऐक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस (एडीएस).

पश्चिम बंगाल के 24 परगना ज़िले में किसानों की एक प्रेरणादायी टीम ने भांगर वेजीटेबल प्रोड्रूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। राज्य उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने स्थानीय संसाधन संस्था और एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस (एडीएस) के साथ मिलकर कृषक उत्पादक संगठन के लिए किसानों को संगठित किया।

भांगर वेजीटेबल प्रोड्यूसर कंपनी, वीआईयूसी के तहत पंजीकृत होने वाली पहली कंपनी है और इसमें 1,750 सीमांत किसान सदस्य हैं। इन सीमांत किसानों के पास औसतन 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि का स्वामित्व है। इस कृषक उत्पादक संगठन के सदस्यों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, जिसकी वजह से आज यह क्षेत्र के सबसे ऊम्दा उत्पादक कंपनियों में से एक है। सदस्यों ने उद्देश्यों के प्रति भी जागरूकता का प्रदर्शन किया है और सफलता हासिल की। ये सदस्य लक्ष्य, बचत, संसाधन, उत्पादन उद्देश्य, विपणन लक्ष्य और संबन्धों आदि पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक आयोजित करते हैं। इन किसानों ने अर्थव्यवस्था की अहमियत और सामूहिक सौदेबाजी के लाभों की अनुभूति की है। कृषक उत्पादक संगठन बनाने की प्रक्रिया में किसान सदस्यों ने अपनी भूमि एफआईजी को पट्टे (लीज़) पर दे दी और एक ईकाई के तौर पर इस भूमि पर सब्ज़ियों का उत्पादन किया गया। यह कदम बड़े पैमाने पर किफायती साबित हुआ और एफआईजी उच्च तकनीकी कृषि कार्य–प्रणाली अपनाने के लिए समर्थ बनी।

वर्तमान समय में भांगर वेजीटेबल प्रोड्यूसर कंपनी के पास 18,800 वर्ग मीटर कृषि भूमि है, जिसमें 200 वर्ग मीटर के 94 पॉली शेड नेट हाउस मौजूद हैं। सब्ज़ियों के सुरक्षित उत्पादन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस कृषक उत्पादक संगठन को विभिन्न घटकों के लिए 121.63 लाख रुपए का अनुदान मिला है। जैसे सब्ज़ियों की खेती के लिए 28 लाख, शेड नेट के लिए 52 लाख, वेंडिंग गाड़ियों के लिए 10 लाख, वर्मीकंपोस्ट के लिए 31 लाख और आईएनएम और आईपीएम के लिए 65,000 रुपए।

उर्वरकों की प्राप्ति के लिए इफको के साथ सीधी संबद्धता स्थापित की गई है और अब तक 22 लाख रुपए के 100 मीट्रिक टन एन. पी. के. उर्वरक प्राप्त किए जा चुके हैं।

>> कोलकाता कॉर्पोरेशन मार्केट में सब्ज़ियों की सीधी बिक्री

>> भांगर पैकहाउस कोलकाता में सब्ज़ियों की छंटाई व ग्रेडिंग

कंपनी ने कृषि उपकरणों की खरीद का प्रबंध किया है, जैसे– 240 हाथ के स्प्रेयर्स, 240 फुट स्प्रेयर्स, वर्मीकम्पोस्ट के 250 बैग, 500 फावड़े, नीम खाद के 500 बैग और 250 गुलाब स्प्रेयर्स आदि। इसमें सरकारी योजना के तहत वित्तीय छूट भी हासिल हुई है।

कंपनी ने हाल ही में 31.75 लाख रुपए का एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें 7 लाख रुपए लागत का एक पैक हाउस और छंटाई श्रेणीकरण केंद्र स्थापित करने की बात शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में स्थायी वेंडिंग गाड़ियों की खरीद के लिए 75,000 रुपए तथा 6 मीट्रिक टन क्षमता के प्रशीतित गाड़ियों के लिए 24 लाख रुपए की बात कही गई है। भांगर थोक बाज़ार से एक अस्थाई पैक हाउस पहले से ही संचालित किया जा रहा है, जो किराए पर है। साथ ही कंपनी सब्ज़ियों के श्रेणीकरण छंटाई और पैकेजिंग के लिए एक आधुनिक पैकहाउस की स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन कर चुकी है।

राज्य की नोडल एजेंसी ने कंपनी को यह सुविधा प्रदान की है कि वह नगर निगम की मदद से अपने उत्पाद कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर सीधे तौर पर बेच सके। कंपनी को शुरुआती दौर में पुलिस सुरक्षा मुहैया की गई, क्योंकि उस दौरान मौजूदा व्यवसायी बाज़ार में सब्ज़ियों की सीधी बिक्री का विरोध कर रहे थे। सब्ज़ियों की सीधी आपूर्ति के लिए कंपनी ने मदर डेयरी के साथ भी सम्पर्क स्थापित किया और 7 अन्य कॉर्पोरेशन बाज़ार में भी आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा तीन थोक बाज़ारों– कोलकाता का कोले और सियालदाह बाज़ार तथा हावड़ा ज़िले के धुलागर थोक बाज़ार में भी आपूर्ति की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सहायता से कंपनी, सब्ज़ियों के निर्जलीकरण सुविधा के लिए खुद का एक सेट–अप तैयार करने की योजना भी बना रही है। इसके तहत फूलगोभी और हरी मिर्च का निर्जलीकरण किया जाएगा।

कृषक उत्पादक संगठन को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आई.आई.टी. खड़गपुर, के.वी.के. निम्पित रामकृष्ण मिशन और बिधान चंद्र कृषि विद्यालय के साथ संबद्धता की गई है। वहीं, करीब 500 किसानों के खेतों का जैविक प्रमाणीकरण करने के लिए इकोसर्ट (ECOCERT) के साथ पहले से ही चर्चा की जा चुकी है। एफआईजी और कृषक उत्पादक संगठन के सदस्यों में प्रेरणा और उत्साह बनाए रखने के लिए स्थानीय संसाधन संस्था, 'अमूल' पर बने वृत्तचित्र "मंथन" का नियमित रूप से प्रदर्षन करती है और भविष्य के लिए एक दृष्टि प्रदान करती है।

वर्तमान में कंपनी ने 16 लाख रुपए की प्रभावी बचत की है। किसानों के इस छोटे से समूह का सामूहिक प्रयास निश्चित ही भारतीय कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

भांगर वेजीटेबल प्रोड्यूसर कंपनी की उपलब्धियां महज़ किसानों की बदौलत हासिल नहीं हुई हैं, बल्कि सफलता के इस अध्याय में संस्थागत मदद का भी बड़ा हाथ है। उनकी सफलता में संस्थागत मदद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यह सफलता किसानों के प्रेरणादायी प्रशिक्षण और विभागीय अधिकारियों के सामूहिक कार्य अथवा जमीनी स्तर पर संसाधन संस्था की मेहनत के बूते हासिल हुई है।

दक्षिण 24– परगना ज़िला उद्यानिकी अधिकारी, श्री अतानु गुप्ता और एडीएस के ज़िला प्रभारी और योजना समन्वयक इंद्रनील मजूमदार तथा उनके समूह के सदस्यों का कार्य भी प्रशंसनीय रहा है।

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– भांगर वेजीटेबल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, भोगली–II जी.पी.ऑफिस (भू–तल), कथालिया बस स्टैंड, भांगर–II ब्लॉक, ज़िला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल।

संसाधन संस्था का सम्पर्क विवरण– ऐक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस (एडीएस), 28, हौजखास विलेज, नई दिल्ली– 110016A
फोन : 011– 26510915, 26536435। ईमेल : suryamani@accessdev.org A वेबसाइट : www.accessdevelopment.comA

37.

ग्रीन टेरेस: केरल में छत पर सब्ज़ियों की खेती

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नाम:
स्वसर्य कृषक अमिथी कोविलनाड़ा व अन्य
सहायक संसाधन संस्था (आरआई):
स्टेट ह,र्टिकल्चर मिशन, केरल

टेरेस फार्मिंग, केरल के ग्रामीण व शहरी लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हम सभी जानते हैं कि केरल भारत के सबसे खूबसूरत तटीय क्षेत्रों में से एक है मगर यही बात लोगों के नुकसान का कारण भी है। चूंकि साल के ज्यादातर समय यह जलग्रस्त रहता है, खेतों के परिचालित जोत का आकार छोटा हो जाता है।

केरल को महंगी सब्ज़ियों की समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहां खेतों में उत्पादन काफी कम है और हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जब सब्ज़ियों के दाम ऊंचे होते हैं तो किसानों और निवासियों को जीविका चलाने में कितनी मुश्किल होती है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य उद्यानिकी विभाग ने एक पहल की और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में "रूफ टॉप कल्टिवेशन" को प्रोत्साहन दिया। इस पहल के परिणाम स्वरूप तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम के 30,000 घरों में रूफ टॉप कल्टिवेशन के तहत प्लास्टिक बैग्स में फूलगोभी, टमाटर, करेला, चौलाई और अन्य सब्ज़ियों की खेती की गई। इस पहल से ये परिवार सब्ज़ियों के लिहाज़ से न सिर्फ आत्मनिर्भर हुए बल्कि टेरेस फार्म उनके घरों के लिए एक शीतल तंत्र भी बन गए। इससे एक खुशहाल वातावरण का निर्माण भी हुआ।

तिरुवनंतपुरम ज़िले के कल्लियूर गांव में स्वसर्य कृषक अमिथी कोविलनाड़ा और वल्लमकुडे नामक दो एफआईजी हैं, जिनमें 25 सदस्य हैं। दोनों ही एफआईजी, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। साथ ही वेजीटेबल एंड फ्रूट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ केरल (वीएफपीसीके) में भी इनका पंजीकरण किया गया है।

कल्लियूर गांव के दोनों ही एफआईजी के सदस्य एक ही संग्रहण केंद्र में जाते हैं और 5 फीसदी के कमीशन पर अपने उत्पाद का संग्रह करते हैं। उनकी कार्यपद्धति अविरल है। कृषक उत्पादक संगठन के संचालन में आने वाले खर्चों के लिए 2 फीसदी कमीशन अलग रखा जाता है और शेष किसानों को दे दिया जाता है। यहां के किसान खासे खुश हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की विपणन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। कृषक उत्पादक संगठन ने स्थानीय डीलरों तक विस्तार किया है जो संग्रहण केंद्र से उनके उत्पाद लेते हैं।

>> छत पर सब्ज़ियों की खेती

इस समूह में 20 से ज्यादा किसानों के पास औसतन 0.70 एकड़ की जोत है। अच्छी फसलों में लोबिया और खीरा प्रमुख हैं। इस योजना से किसान बेहद खुश हैं। किसानों के मुताबिक, वीआईयूसी योजना के क्रियान्वयन के पूर्व वे जमीन पर सब्ज़ियां उगाने के आदी थे। एफआईजी की सदस्यता ग्रहण करने और विभाग द्वारा प्रशिक्षण और आदान (इनपुट) मुहैया करने के बाद उन्हें लगता है कि छड़ियों व बल्लियों पर भी सब्ज़ियां उगा सकते हैं। इस योजना से उत्पादन में कई गुना बढोत्तरी हुई और फसलों को निहायती कम नुकसान हुआ। वर्तमान में एफआईजी सदस्य वीएफपीसीके बाजार में अपने उत्पाद अच्छे दामों पर बेच रहे हैं। इस स्कीम से किसानों को बेहद फायदा हुआ और वे खुशहाल और शांतिमय ज़िन्दगी व्यतीत कर रहे हैं।

>> छत पर सब्ज़ियों की खेती

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता- स्वसर्य कृषक अमिथी कोविलनाड़ा, ग्राम कल्लियूर, ज़िला तिरुवनंतपुरम, केरल।

संसाधन संस्था का सम्पर्क विवरण- राज्य उद्यानिकी मिशन, केरल यूनिवर्सिटी, पी.ओ. पालयम,केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम– 695034, केरल। फोन : 0471– 2330856। ईमेल : mdshmkerala@yahoo.co.inA वेबसाइट : www.nhm.nic.inA

38.

मूल्य श्रृंखला एकीकरण का नया दृष्टिकोण

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नाम:

रानी सुकदयी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

सीट्रान (CTRAN) कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड

वेजीटेबल इनिशियेटिव फॉर अर्बन क्लस्टर (वीआईयूसी) के तहत उद्यानिकी निदेशालय, ओडिशा ने सुरेंद्र एग्रीगेट प्राईवेट लिमिटेड की पहचान अपने एकमात्र समूहक (एग्रीगेटर) के तौर पर की। सुरेंद्र एग्रीटेक सभी अग्रांत गतिविधियों को ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम देती है। जैसे– कृषक उत्पादक संगठन के तहत पंजीकृत किसानों का समूहन, वितरण तथा खुदरा बाज़ारी का कार्य। सरकार से पर्याप्त मदद हासिल कर, कंपनी एक आधुनिक और एकीकृत अग्रांत मॉडल विकसित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें नवीनतम तकनीक से परिपूर्ण अवसंरचना और सूचना तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही वित्तीय लेन–देन भी किया जाएगा।

कृषक उत्पादक संगठन के किसान सुविधानुसार अपने उत्पाद सुरेंद्र एग्रीटेक द्वारा निर्मित विभिन्न संग्रहण केंद्र–कम–पैक हाउस में लाते हैं। यह केंद्र उत्पादन की दरों को निहायती स्पष्ट व विधिपूर्वक ढंग से प्रदर्शित करते हैं और वह भी स्थानीय भाषा में, जिससे किसानों को अपना उत्पाद बेचने में आसानी हो। केंद्रों में उचित वजनीय मापों की व्यवस्था की गई है जिसे एक आईटी प्रणाली से जोड़ा गया है। यह प्रणाली सेंट्रल सर्वर को किसानों व उनके उत्पादन से संबंधित डेटा भेजता है। इसके बाद वही डेटा व सूचना, समूहक के वितरण केंद्रों में भी भेजी जाती है। वित्तीय लेन–देन को आसान बनाने के लिए ऐक्सिस बैंक के साथ संबद्धता स्थापित की गई है। जैसे ही उत्पाद, वितरण केंद्र में प्रदर्शित होता है, बैंक में क्रेडिट नोट स्वतः ही जनरेट हो जाता है और रकम किसान के खाते में उसी दिन ट्रांस्फर हो जाती है। यह पेमेंट गेटवे मॉडल उद्यानिकी विभाग, ओडिशा, सुरेंद्र एग्रीटेक और ऐक्सिस बैंक के सहयोगात्मक प्रयासों के ज़रिए बनाया गया है। इस पेमेंट गेटवे में ओडिशा का सामर्थ्य नज़र आता है और इससे प्रेरित होकर अन्य राज्यों को भी इसका क्रियान्वयन करना चाहिए। प्रक्रिया में पारदर्शिता के चलते इसमें धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। साथ ही सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है। नतीजतन भुवनेश्वर जैसे शहरी क्षेत्र भी वाज़िब कीमत पर गुणवत्ता युक्त आपूर्ति कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता के चलते रानी सुकदयी किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, बांकी, कटक ने भी इस ढांचे को अपने कृषक उत्पादक संगठन में क्रियान्वित किया है।

>> सब्ज़ियों का संग्रहण व वितरण

>> डिजिटल ट्रांस्फर के ज़रिए सब्ज़ियों का डेटा ट्रांस्फर

यह देखा गया कि एफआईजी के जिन सदस्यों ने जैविक फसलों का उत्पादन किया उन्हें अच्छी पैदावार मिल रही है। ओडिषा के जाजपूर ज़िले के भगतपुर गांव में रहने वाले प्रगतिशील किसान विश्वरचंद्र नायक इसका एक उदाहरण है। मां मंगला एफआईजी से जुड़ने का उन्हें खासा फायदा मिला क्योंकि संसाधन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्रों से सीखी गईं आधुनिक तकनीकों को उन्होंने अपनाया। शुरुआत में वे अपनी 0.16 एकड़ भूमि पर खीरे की खेती के लिए रसायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन वीआईयूसी सत्रों में शामिल होकर उन्हें जैविक खेती की नई तकनीक की जानकारियां मिली जिसका उपयोग वे अपने खेतों में कर रहे हैं। अब, उनकी खेती का क्षेत्र 0.25 एकड़ है और उन्हें पिछले मौसम के मुकाबले ज्यादा फायदा भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त वर्मिकंपोस्ट बनाने के लिए किसानों को एचडीपीई वर्मिबेड्स मुहैया किया गया जिससे उन्हें बेहतर जैविक उत्पादन करने में मदद मिली।

सुभाष चंद्र साहू ओडिशा के कोईमुंडी में रहने वाले एक छोटे से किसान हैं। वे संसाधन संस्था द्वारा वीआईयूसी योजना के तहत आयोजित किए जाने वाले सभी सत्रों में उपस्थित रहते हैं, जहां उन्हें उत्पादन वृद्धि और कृषि की नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल होती है। ऐसे कई सत्रों में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने कई आधुनिक तकनीकों को अपनाया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी लाभ सीमा में वृद्धि हुई। प्रशिक्षण सत्रों से श्री साहू ने कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में 'पंचगव्य' मिश्रण बनाना सीखा।

पंचगव्य में अद्वितीय एंटीबॉयोटिक गुण होते हैं और यह एक प्राचीन जैविक कीटनाशक है जिसका उपचारात्मक उपयोग किया जा सकता है। इस मिश्रण के फायदों और नुकसान के बारे में जानकर उन्होंने यह मिश्रण स्वयं तैयार किया और अपने खेतों में इसका प्रयोग किया। उन्हें उत्कृष्ट परिणाम हासिल हुए और उनके खेतों को देखकर अन्य किसानों ने भी इस मिश्रण का उपयोग शुरु किया।

उन्होंने 1:10 के अनुपात में पंचगव्य का मिश्रण किया। 1 लीटर पंचगव्य को 10 लीटर पानी में मिलाकर उन्होंने अपने खेतों में प्रयोग किया। इस प्रयोग से उन्हें कीटों के हमले में प्रभावी फर्क नज़र आया और उत्पादन लागत में भी कमी आई। लिहाज़ा अब उन्हें साधारण दर से बेहतर उपज हासिल हो रही है क्योंकि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आया है। श्री साहू ने खुद को एक अच्छे उदाहरण के तौर पर पेश किया है और अन्य किसानों को इस प्रयोग के लिए प्रोत्साहित भी किया है।

पंचगब्य के लाभ

विवरण	साधारण कीटनाशक	पंचगब्य
लागत	2000 रू./लीटर	150.200 रू./लीटर
विशेष कार्य	कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशक	कीटनाशक कीटों की रोकथाम करता है, खाद से पैदावार में वृद्धि होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और जीवाणुओं से सुरक्षा प्राप्त होती है
मिट्टी की उत्पादकता पर प्रभाव	अजैव रसायनों से मिट्टी की उत्पादकता कम होती है और मिट्टी की संरचना ठोस हो जाती है	मिट्टी की उत्पादकता में सुधार, लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, और मिट्टी की संरचना नरम होती है

पंचगब्य में 9 उत्पाद शामिल होते हैं– गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, गुड़, घी, केला, नारियल और पानी। जब इनका सही मिश्रण कर उपयोग किया जाता है तो इसके अद्भुत प्रभाव नजर आते हैं।

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– रानी सुकदयी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, पी.ओ.– घासीपुट, पी.एस.– बांकी, कटक – 754008, ओडिशा।

संसाधन संस्था का सम्पर्क विवरण– lhVªku (CTRAN) कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, ए1–ए2, तृतीय तल, लुईस प्लाजा, लुईस रोड, बी.जे.बी नगर, भुवनेश्वर– 751014, ओडिशा। फोन : 0674–2430041। ईमेल : ctran@ctranconsulting.comA

39.

सामूहिक शक्ति से नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

सतवाजी बाबा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड व अन्य.

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

इंडियन सोसायटी अ,फ एग्रीबिज़नेस प्रोफेशनल्स (आईएसएपी)

पुणे के अम्बेगांव तालुका स्थित अवसारी गांव के 20 अभिनव और उत्साही किसानों को लेकर वसुंधरा कृषि विकास समूह का गठन 11 नवंबर 2011 को इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिज़नेस प्रोफेश्नल्स (आईएसएपी) द्वारा किया गया। इस फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप (एफआईजी) ने सामूहिक कृषि की अवधारणा के फायदों की अनुभूति की और उसे अपनाया भी। इन्होंने साथ मिलकर कुंद्रू और लौकी की खेती की। एफआईजी के इन किसानों ने लाभदायक बचत व्यवहारों को अपनाया। जैसे, व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त बचत व लाभ को अपने बैंक खातों में जमा करना। ऐसा करके वे प्रतिमाह करीब 500 रुपए की बचत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे प्रतिमाह 10,000 रुपए बैंक खाते में जमा कर रहे हैं। अब तक वे 3 लाख रुपए की बचत कर चुके हैं, जिसका वे कृषि उपकरण की खरीद और सामूहिक कल्याण की गतिविधियों में उपयोग करते हैं।

नियमित सहयोग के चलते उन्होंने प्रत्यक्ष बाज़ार सम्बन्ध विकसित किये हैं और अपने उत्पाद मुंबई तक भेज रहे हैं। ऐसा करके वे बिचौलियों और स्थानीय बाज़ार के व्यवसायियों तथा उनसे जुड़ी समस्याओं से मुक्त हो गए हैं और अपने उत्पादों के लिए उचित दाम भी हासिल कर रहे हैं।

वर्तमान में यह समूह जैविक खाद उत्पादन पर काम कर रहा है और अब तक 150 मीट्रिक टन जैविक खाद का निर्माण किया जा चुका है। वे इसका उपयोग स्वयं की खपत के लिए करते हैं और अधिशेष उत्पादन अन्य किसानों को 6 रुपए प्रति किलो की दर से बेचते हैं। इस समूह ने अपनी एक कृषि–आदानों की दुकान भी खोली है, जो उर्वरकों और बीजों की कमी को दूर करता है। इससे बीजों की खरीद पर उन्हें 15 फीसदी की बचत भी हुई। समूह के अन्य सदस्य जो व्यक्तिगत तौर पर उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं हैं, वे भी समूह की खरीद शक्ति और साधनों का लाभ ले रहे हैं। जैसे– स्प्रेयर्स, निराई उपकरण आदि।

>> पुणे की रेसीडेंशल सोसाईटी में उत्पादों की सीधी बिक्री

>> सब्ज़ी बीजों की आम खरीद

संसाधन संस्था से मिलने वाली निरंतर मदद से उन्होंने कुंद्रू की श्रेणीकरण और पैकिंग सीखी है और इसके चलते उन्हें 3 रुपए प्रति किलो की बेहतर कीमत हासिल हो रही है, जो बाज़ार से अधिक है। अब यह समूह सब्ज़ियों की एक नर्सरी विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है और आधुनिक कृषि तकनीकों को भी अपना रहा है।

इसके अतिरिक्त संसाधन संस्था, उत्पादन विक्रय मॉडल के ज़रिए वीआईयूसी योजना का क्रियान्वयन भी कर रही है, जिसमें पुणे की हाउसिंग सोसाइटियों में ताजा उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इस योजना के ज़रिए पुणे और नाशिक के किसान साप्ताहिक आधार पर तकरीबन 60 मीट्रिक टन सब्ज़ियों का प्रत्यक्ष विपणन पुणे और मुंबई की हाउसिंग सोसाइटियों में कर रहे हैं।

यह सामूहिक पहल किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हुई। किसानों को मंडी से बेहतर दाम मिल रहे हैं और उपभोक्ताओं को वाजिब दामों में ताजी सब्ज़ियां, जिनकी कीमत ज्यादातर खुदरा बाजारों से कम है। एफआईजी के प्रतिनिधि पुणे और मुंबई की हाउसिंग सोसाइटियों में सप्ताह में दो बार (गुरुवार तथा शनिवार) प्रत्यक्ष रूप से सब्ज़ियां बेचते हैं। इन दिनों में 13–14 प्रकार की सब्ज़ियां बेची जाती हैं, जिसमें प्याज, भिंडी, टमाटर, पत्ता गोभी और फूलगोभी आदि शामिल होते हैं। वर्तमान में, 40 से ज्यादा एफआईजी प्रत्यक्ष विपणन के जरिए प्रति ट्रक लोड से औसतन 1,000–1,200 रुपए शुद्ध लाभ अर्जित कर रहे हैं। एक अन्य एफआईजी, श्री सत्वा जी बाबा एग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड भी इस तरीके को व्यवहार में ला रही है। वे पुणे की रिहायशी सोसाइटियों में प्रति सप्ताह करीब 3 मीट्रिक टन उत्पाद की बिक्री करते हैं। समूहन ने किसानों के विपणन के नज़रिए को पूरी तरह बदल दिया है।

इस सामूहिक ताकत ने उन्हें जोखिम उठाने और नए कार्यक्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए सशक्त बनाया है। प्रत्यक्ष विपणन ने बेहतर लाभ सुनिश्चित किया और बिचौलियों का कोई स्थान नहीं रहा। प्रतिदिन 75,000 रुपए अनुमानित कीमत की 5 मीट्रिक टन सब्ज़ियों की बिक्री की जाती है। इनमें पत्ता गोभी, लौकी, करेला, बैंगन, धनिया और पालक जैसी सब्ज़ियां शामिल हैं।

योजना से प्रेरित होकर भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बीआईएएफ) ने उत्पादक सहकारिताओं के जरिए कच्चे आमों की खरीद करने का फैसला लिया, ताकि उत्पाद और पारिश्रमिक से जुड़ी अनुचित क्रम विक्रय के चलते आने वाली समस्याओं को सुलझाया जा सके। शुरुआत में यह फैसला किया गया कि नजदीकी शहर के प्रचलित दरों में 5–10 फीसदी की वृद्धि कर यह कीमत चुकाई जाएगी। इससे किसानों को अच्छी मदद प्राप्त हुई और उन्हें उत्पाद बेचने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। जैसे ही बीआईएएफ ने दरों की घोषणा की, वह एक मानदंड बन गया। स्थानीय व्यवसायियों के लिए अब कम दाम पर कच्चे आम खरीदना मुश्किल हो गया। लिहाजा उन्हें भी कमोवेष वही दर लागू करनी पड़ी। यह प्रभावी भी साबित हुआ। हालांकि यह आवश्यक था कि खरीद की मात्रा बढ़ायी जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उत्पादकों को उचित दाम हासिल हो और वे बेहतर पारिश्रमिक पर विपणन कर सके। व्यापार प्रबंधन के लिए भी यह जरूरी था, ताकि नुकसान कम हो और निरंतरता बनी रहे। लिहाजा विभिन्न अभिनव दृष्टिकोण अपनाए गए, जैसे– कार्डबोर्ड के डिब्बों में उच्च गुणवत्ता के आमों की पैंकिग और उपभोक्ताओं तक उनकी प्रत्यक्ष आपूर्ति।

संसाधन संस्था किसानों का भरोसा जीतने में कामयाब रही और अब किसान जैविक खेती के लिए एक खुला दृष्टिकोण रखते हैं। हालांकि इस योजना के क्रियान्वयन के पूर्व किसानों में संशय की स्थिति थी। जैविक खेती की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूरज श्री केमिकल्स ने योजना के तहत पुणे में 8 अलग–अलग खेतों में जैविक उर्वरकों का प्रदर्शन किया और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे। सूरज श्री केमिकल्स ऑर्गेनिक फर्टिलाईजर्स द्वारा आमंत्रित इनपुट लाईसेंस के लिए पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठनों ने आवेदन किया।

रायगढ़ में सब्जी बीजों की आम खरीद

संसाधन संस्था, वेजीटेबल ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वीजीएआई) द्वारा महाराष्ट्र में न्यूनतम दरों पर भिंडी के बीजों की थोक खरीद का समर्थन किए जाने के बाद कई निजी बीज कंपनियां जैसे– राशि सीड्स प्राईवेट लिमिटेड, कृषिधन सीड्स प्राईवेट लिमिटेड, ननहेम्स सीड्स प्राईवेट लिमिटेड, ईस्ट–वेस्ट सीड्स प्राईवेट लिमिटेड, कृषिधन सीड्स प्राईवेट लिमिटेड, यूएस एग्रीसीड्स प्राईवेट लिमिटेड आदि से भी संपर्क किया गया। इन कंपनियों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर क्रय–विक्रय करने और बीज खरीदने की वजह से 7 फीसदी से ज्यादा एफआईजी ने एजेंट और वितरकों की आवश्यकता को दरकिनार कर दिया, जिससे एक बार फिर 25–30 फीसदी अतिरिक्त कमीशन पर उनकी बचत हुई।

वर्ष 2013 में भारती वॉलमार्ट और मदर डेयरी के साथ चार किसान उत्पादक संगठनों के टाई–अप को प्रोत्साहन

क्र. सं.	किसान हित समूह (एफआईजी) का नाम	सब्जी	बीज	मात्रा	खरीद मूल्य ¼रू. मे½	बाजार मूल्य ¼रू. में½
1	श्री केलंबादेवी शेतकारी संघटना क्रमांक 1, खरोशी, तालुका पेन	करेला	निकिता, कंपनी, कृषिधन	5 किलो	3,900 / किलो	5,600 / किलो
2	श्री केलंबादेवी शेतकारी संघटना क्रमांक 2, खरोशी] तालुका पेन	करेला	निकिता, कंपनी, कृषिधन	5 किलो	3,900 / किलो	5,600 / किलो
3	श्री केलंबादेवी शेतकारी संघटना क्रमांक 3, खरोशी, तालुका पेन	करेला	निकिता, कंपनी, कृषिधन	5 किलो	3,900 / किलो	5,600 / किलो
4	श्री केलंबादेवी शेतकारी संघटना क्रमांक 4, खरोशी, तालुका पेन	करेला	निकिता, कंपनी, कृषिधन	5 किलो	3,900 / किलो	5,600 / किलो
5	श्रीराम भाजीपाला उत्पादक संघ, बलवली, तालुका पेन	करेला	वी–अमनश्री कंपनी–ननहेम्स	3.25 किलो	4,000 / किलो	4,800 / किलो
6	श्रीराम भाजीपाला उत्पादक संघ, बलवली , तालुका पेन	लौकी	वी–नागा एफ1, कंपनी– ईस्ट–वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	500 ग्राम	6,800 / किलो	8,400 / किलो
7	श्रीराम भाजीपाला उत्पादक संघ, बलवली, तालुका पेन	लौकी	वी–यूएस 276 कंपनी: यूएस	500 ग्राम	6,000 / किलो	7,400 / किलो

इसके अतिरिक्त, इन एफआईजी ने विपणन के लिए आम परिवहन का इस्तेमाल कर बचत की। इससे उन्हें परिवहन लागत पर 40–50 फीसदी तक की बचत हुई। करीब 30 फीसदी एफआईजी दशपरनार्क, लोकल फेरोमेन ट्रैप(बायो–कंट्रोल ल्युर्स), येलो स्टिकी ट्रैप जैसे जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जो रसायनिक स्प्रे से करीब 50 फीसदी सस्ते हैं। इनके उपयोग से एफआईजी को 5,000 तक की बचत हो जाती है। आदान लागत में बचत के लिए अन्य किसानों को भी समान मॉडल के अनुसरण के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– सत्वाजी बाबा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, पोस्ट वफगांव, तालुका खेड़, ज़िला पुणे, महाराष्ट्र।

संसाधन संस्था का सम्पर्क विवरण– इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिज़नेस प्रोफेश्नल्स (आईएसएपी), 23, जमरूदपुर कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली– 110048। फोन : 011–41731674, 43154100A ई–मेल : isapho@isapindia.orgA
वेबसाइट : www-isapindia.orgA

40.

स्थायी कृषि से बढ़ रही किसानों की आय

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नामः

नारायणगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड व अन्य

सहायक संसाधन संस्था (आरआई):

इंडियन सोसाइटी अ,फ एग्रीबिज़नेस प्रोफेशनल्स (आईएसएपी)

पुणे स्थित खेड़ तालुका के वाफगांव ग्राम में किसानों ने दिसंबर 2011 में उज्ज्वल कृषि विकास ग्रुप नामक एक एफआईजी का गठन किया। इस समूह का गठन मूलतः एफआईजी के अग्रणियों द्वारा किया गया। संसाधन संस्था से इन्हें लगातार मदद और मार्गदर्शन मिलता है। इस एफआईजी का एक सामूहिक बैंक खाता भी है, जिसमें प्रत्येक सदस्य 100 रुपए प्रतिमाह का योगदान देते हैं। इससे कुल जमा राशि 2,000 रुपए हो जाती है। वर्तमान में इस समूह के खाते में 20,000 रुपए हैं जिसका उपयोग समूह के हितों के लिए किया जाता है। वाजिब दरों पर आदानों की खरीद के लिए इस किसान हित समूह (एफआईजी) के पास एक कृषि आदान दुकान का स्वामित्व भी है। संसाधन संस्था से लगातार मिलने वाली मदद और मार्गदर्शन के चलते, वर्तमान में उन्हें छिड़काव यंत्रों और पीवीसी पाईप आदि की स्थापना के लिए पारस इरिगेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड नामक एक डीलर से जोड़ा गया है। यह समूह सरकार की मदद से खुश है और इसे अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। सामूहिक रूप से उर्वरकों की खरीद कर इस समूह ने 47,000 से ज्यादा की बचत भी की है।

अब हम ओम साईं वेजीटेबल ग्रोवर्स एफआईजी के एक किसान महेंद्र कंदाजी गावड़े की कहानी सुनेंगे, जो पुणे के जुन्नर तालुका स्थित अरि ग्राम में रहते हैं। महेंद्र इस ग्राम के प्रगतिशील किसानों में से एक हैं। वे सब्जी बीजों के उत्पादन से जुड़े हैं। वीआईयूसी योजना के अंतर्गत मिलने वाले सहयोग के बारे में जानने से पहले उनके पास पॉली हाउस की स्थापना के लिए पर्याप्त रकम नहीं थी। योजना में शामिल होने के बाद उन्होंने 9 लाख की लागत से एक पॉली हाउस की स्थापना की, जिसमें उन्हें 3 लाख का अनुदान भी हासिल हुआ। उन्होंने संसाधन संस्था द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण में भी हिस्सा लिया और खेती की तकनीकों को भी सीखा। योजना और अपनी कड़ी मेहनत के बूते महेंद्र आज अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं और फसलों को भी नुकसान न के बराबर हो रहा है। उनकी सफलता ने अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित किया।

>> नई तकनीक के अंगीकरण से समय व धन की बचत

उनके पड़ोसी रंजीत गावड़े ने भी इस योजना के लाभार्थी के तौर पर सब्जी उत्पादन का समान सेट–अप स्थापित किया है। वीआईयूसी योजना से दोनों ही किसानों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आया और यह इस बात का सबूत है कि यह योजना किसानों के लिए फायदेमंद है।

पुणे ज़िले में शिवनेरी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एसोसिएशन ऑफ जुन्नर ने टमाटर बाज़ार के लिए खुली नीलामी की एक नई अवधारणा पेश की है। मंडी की परिधि में एक अस्थाई शेड का निर्माण किया गया है, जहां किसान बिना किसी बिचौलिये के, प्रत्यक्ष तौर पर किसी संस्था या खुदरा खरीदारों को टमाटर बेच सकते हैं।

यह नीलामी एक साल में 5 महीनों के लिए होती है:

- पुणे ज़िले के जुन्नर तालुका में स्थित नारायणगांव नीलामी स्थल बना।
- सब–मार्केट कार्यस्थल नारायणगांव था।
- पहली खुली नीलामी 8 अगस्त 2004 को शुरु की गई।
- यह खुली नीलामी साल के पांच महीने होती है : मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर।
- पुणे जिले के जुन्नर, अंबेगांव, शिरूर, खेड़ तहसील और अहमदनगर जिले के संगमनेर, पार्नेर और अकोल तहसील के टमाटर उत्पादक इसमें हिस्सा लेते हैं।

अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जोधपुर, कोटा, इंदौर, जबलपुर, झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली, बैंगलुरु, हैदराबाद, चैन्नई, पुणे और मुंबई जैसे शहरों के व्यवसायी (खरीदार) इसमें शामिल होते हैं। किसान को कुछ रकम नहीं देनी होती है। लेकिन खरीदारों से 1 रुपए प्रति कैरेट (20 किलोग्राम) की दर से कमीशन लिया जाता है।

पुणे की जुन्नर तालुका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण अप्रैल 2013 में किया गया। सदस्यों ने सोचा कि नई तकनीकों के ज़रिए कृषि कार्यों को आसान बनाया जा सकता है। जैसे– मल्चिंग पेपर बिछाना, खेत की तैयारी, पेपर में दोनों तरफ से छेद करना आदि। मशीन से मजदूरी लागत और संचालन समय में बचत होगी, पेपर सेट करने जैसे कार्यों में एकरूपता आएगी, उर्वरकों का बेहतर प्रयोग किया जा सकेगा। इसलिए किसान उत्पादक संगठन के सदस्यों ने मल्चिंग पेपर लेईंग मशीन के सामूहिक खरीद का निर्णय लिया। इस मशीन से उन्हें निम्न मदद मिली : इसके जरिए लैंड बेड का निर्माण, खेत पर उर्वरकों का प्रयोग, ड्रिप इरिगेशन लैटरल की स्थापना, खेत पर प्लास्टिक मल्चिंग पेपर के बिछाव और पेपर में छेद करने जैसे कार्यों को अंजाम दिया गया। मशीन ने कृषि उत्पादकता को 2–3 गुना बढ़ाने में मदद की। मशीन द्वारा जो बचत हुई उसका विवरण निम्नानुसार है–

संचालन	हाथ से	मशीन से	बचत
पेपर बिछाने पर लगा खर्च	3,500रू. / एकड़	1,200 रू. / एकड़	1,800रू. / एकड़
उर्वरक और ड्रिप पर खर्च	1,000 रू. / एकड़	1,200 रू. / एकड़	1,000रू. / एकड़
कुल बचत			2,800रू. / एकड़
समय की आवश्यकता	2 दिन	4 घंटे	15 घंटे

विवरण	मात्रा	एफपीओ द्वारा मूल्य (रु.)	बाजार द्वारा मूल्य (रु.)	शुद्ध लाभ (रु.)	कुल बचत (रु.)
कम लागत ड्रिप मैटेरियल					
भवानी ड्रिप	30,000 मीटर	4.50 / मीटर	5.25 / मीटर	0.75 / मीटर	22,500
ग्रीन इंडिया	20,000 मीटर	4.20 / मीटर	4.75 / मीटर	0.55 / मीटर	11,000
ड्रिप टेक	15,000 मीटर	1.85 / मीटर	2.50 / मीटर	0.65 / मीटर	9,750
मल्चिंग पेपर	300 बंडल	1500 / बंडल	1750 / बंडल	250 / बंडल	75,000
फैरोमेन ट्रैप	1,000 की संख्या	10–15	25–30	15–20 / प्रत्येक के लिए	15,000
येलो ट्रैप	400 बंडल	325 / बंडल	500 / बंडल	175 / बंडल	70,000
स्टेकिंग(कार्वी)	22,000 की संख्या	10 / प्रति	14 / प्रति	4 / प्रत्येक स्टिक	88,000

इस पहल ने कृषक उत्पादक संगठन के किसानों की खासी मदद की। यह समूह निजी कंपनियों से बड़ी तादाद में कृषि आदानों की खरीद कर सकता है। जैसे– ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग पेपर, फैरोमेन ट्रैप, टमाटर के लिए स्टेकिंग सामग्री, जैव नियंत्रक ल्योर्स आदि। यह कृषक उत्पादक संगठन कृषि आदानों की प्रत्यक्ष खरीद की रणनीति का पालन कर रहा है, जिसमें बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को 25–30 फीसदी का अतिरिक्त फायदा मिल रहा है।

रिले क्रॉपिंग प्रदर्शन ने पुणे जिले के किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी है। टमाटर की खेती के साथ अप्रैल 2012 की गर्मियों के दौरान इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद उसी ज़िले के करीब 50 एफआईजी के 500 सदस्यों ने इसे कार्यान्वित किया। इसके अंतर्गत 2–3 प्रजाति की फसलों को एक–एक कर लगाया गया। रिले क्रॉपिंग प्रदर्शन के अंतर्गत दूसरी फसल को पहली फसल के 20–30 दिन पहले लगाया गया और तीसरी को उसी जमीन पर दूसरी फसल की कटाई के पहले लगाया गया। प्लांट बेड तैयार करने के दौरान ट्राईकोडेर्मा और एफवाईएम का मिश्रण कर पौध सुरक्षा रसायनों को सही समय पर प्रयुक्त किया गया। साथ ही ड्रिप फर्टिगेशन को 15 दिनों के अंतराल में प्रयुक्त किया गया।

इस पहल से समकालिक फसलों के ज़रिए शुद्ध आय उत्पन्न करने में मदद मिली। कुछ मामलों में तो यह दोगुना और तीन गुना तक पहुंच गया। इससे किसानों को बाज़ार भाव के उतार–चढ़ाव के चलते होने वाली समस्याओं से भी निजात मिली क्योंकि वे 4–6 महीनों में 2–3 फसलों की कटाई कर पाते हैं। टमाटर–ककड़ी–लोबिया का संयोजन सबसे ऊम्दा रहा।

कृषक उत्पादक संगठन का स्थान/पता– नारायणगढ़ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, पोस्ट खोदाद, तालुका जुन्नर, जिला पुणे– 410504, महाराष्ट्र। फोन : राधाकृष्ण गायकवाड़ (BoD)– 09860462070।

संसाधन संस्था का सपंर्क विवरण– इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेश्नल्स (ISAP), 23, जमरूदपुर कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली– 110048। फोन : 011–41731674, 43154100A ई–मेल : isapho@isapindia.orgA
वेबसाइट : www.isapindia.orgA

संपादकीय टीम

प्रवेश शर्मा
केवलकृष्ण तिवारी
कुंदन भूत
सलोनी तनेजा

यह दस्तावेज़ एक सार्वजनिक साधन है। इसके अंशों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसका व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है।

विक्रय प्रतिबंधित

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली-2014
www.sfacindia.com

डिजाईन– आख्या मीडिया सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

एनसीयूआई ऑडिटोरियम बिल्डिंग, 5वीं मंजिल,
3 सिरी इस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
हॉज खास नई दिल्ली–110016
ई–मेलः– sfac@nic.in
वेबसाइटः– www.sfacindia.com